इकाई IV अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा : पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम 4
अध्यापक शिक्षा की संकल्पना (Concept of Teacher Education) 4
अध्यापक शिक्षा का अर्थ 5
अध्यापक शिक्षा की प्रकृति 5
अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य 6
अध्यापक शिक्षा का विषय क्षेत्र 7
सन्दर्भित दक्षता 7
संकल्पनात्मक दक्षता 7
विषय-वस्तु दक्षता 8
सम्प्रेषण सम्बन्धी दक्षता 8
प्रबन्धन सम्बन्धी दक्षता 8
मूल्यांकन दक्षता 9
समाज के प्रति प्रतिबद्धता 9
आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता 10
उत्कृष्टता प्राप्ति सम्बन्धी प्रतिबद्धता 10
मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता 10
भारतीय अध्यापक शिक्षा में कमियाँ 11
अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना एवं दूरदृष्टि 13
अध्यापकीय पाठ्यक्रम 14
अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीन प्रारूप एवं दूरदर्शिता 14
अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम NCERT एवं NCTE 15
पूर्व-प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारूप - 15
UGC प्रतिमान पाठ्यक्रम 17
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार 18
पूर्व-सेवाकाल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम 19
ओरिएण्टेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रम 36
सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन संव्यवहारपरक उपागम 36
प्रतिपादक 37
सहयोगात्मक 37

www.studyofeducation.com

अनुभव अन्य अधिगम 37
सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का उद्देश्य 38
अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण 38
अध्यापक शिक्षा (Teacher Education) 38
अध्यापक शिक्षा के प्रति शुल्मैन के दृष्टिकोण 39
डेंग एवं ल्यूक के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा 42
डेंग के विचार की रुपरेखा 42
डेंग का पाठ्यक्रम 43
हैबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा 43
हैबरमैन का शिक्षक और शिक्षा का दृष्टिकोण 43
मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय (Meaning of Reflective Teaching) 44
मननात्मक प्रक्रिया 45
विद्यार्थियों के उत्तर का निरीक्षण 46
मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स 47
व्यवहारवादी मॉडल्स 48
निर्गत तथ्यों का मापन 48
विभिन्न विद्वानों के विचार 49
सक्षमता आधारित मॉडल्स 50
अध्यापन शिक्षा में सक्षमता आधारित मॉडल्स का महत्त्व 50
पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल 52
जोसेफ श्राव का पूंछताछ स्तर 52
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा 54
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना (Concept of In-service Teacher Education) 54
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 55
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएँ 56
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की मूलभूत मान्यताएँ 56
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता 57
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य 58
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विषय-क्षेत्र 59
सन्दर्भित दक्षता 59

www.studyofeducation.com

संकल्पनात्मक शिक्षा 59
विषय-वस्तु दक्षता 60
सम्प्रेषण सम्बन्धी दक्षता 60
प्रबन्धन सम्बन्धी दक्षता 60
मूल्यांकन दक्षता 61
अभिभावक सहकार्य दक्षता 61
समाज के प्रति प्रतिबद्धता 61
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विभिन्न संगठन 62
राजकीय विज्ञान संस्थाएँ 62
राजकीय अंग्रेजी संस्थाएँ 62
शिक्षा की राज्य संस्थाएँ 62
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न अभिकरण 62
सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की विभिन्न रीतियाँ 63
जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन शिक्षा एजेन्सियाँ और संस्थान 64
सर्वशिक्षा अभियान 64
सर्वशिक्षा अभियान के विभिन्न प्रतिमानक 65
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 66
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् 67
परिषद् के कार्य 67
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् 68
परिषद् का संगठन 69
परिषद् की कार्यकारिणी समिति 69
कार्यकारिणी समिति के सदस्य 69
परिषद् के कार्य 70
परिषद् से संलग्न इकाइयाँ 70
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 71
परिषद् के कार्य 71
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 72
आयोग का संगठन 73
आयोग के कार्य 73
उद्देश्य एवं समयावधि 74

www.studyofeducation.com

संसाधन एवं बजट 75

व्यवसाय के रूप में अध्यापन 76

व्यवसाय एवं व्यवसायीकरण की संकल्पना (Concept of Profession and Professionalism) 76

एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन (Teaching as a Form of Profession) 77

अध्यापक की भूमिका 78

अध्यापकों की व्यावसायिक आचार-नीति 78

अध्यापन में अधिगम 79

अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 80

व्यतैयक्तिक कारक 80

प्रासंगिक कारक 81

आईसीटी एकीकरण (ICT Integration) 82

उच्च शिक्षा में आई.सी.टी. की भूमिका/महत्त्व 82

अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रबन्धन 84

अध्यापक और स्कूली शिक्षा में नवाचारों और विभाग के कार्य 84

अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन (Innovation in Teacher Education) 85

नवप्रवर्तन की दिशा में किए गए प्रयास 86

शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम 87

www.studyofeducation.com

अध्यापक शिक्षा : पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम

अध्यापक शिक्षा की संकल्पना (Concept of Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा के अर्थ को एक विशिष्ट समुदाय के परिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका के सन्दर्भ में भली प्रकार समझा जा सकता है। इस सन्दर्भ में शिक्षक की भूमिका निर्वहन (विश्लेषण) प्रवृद्धि का विशेष महत्त्व होता है, क्योंकि यही प्रविधि उन सामान्य मूल्यों तथा सामाजिक-आर्थिक कारकों को विश्लेषित करती है, जिनके सन्दर्भ में शिक्षण को एक क्रिया के रूप में शिक्षक द्वारा निर्वाहित किया जाता है तथा उसे अपनी भूमिका के सन्दर्भ में एक निश्चित संकल्पना को विकसित करना होता है। शिक्षक के ऊपर बालक के सम्पूर्ण विकास का दायित्व होता है।

अतः उसका दायित्व है कि वह बालकों को एक सभ्य नागरिक के रुप में विकसित करें। अत: आवश्यकता है कि पहले शिक्षक स्वयं के द्वारा स्वयं को उपयुक्त मूल्यों तथा कौशल से समावेशित करें कि वह बालकों में प्रजातन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवादी मूल्यों का विकास करें।इसके अतिरिक्त नए विकसित हुए समाज के सन्दर्भ में शिक्षक को एक भविष्य दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है ताकि वह तत्कालीन समुदाय के साथ घनिष्ठता स्थापित करने के कार्य कर सके। इसलिए अध्यापक को न केवल विद्यालय के छात्रों की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, बल्कि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के व्यावहारिक पक्षों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे अध्यापक शिक्षा को समुदाय एवं राष्ट्रीय विकास के मार्गों के अनुरूप बनाया जाए।

अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि एक भावी शिक्षक को व्यावसायिक कौशलों के साथ-साथ उस ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों का स्वयं में विकास करना अधिक आवश्यक है, जो उसे शिक्षा के द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन बनाने में उसकी भूमिका को अधिक प्रभावशाली बना सकें।

अध्यापक शिक्षा का अर्थ

अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों को प्रशिक्षण व्यवस्था से है। एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त विद्यार्थी के लिए उच्चकोटि को शिक्षा व्यवस्था को आवश्यकता होती है, जो न केवल पाठ्यक्रम स पूरी की जा सकती है, बल्कि उसके लिए एक सक्षम एवं प्रशिक्षित अध्यापक का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्यापकों को विशेष रुप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए तथा विद्यार्थियों को भावी जीवन हेतु तैयार करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

www.studyofeducation.com

अध्यापक शिक्षा की प्रकृति

अध्यापक शिक्षा की भूमिका तथा कार्यों में समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते है। इनमे से कुछ परिवर्तन प्रत्यक्षात्मक होते हैं; जैसे-शिक्षक की शैली अथवा हा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के सम्बन्ध, परन्तु कुछ परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हुए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षक के अपने साथियों के साथ आन्तरिक सम्बन्ध या विद्यालय के बाह्य समुदाय के सदस्यों के साथ सम्बन्ध, शिक्षकों का पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन आदि में बढ़ती सहभागिता आदि एक शिक्षक को उन सभी शैक्षिक संरचनाओं का निर्माता है, जोकि पहले से अधिक नमनीय, खुली व सरलता से उपलब्ध होने वाली है। वर्तमान में शिक्षक की भूमिका

कुछ नवीन निर्माण करने वाले निर्माता की है। माध्यमिक स्तर पर नए परिवर्तन लाने के सन्दर्भ में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की मुख्य भूमिका होती है।

उपयुक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षक, शिक्षा के कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा, विशिष्ट विषयों में प्रवीणता, विषयों का मनोवैज्ञानिक तरीके से Gठन तथा अनुदेशन की विधियों एवं तकनीकों पर अधिकार आदि का समन्वय होना चाहिए, किन्तु उपयुक्त वर्णित तत्त्व केवल तीव्रता से बदल ही नहीं रहे, अपितु इतना अधिक भार बन जाते हैं, जिन्हें तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ पूरा करना कठिन होता है। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को अग्रिम शिक्षा के साथ सम्बन्ध जोड़कर देखना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम में गहन सैद्धान्तिक पक्ष के साथ-साथ उचित व्यावसायिक पक्ष भी सम्मिलित होना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत संस्कृति का विकास करे, उसकी शिक्षण योग्यता को विकसित करे तथा उन सिद्धान्तों के प्रति जागरुक बनाए, जो स्नेहपूर्ण मानव सम्बन्धों के लिए आवश्यक हों तथा जिनमें उत्तरदायित्व की भावना हो और जो शिक्षण के माध्यम से सहयोग दें और समाज के लिए आदर्श बनें। शिक्षक स्तर सम्बन्धी यूनेस्को के प्रस्ताव में अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हैं।

www.studyofeducation.com

इन उद्देश्यों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-

बोधात्मक उद्देश्य

- समाज की संरचना, कार्य एवं अन्तःक्रिया का ज्ञान।
- बाल विकास एवं अधिगम प्रक्रिया का बोध।
- विकासशील बालकों की समस्याओं का बोध।
- विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन का ज्ञान। परीक्षा एवं मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान एवं बोध।

कौशल उद्देश्य

- विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता एवं कौशल।
- शिक्षण विधियो का विकास एवं विषय के प्रयोग की योग्यता।
- प्रभावपूर्ण कौशल एवं अभिप्रेरणा।

- शिक्षण के विशेष उद्देश्यों को निर्मित करने की योग्यता।
- मूल्याकन प्रविधियों के प्रयोग की योग्यता तथा पाठ्य सहगामा क्रिया संगठन की योग्यता।

अभिवृत्ति से सम्बन्धित उद्देश्य

शिक्षण व्यवसाय के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण।
शिक्षण समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण।

अध्यापक शिक्षा का विषय क्षेत्र

अध्यापक शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है

सन्दर्भित दक्षता

यह दक्षता का प्रमुख मापदण्ड है, जिसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है, दि. जब तक हम पाठ्य-पुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ नहीं: जैसे-विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही किसी घटना। को अच्छा-बुरा ठहराया जा सकता है। अतः सामाजिक,धार्मिक सांस्कृतिक भाषा सम्बन्धित अध्यापकों को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए, किस बिन्दु पर किसी तथ्य को स्पष्ट अभिव्यक्त करना है।

www.studyofeducation.com

किसी काल, पात्र आदि के सन्दर्भ में परिवर्तन होने से तथ्यों में अर्थ और महत्त्व में परिवर्तन दिखना स्वाभाविक है; जैसे-जिस समय किसी देश की जनसंख्या में कमी होती हैं, उस समय परिवार का आकार बढ़ा होना घातकनहीं होता, लेकिन देश की वर्तमान जनसंख्या और घनत्व को देखते हुए कभी भी बड़े परिवार को मान्यता प्रदान करना उचित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे स्तर पर विविध सामुदायिक संगठन, सामाजिक न्याय तथा समान शैक्षिक अवसर की आवश्यकता आदि के बारे में समझदारी का होना भी सन्दर्भगत दक्षता के अन्दर आता है।

संकल्पनात्मक दक्षता

एक अध्यापक को शिक्षा अध्ययन की संकल्पनाओं से परिचित होना, एक ओर जहाँ आवश्यक है वहीं दूसरी ओर उन पर पड़ने वाले विविध सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव के बारे में जानकारी रखना आवश्यक माना जाता है।

शारीरिक-आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता क्या है? और विशिष्टता क्या है? यह जानने के बाद ही प्रभावकारी ढंग से पाठ्यक्रम का प्रस्तुतीकरण करना या प्रायोगिक कार्य को संचालित कर पाना सम्भव हो सकता है।

केवल पाठ्यक्रम संकल्पनाओं के बारे में दक्षता की प्राप्ति कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ ही शिक्षण विधिगत संकल्पनाओं से भी दक्ष अध्यापक को परिचित होना आवश्यक है। संकल्पना ही वह आधार है जिस पर अधिगम को स्थापित तथा विकसित कर पाना सम्भव हो पाता है; जैसे-भूगोल के विद्यार्थी को अक्षांश देशान्तर भूगति और मौसम परिवर्तन, उच्चावच आदि को ठीक से समझे बिना आगे के जटिल शब्दों को समझाना ठीक नहीं है।

विषय-वस्तु दक्षता

किसी भी अध्यापक के लिए अपने विषय को पूर्ण अधिकार राखमा आवश्यक होता है। जैसे किसी कर्मकाण्डी बामण को सभी गांवों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। अध्यापक को शिक्षण से पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसे क्रमवस तरीके से प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। और उनमें पारस्परिक सह-सम्बन्धों को भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है।

सम्प्रेषण सम्बन्धी दक्षता

सम्प्रेषण प्रक्रिया के अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो सकती है, जो शिक्षण को स्मृति स्तर से आगे चिन्तन और व्यावहारिक स्तर तक ले जाने में बाधक सिद्ध होगा।

आचार्य राममूर्ति आयोग (1992) के प्रतिवेदन में इस दक्षता के अभाव के कारण शिक्षण अभ्यास पक्ष की निरन्तर उपेक्षा को ही मूलत: उत्तरदायी माना गया है। निरन्तर मूल्यांकन और सुधारात्मक शिक्षण के अभाव में पाठ्यक्रम हस्तान्तरण अध्यापकों को दूर कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

प्रबन्धन सम्बन्धी दक्षता

एक अध्यापक/अध्यापिका को कक्षा में अनुशासन और प्रबन्धन की आवश्यकता एक उत्तम एवं प्रभावकारी शिक्षण में आवश्यकता होती है। विभिन्न शैक्षिक और पाठ्य कार्यक्रमों के आयोजन में प्रबन्धन की आवश्यकता होती हैं। सामूहिक शिक्षण के साथ ही अध्यापक को मार्गदर्शन में सक्षम होना पड़ता है,जो प्रबन्धन से सम्भव है।

एक कुशल प्रबन्धन करने वाला अध्यापक किसी स्तर की कक्षा को सामूहिक क्रियाकलाप में संलग्न करते हुए उनमें सामाजिक दायित्वबोध और सेवा भावना का विकास कर सकता है, जबकि इसकी विपरीत परिस्थितियों में अध्यापक का कार्य मात्र कक्षा तक सीमित हो जाता है।

www.studyoreducation.com

आज आधुनिक युग में जब अध्यापन के साथ दायित्व और कार्यक्षेत्र सीमा में निरन्तर विकास का सामना करने के लिए एक अध्यापक-अध्यापिका को सदैव तैयार रहने की बात की जाती है तथा उनकी दक्षता और प्रतिबद्धता को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि अध्यापक-अध्यापिका में प्रबन्ध कौशल के बारे में शिक्षण-प्रशिक्षण, शिक्षण कौशल के साथ अवश्य प्रदान कराई जाए।

मूल्यांकन दक्षता

शिक्षण में मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है, अत: मूल्यांकन दक्षता के अभाव में कोई भी अध्यापक-अध्यापिका दक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली प्रतिफल में न्यूनता और मानसिक डर को स्थान देती है।

जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य है दक्षता की सीमा को स्पष्ट करना और दक्षता को प्रोत्साहित करना और उत्तीर्णांक (33 या 36% अंक) का कोई औचित्य मूल्यांकन के सन्दर्भ में नहीं रह जाता, जो यह प्रतिशत मात्र ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है।

शिक्षण प्रतिफल का मूल्यांकन मात्र प्रश्न-पत्रों के आधार पर न हो यह जरूरी नहीं है। छात्रों की कला का मूल्यांकन के साथ-साथ आवधिक मूल्याकंन तथा समग्र मूल्याकंन दोनों की आवश्यकता वर्तमान युग में है, लेकिन प्रश्न-पत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दक्ष अध्यापक या अध्यापिका के लिए आधुनिक मापन और मूल्यांकन के विभिन्न पद्धति एवं तकनीकों से विशेष परिचय होना चाहिए।

www.studyofeducation.com

समाज के प्रति प्रतिबद्धता

अध्यापन में सफलता के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिस समाज में व्यक्ति निवास करता है उसके प्रति अवश्य ही कुछ-न-कुछ दायित्व होता है। अत: किसी सामाजिक वर्ग का छात्र क्यों नहीं आया है, अध्यापक का दायित्व सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान करना होता है। सामाजिक रुप से अच्छे वर्ग के छात्रों को विशेष ध्यान देना उनका कर्त्तव्य नहीं होता है और न ही तिरस्कार करना सराहनीय हो सकता है। जिस प्रकार छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता से अध्यापक उनसे प्रशंसित हो सकते हैं वैसे ही समाज के प्रति प्रतिबद्धता से समाज के प्रत्येक समुदाय के लोग प्रशंसित हो सकते हैं। साक्षरता सहयोग जागरुकता विकास और प्रोत्साहन, सामाजिक प्रतिभागिता शिक्षा के प्रति अग्रसर वर्गों में आग्रह का संचार करना ऐसे अनेक कार्य हैं, जिनके माध्यम से वे समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाते हुए आदरणीय बन सकते हैं।

आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता

अध्यापक या अध्यापिका अध्यापन के प्रति गर्व का अनुभव करता हो, तो अवश्य ही इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे सकता है। प्राय: देखा जाता है कि बेरोजगारी के कारण इसे आजीविका के रुप में स्वीकार करते हैं। यदि वह स्वयं को वास्तविक राष्ट्र निर्माता के रुप में स्वीकार कर लेता है, तो प्रतिबद्धता की कमी सम्भव नहीं है। न तो आज राष्ट्र नेता या प्रशासनिक अधिकारी भावी पीढ़ी को तैयार करने में सम्भव है, चाहे वह कितने बड़े अधिकारी का पुत्र-पुत्री क्यों न हो, उन्हें अध्यापक के पास जाना ही पड़ता है। एक प्रतिबद्ध अध्यापक-अध्यापिका अवश्य ही जीविकागत नैतिकता और कर्तव्य का पालन करता है, चाहे उसे सामाजिक प्रतिफल मिले या न मिले। जो मानव को दानव बनने से रोककर एक संस्कारवान मानव बनने की शिक्षा देने में समर्थ हो, उसे समाज या राष्ट्र क्या और कितना प्रतिदान दे सकता है? कहा जाता है कि विद्या का कोई मूल्य निर्धारण नहीं कर सकता है, तो फिर हीन भावना का स्थान इस पवित्र आजीविका में हो सकता है, यह समझने की बात है। औपचारिक शिक्षा न देकर भी कोई अध्यापक अपने आदर्श चरित्र एवं सद्व्यवहार के माध्यम से छात्रों को जीवन की दिशा बताने में सक्षम हो सकता है, उतना अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है।

www.studyofeducation.com

उत्कृष्टता प्राप्ति सम्बन्धी प्रतिबद्धता

ज्ञान प्राप्ति के प्रति अदम्य आग्रह, कार्य कुशलता के प्रति मोह निष्पादन एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन ज्ञान की प्राप्ति में दक्षता, अधिक-से-अधिक उत्तम शिक्षण आदि कारक इस प्रतिबद्धता को विकसित करने में सकारात्मक रुप से सहायक सिद्ध हो सकता है। अध्यापक या तो सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों, शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से इसकी निरन्तरता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षण अभ्यास के द्वारा एक अध्यापक या अध्यापिका को यह सुनिश्चित न कर सके; जैसे कि एक डॉक्टर अपनी आजीविका अभ्यास के माध्यम से उत्कृष्टता स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उत्कृष्टता की चाहत ही एक अच्छे अध्यापक या अध्यापिका को समाज में स्थापित करने में समर्थ हो सकता है।

मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता

आज समाज में सभी जगह मूल्यों का क्षरण एवं हास देखने को मिल जाता है, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता क्षेत्र है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहयोगिता स्नेह एवं प्रेम, नियमितता, सेवाभावना आदि ऐसे मूलभूत जीवन मूल्य हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने चरित्र को सम्मानपूर्ण और समादर योग्य नहीं बना सकता।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रुप में इन मूल्यों को भावी अध्यापक/अध्यापिका के हृदय में स्थापित करने के लिए प्रयास करना जरुरी हो गया है। मूल्यों के अनुपालन में शिक्षक की भूमिका प्रतिमान छात्रों के लिए अनुकरणीय बन सकती है। वे ज्ञान या अज्ञान को भी अनुकरण के माध्यम से अपने व्यवहार को मूल्यपरक बनाने में सक्षम हो सकते हैं। मूल्य उनके चरित्र

के महत्त्वपूर्ण अंग रुप में स्थापित हो। मूल्य निर्भर क्रियाकलापों के माध्यम से सेवापूर्व या सेवाकालीन दोनों ही स्तर पर यदि अध्यापकों को मूल्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाए तो आगे चलकर छात्रों को अवश्य ही इस दिशा में दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

भारतीय अध्यापक शिक्षा में कमियाँ

भारत में 2100 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार की सभी संस्थाओं में सदस्यों को अपर्याप्त रुप से तैयार किया जाता है। केवल 5% शिक्षक ही डॉक्ट्रेट की उपाधि से विभूषित होते हैं, जबकि प्राथमिक स्तर अधिकांश शिक्षक मात्र स्नातक उपाधि ही लिए हैं।
कुछ ज्वलन्त खामी, जोकि अध्यापक शिक्षण में व्याप्त हैं, उन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है

सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन के पाठ्यक्रम में कृत्रिमता

विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का आदर्श पच्चीस वर्ष पूर्व के समान ही है। प्रभावशाली अध्यापक उत्पन्न करने के लिए उनमें उचित विषय वस्तु नहीं है। किसी विशेष विषय में सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम विषय का प्रयोगात्मक कार्य में कोई स्पष्ट जोड़ नहीं है और सिद्धान्त विषयों को प्रयोगात्मक कार्य में गहन प्रयोग है और इसमें पुनरावृत्ति एवं पुनः संरचना की आवश्यकता है।

सुविधाओं का अभाव

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अधिकांश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित होते हैं, जिसमें लगभग 20% अध्यापक शिक्षा संस्थाएँ किराए की इमारतों में चल रहे हैं एवं अच्छे अध्यापक शिक्षा विभाग हेतु आवश्यक प्रायोगिक विद्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं अन्य उपकरणों की कोई सुविधा नहीं है।

www.studyofeducation.com

अपर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध

आज भी बहुत से प्रदेश में अध्यापक-शिक्षा संचालन छात्र-छात्राओं द्वारा दिए गए शुल्क द्वारा किया जाता है, प्रदेश द्वारा प्रदत्त धनराशि अत्यन्त कम मात्रा में होती है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के वित्तीय स्वास्थ्य के विषय में कहा गया है कि उनमे से अधिकांशतः अत्यन्त खराब स्तर में हैं, इसी कारण अध्यापक शिक्षा विभाग में सुविधाएँ दूसरे स्तर की हैं।

व्यावसायिक विकास प्रबन्ध नहीं

अध्यापक-प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए उन्हें बहुत प्रेरणा प्रदान की जाती है जिसके कारण, यहाँ तक कि समर संस्थाएँ, जोकि यूज़ीसी एवं एनसीईआरटी की सहायता द्वारा नियोजित की जाती है वे भी अच्छे अध्यापक प्रशिक्षण बनाने के योग्य नहीं हैं।

विभिन्न स्तरों पर अलगाव की समस्या

भारत में अध्यापक शिक्षा में विभिन्न स्तरों के अध्यापक एक-दूसरे सम्बन्ध नहीं रखते है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों में किसी प्रकार सहयोग नहीं होता है, जबकि सभी स्तरों के अध्यापकों का सम्बन्ध शिक्षा की प्रक्रिया सम्पादित करना होता है।

सभी का एक ही उद्देश्य होता है। यदि सभी स्तरों में अध्यापक समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें तो कोई प्रभावशाली समाधान दे सकत है। यही प्रवृत्ति भारतीय आयोग समितियों की रही है; जैसे-प्राथमिक (हाटोंग), माध्यमिक (मुदालियर), विश्वविद्यालय (राधाकृष्णन) के लिए सुझाव दिए हैं, परन्तु कोठारी आयोग ने सभी स्तरों के सुझाव में एकीकरण किया है। में भी कोई

इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों सम्बन्ध नहीं होता है। इसका परिणाम यह है प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में कोई क्रम तथा साम्य नहीं होता है, में पुनरावृत्ति होती है।

प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा विद्यालयों के अध्यापकों में साम्य और सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। जबकि प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य कार्य है, इन विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार करना। इन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण विधियों में और विद्यालय शिक्षण विधियों में साम्य नहीं होता है। इस प्रकार यह समस्या प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर है।

विश्वविद्यालय जीवन में अलगाव की समस्या

इस अलगाव से तात्पर्य है कि प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के मध्य कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है। अपने-अपने स्तर पर सभी अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और उन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं। उस अलगाव के कारण एक-दूसरे की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी नहीं रहती है। प्रशिक्षण संस्थाएँ भी अपना पृथक् रुप रखती हैं। अध्यापक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं से इस अलगाव अथवा एकाकीपन को दूर करना बहुत आवश्यक है। इससे शिक्षा की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

इस सम्बन्ध में कोठारी आयोग

- शिक्षा पैडागाँगी (विधि विज्ञान) से भिन्न है। शिक्षा एक अध्ययन का स्वतन्त्र अनुशासन है। स्नातक स्तर एक विषय के रुप में सम्मिलित किया जाता है।
- शिक्षा विभागों की स्थापना इसलिए की जाती है, जिससे विश्वविद्यालय स्तर अध्यापक शिक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जा सके। अन्य विश्वविद्यालय के विषय से सहयोग द्वारा शोध कार्यों का आयोजन किया जाए, जिससे अन्तर्विषयक् आयाम को बढ़ावा दिया जा सके। परिणामस्वरुप विश्वविद्यालय स्तर पर अलगाव की समस्या का समाधान किया जा सके।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की प्रशिक्षण संस्थाएँ माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापक तैयार करती हैं, परन्तु अन्य विभाग शिक्षा विभाग की उपेक्षा करते हैं। प्रशासक भी शिक्षा विभाग की अवहेलना करते हैं। उनको अन्य महाविद्यालयों के विभाग से

www.studyofeducation.com

पृथक् मानते हैं। यह दृष्टिकोण इसके विकास में बाधक रहता है। अध्यापकों को वे सभी सुविधाएँ नहीं मिलती जो अन्य विभागों के अध्यापकों को दी जाती है।

विद्यालयों से अलगाव की समस्या

इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण विभागों का स्कूलों के अलग जीवना पाग या देखने में आता है कि प्रशिक्षण विभागो की अध्यापन विधि तथा स्कूलों की शिक्षण विधियो मे कोई समानता नाही होती है। प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रवक्ताओ और विद्यालयो के अध्यापकों के मध्यपी कोई सम्पर्क नहीं होता है। इस दिशा में आयोग ने संकेत किया है। इस अलगाव को दूर करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रसार सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। केन्द्रों ने पाध्यमिक स्तर पर सराहनीय कार्य किया है। जैसे

- अध्यापक का प्रमुख कार्य प्रसार होना चाहिए। इसके लिए प्रसार सेवा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के लिए प्रसार सेवा कार्य हो जिससे एकीकरण किया जा सके।
- पुराने छात्रों की एक प्रभावशाली एसोसिएशन होनी आवश्यक है, जिसकी सभाओं में योजनाओं, पाठ्यक्रमों तथा नवीन प्रयोगो एवं आयोगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद का आयोजन किया जाए।
- शिक्षण अभ्यास के सहयोगी विद्यालयों के अध्यापकों समय सहयोगी विद्यालयों के अध्यापकों के साथ मिल-जुलकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन सहयोगी विद्यालयों को विशिष्ट अनुदान तथा साधनों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सहयोगी विद्यालयों के अध्यापकों में अंशकालिक अदल-बदल करनी चाहिए। इस प्रकार आयोजन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं शिक्षण द्वारा किया जाना चाहिए।

www.studyofeducation.com

नियुक्ति एवं चयन की समस्या

शिक्षा की पुनर्रचना के लिए शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति एक कुशल शिक्षक नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक कार्य बड़ा कठिन होता है। चतुर्थ योजना के अन्तर्गत जो अनुमान लगाया गया था उसके अनुसार 8 लाख प्राथमिक अध्यापक तथा 2 लाख माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है, इसलिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होगा तथा उनके चयन की भी एक समस्या रहेगी। वर्तमान में भी अध्यापकों की संख्या शिक्षण संस्थानों में अपर्याप्त है।

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना एवं दूरदृष्टि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया गया है। अनेक संस्थाओं और समितियों के माध्यम से इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। कुछ नवीन कार्यक्रमों के निर्माण में नवीन नीतियों को प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। शिक्षण प्रभावशीलता में विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किया है, जबकि विद्यालय प्रभावकारिता यान्त्रिक क्रियाओं

एवं व्यंजक क्रियाओं पर बल देती है। विद्यालय प्रभावकारिता में अध्यापक की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में सभी प्रारुप किसी मुख्य दृष्टिकोण से बनाए गए अध्यापकीय शिक्षा सिद्धान्त पर आधारित नहीं हैं, जो भारत की दशा से मेल नहीं खाते। शिक्षण की अवधारणा भी बदलती जा रही है। आज शिक्षा केवल ज्ञान देने तथा सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। विद्यालय की अवधारणाएँ प्रतिदिन बदलती हैं। इसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुप से अपने तथा आम समुदाय के बीच अन्तःप्रक्रिया जारी रखनी होगी, जिससे आस-पास केवातावरण तथा स्थिति में परिवर्तन कर सकते है अध्यापक की भागीदारी की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ |एक शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं है उसमें अधिगम का निर्देशक भी बनना है तथा संस्कृति का प्रचारक भी बनना है इस संपूर्ण आधुनिक प्रवृत्ति का प्रभाव अध्यापक की पाठ्यक्रम पर स्वाभाविक रुप से प्रदर्शित होता है

अध्यापकीय पाठ्यक्रम

अध्यापक के शिक्षा कार्यका पारित की गाय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना होगा

- मूलभूत परिज्ञान को विकसित किए बिना और बिना समझे शिक्षक अपने कक्षा कार्य को शुरु नहीं कर सकता।
- भावी शिक्षकों में विकास प्रक्रिया को समझने की ममता का विकास करना तथा किसी आयु वर्ग के व्यवहार को समझने में जो कठिनाई पाती है, उसको समझाना है।
- आरम्भिक शिक्षक में मूलभूत कौशल तथा प्रवृत्तियों का विकास करना है।
- आरम्भिक शिक्षक में शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रथम संस्कार तथा उसमे उस शिक्षण सेवा के प्रति अपनत्व की भावना विकसित किए बिना अध्यापक नहीं बन सकता है। अध्यापक की प्रतियोगी भावनाओं का विकास, जोकि पाठ्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप है।
- कम-से-कम कुछ शिक्षकों में वैज्ञानिक भावनाओं का विकास किया जाए ताकि शिक्षण में परीक्षण एवं नयापन लाया जा सके।
- मुक्त समाज में सभ्य नागरिक बनने की अभिवृत्तियों का विकास करना है।

www.studyofeducation.com

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीन प्रारूप एवं दूरदर्शिता

अध्यापक शिक्षा में उचित पाठ्यक्रम का स्वरुप बहुआयामी होगा। अपने विचारों के सरलीकरण के लिए लेखक अपने विचार को तीन आयामों या प्रतिरुपों पर आधारित करते हैं, जिनमें कुछ महत्त्वपूर्ण चर हैं। अध्यापक या अध्यापकीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकसित एवं अनुमोदित अध्यापकीय शिक्षा सिद्धान्त में स्थित होना चाहिए; जैसे

जिसका उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को वांछित कार्य-कौशल प्रदान करना होना चाहिए। अध्यापक व्यवसाय के लिए सामान्य तथा विशिष्ट प्रशिक्षण से युक्त होना चाहिए। आयामों के सम्बन्धों को निम्न प्रतिरुप द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्न चित्र के द्वारा तथ्य को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।

अध्यापक शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम केवल व्यावसायिक कौशल पर बल देता है या शिक्षण विधियों तक सीमित है तथा अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास के लिए इसमें कम स्थान है या उसकी सामाजिक क्षमताओ या प्रत्ययी योग्यताओं में, दूसरे शब्दो मे रचनात्मक विचार, योजना या अनुसन्धान योजना पर कम महत्त्व देता है। अत: अध्यापक भी नवीन विचारों का जनक तथा समालोचक होने के स्थान पर शैक्षिक विचारों का उपभोक्ता बन जाता है। अध्यापक शिक्षा का व्यापक पाठ्यक्रम, अध्यापक के सर्वांगीण विकास के लिए उन समस्त पाठ्यक्रमों को अपने में समाहित करना चाहिए, जिससे उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हो। इसके अन्तर्गत उन विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को समान महत्त्व दिया जाना चाहिए, जो अध्यापक के विभिन्न बोध और कौशलो को विकसित करते हैं। यदि इसे तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के लिए बनाया जाता है, तो आधा समय अध्यापक के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा प्रत्ययी कौशलों के विकास में लगाना चाहिए तथा आधा समय उसके व्यावसायिक शैक्षिक कौशल के विकास में लगाना चाहिए।

यदि स्नातकों के लिए एक वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो सम्पूर्ण समय व्यावसायिक दक्षता तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों के विकास में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रत्ययी दक्षता के प्रति स्नातक स्तर पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है। यूनेस्को ने अपने 5 अगस्त, 1968 के प्रस्ताव में जो अध्यापक की स्थिति के सम्बन्ध में कहा है, ऐसी नीति जो अध्यापक शिक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित हो उसे ऐसी आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, जो समाज को एक अध्यापक प्रदान करे, जिसमें आवश्यक नैतिकता, बौद्धिक एवं शारीरिक गुण हों तथा जिसमें व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल हो (नैतिक एवं बौद्धिक गुण व्यावसायिक ज्ञान और कौशल से अधिक आवश्यक हैं।) जर्मनी में कहा जाता है कि "अध्यापक शिक्षा में अध्यापक को सोचना सिखाया जाए न कि उसे मशीन की तरह प्रशिक्षित किया जाए।"

www.studyofeducation.com

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम NCERT एवं NCTE

निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का औपचारिक स्वरूप होना आवश्यक है। नए-नए परिवर्तनों के कारण निरन्तर वृद्धि होती रहती है, जिससे पाठ्यक्रमों में नवाचार सम्भव हो सके। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही अध्यापक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। इसी आधार पर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षणीय कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। सामान्यतया प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आज प्रचलित है।

पूर्व-प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारुप -

पूर्व-प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1970 में पाठ्यक्रम का प्रारुप प्रस्तुत किया गया, जिसकी रुपरेखा निम्नांकित है

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दार्शनिक आधार तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- शिक्षण विधि तथा साधन
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार
- सृजनात्मक कला तथा क्राफ्ट
- स्वास्थ्य, पोषण तथा पाठशाला पूर्व छात्र कल्याण
- भाषा विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन

कुछ पाठयक्रम के लिए 7 तथा कुछ पाठ्यक्रमों के लिए 100 अंकों का निर्धारण किया गया है। कुल मिलाकर 800 अंकों को निर्दिष्ट किया गया है।

नर्सरी विद्यालय निरीक्षण एवं सहभागिता

- छात्र कार्यक्रम शिक्षण विधि और साधन निरीक्षण तथा प्रतिवेदन-100
- शिक्षण सामग्री (खिलौने, कला, हस्तकला सामग्री) निर्माण-100
- सैद्धान्तिक कार्य आधारित प्रायोगिक कार्य-100
- पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप में सहभागिता-50

www.studyoneducation.com

पक्ष के द्वितीय भाग में भी कुल 600 अंक निर्धारित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के द्वारा वर्ष 1978 में पाठ्यक्रम रुपरेखा में इस स्तर के अनेक वैकल्पिक व्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है। 20% समय का सिद्धान्त दी वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए लाया गया है, जिसमें शिक्षण विधि, शिक्षण अभ्यास तथा प्रायोगिक कार्यों को भी यथोचित स्थान दिया गया है। 60% समय तीसरे भाग के लिए निर्धारित किया गया है उसमें शिक्षण विधि, विधि अध्यास इत्यादि को महत्त्व प्रदान किया गया है। साथ ही सामुदायिक सहकार्य सहभागिता, मूल्यांकन योजना, प्रायोगिक पक्ष, प्रायोगिक अनुभव इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारुप

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सैद्धान्तिक, शिक्षण अभ्यास, प्रायोगिक कार्य, पाठ्यक्रम हस्तान्तरण, पैडागाँजी तथा प्रैक्टिकम व मूल्यांकन कार्य की व्यवस्था की गई है।

इस स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आन्तरिक तथा निरन्तर मूल्यांकन को महत्त्व दिया गया है। सैद्धान्तिक पक्ष के लिए प्रायःनिबन्धात्मक प्रश्न, लघु

उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ तथा उद्देश्य आधारित प्रश्न तथा मौखिक प्रश्न विचार समूह की सहभागिता आदि को महत्त्व प्रदान किया गया है। अंक के स्थान पर ग्रेड तथा एककालीन के स्थान पर निरन्तर व्यापक मूल्यांकन को महत्त्व दिया गया है। प्रायोगिक कार्य का आन्तरिक मूल्यांकन प्रस्तावित है।

माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारूप

माध्यमिक स्तर पर अध्यापकीय तैयारी के लिए एक वर्षीय बीएड समकक्षीय उपाधि को महत्त्व दिया गया है। एन. सी. टी. ई. के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा सिद्धान्त, शिक्षा मनोविज्ञान, विद्यालय प्रशासन तथा स्वास्थ्य शिक्षा, विविध विद्यालयी विषयों के लिए शिक्षण विधियाँ शिक्षा का विकास, समस्याएँ तथा वैकल्पिक पत्रों को महत्त्व प्रदान किया जाता है। 100 अंकों तथा 6 प्रश्न-पत्रों वाले सिद्धान्त, शिक्षण अभ्यास के तहत विशिष्टीकरण विषय, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य इत्यादि को शामिल किया जाता है।

उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारूप

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर परिषद् ने बल दिया। शिक्षक की अमूर्त चिन्तन, परिपक्वता, तर्कशीलता, क्षमता, सन्दर्भ बिन्दु में परिवर्तन, नैतिक तर्क तथा चुनौतीपूर्ण अभिवृत्ति, अहंबोध आत्मरक्षण, शैक्षिक-सामाजिक कारकों इत्यादि पर बल दिया गया है। शैक्षिक धारा के अन्तर्गत सैद्धान्तिक तथ्य, चयनात्मक तथ्य, शिक्षण अभ्यास, प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम हस्तान्तरण, मूल्यांकन इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

अनुप्रयोगात्मक व्यूह रचना

इस स्तर पर पृथक् बीएड पाठ्यक्रम को आवश्यक माना गया है। कुल विषयों में स्नातकोत्तर उपाधियुक्त बीएड उपाधियों के लिए एक सेतु कार्यक्रमों की भी उनके लिए सम्भव हो सके। पाठ्यक्रम प्रारुप के अन्तर्गत सैद्धान्तिक, शिक्षण संस्तुति की गई है ताकि उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षण क्षमताओं की प्राप्ति अभ्यास प्रायोगिक कार्य इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है।

UGC प्रतिमान पाठ्यक्रम

इसके लिए त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम तथा द्विस्तरीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। आजीविकागत पाठ्यक्रमों के लिए बीएड तथा एमएड जैसे कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करते हुए पृथक् पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। इसमें 20% अंक आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है।

अभ्यास विद्यालय

आधुनिक काल अध्यापकों के सैद्धान्तिक शिक्षा के स्थान पर व्यावहारिक शिक्षा को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। माध्यमिक स्तर के अध्यापकीय तैयारी के सिद्धान्त में एक प्रश्न-पत्र को स्थान दिया जाता है, जो विद्यालय प्रशासन तथा संगठन से सम्बन्धित होता है।

www.studyofeducation.com

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इसे वैकल्पिक विषय के रुप में शामिल किया गया है, लेकिन इस विषय में व्यावहारिक प्रशिक्षण के तहत विशेष प्रयास प्राध्यापक शिक्षा के किसी भी स्तरीय क्रियाकलापों के माध्यम से नहीं किया जाता है।

अभ्यास विद्यालय का महत्त्व निम्न है

- आजीविका की तैयारी के लिए
- नियोजन सम्बन्धी कुशलता प्राप्ति के लिए
- कार्य विभाजा दक्षता प्राप्ति के लिए
- प्रोत्साहन कौशल अनभिज्ञाता के लिए
- समन्वयीकरण दक्षता के लिए
- मूल्यांकन कुशलता प्राप्ति के लिए
- विद्यालय संगठन सम्बन्धी कुशलताओं की प्राप्ति के लिए
- निष्पादन कुशलता में वृद्धि के लिए
- प्रतिबद्धता उन्मुखी अध्यापकीय तैयारी के लिए

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार

वर्तमान समय में व्यक्ति के ज्ञान में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। प्रत्येक दस वर्ष पश्चात् व्यक्ति का ज्ञान दोगुना हो जाता है। शिक्षा एक जीवनपर्यन्त प्रक्रिया है। अत: प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य जीवनपर्यन्त सीखना होना चाहिए। यदि अध्यापक अधिगम में विराम लाता है, तो अध्यापक का पतन है।

www.studyeducation.com

शिक्षा का स्वरुप बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है, जिसका आरम्भ बालक के इस संसार में प्रवेश करने से होता है और अन्त उसके जीवन की समाप्ति पर होता है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सही कहा है "एक अध्यापक सच्चे अर्थों में तब तक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता, जब तक वह स्वयं अध्ययन नहीं करता हो, एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रज्वलित नहीं कर सकता, जब तक वह स्वयं प्रज्वलित न हो।"

अध्यापक शिक्षा को पहले प्राय: पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में जैसे-जैसे अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होता गया, उसमें वैकल्पिक और अनौपचारिक अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट और व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई।

अत: प्रमुख अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है

पूर्व-सेवाकाल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

अध्यापक को शिक्षित-प्रशिक्षित करने के लिए प्रायः अनेकानेक विषयगत ज्ञान एवं अनुभवों को व्यवहत करना होता है। अनेक विषयों; जैसे—इतिहास, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के समुचित ज्ञान के अभाव में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में दक्षता की प्राप्ति में कठिनाई का आना इसकी अन्तर्विषयक प्रकृति के कारण स्वाभाविक ही है।

पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति सचेतनता को विकसित किया जाना जरूरी माना जाता है, वहीं दूसरी ओर भावी अध्यापक/अध्यापिकाओं में शिक्षण दक्षता और प्रतिबद्धता के विकास को भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) नई दिल्ली के द्वारा पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से जिन अध्यापकीय गुणवालियों को समृद्ध करना आवश्यक माना गया है, वे हैं-शिक्षण उद्यमगत दक्षता हेतु प्रतिबद्धता और मान्यता आदि द्वारा अन्तः एवं बाह्य मूल्य विकसित करना, अधिगम साधनों का चयन, संगठन और उपयोग करना, मीडिया तथा अन्य उपयुक्त अनुदेशात्मक तकनीकी का प्रयोग करना, व्यक्तित्व विकास, शोध, मूल्य-प्रतिबद्धता और मूल्य-संचरण के प्रति अनुभूति का विकास करना, संस्कृति और व्यक्ति तथा संस्कृति और शिक्षा के मध्य अन्तर्सम्बन्ध को समझना, समुदाय की महत्त्वाकांक्षा और अपेक्षाओं को समझना आदि। आधुनिक समय में पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक मूल्यांकन व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। पूर्व-सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा यह है कि बिना किसी औपचारिक और बहुआयामी शिक्षण-प्रशिक्षण के अध्यापक या अध्यापिका व्यापक दायित्व एवं कर्त्तव्य भार का पालन करने की शक्ति एवं कुशलता का अर्जन नहीं कर सकते।

www.studyoteducation.com

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने ऐसे पाठ्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की है, जो भारतीय परम्परा और राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि के अनुकूल सिद्ध हो सके। इस पाठ्यक्रम में सिद्धान्त तथा प्रायोगिक दोनों पक्षों के मध्य समाकलन को अधिक आवश्यक माना गया तथा अध्यापकों के लिए बहुविध शैक्षिक अनुभव की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। विभिन्न स्तरीय कार्यक्रम के सन्दर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों का निवारण, विशिष्ट सैद्धान्तिक, व्यावहारिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन आवश्यक माना गया है। विभिन्न स्तरीय कार्यक्रम से तात्पर्य पूर्वबाल्यकालीन स्तर, प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर और उच्च माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमा से है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है

पूर्व बाल्यकालीन स्तर

इस स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत समाकलित बाल- न-विकास योजना (आँगनबाड़ी, दिवसीय देखभाल केन्द्र, बालवाड़ी, राज्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्वैच्छिक संगठन और व्यक्तिगत अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएँ) संवर्द्धन प्रणाली को स्वीकृत किया गया।

इस स्तर पर दिए गए सहयोगात्मक सुझावात्मक पाठ्यक्रम के शामिल किए गए उपागम का वर्णन निम्नलिखित है

सहयोगात्मक (सैद्धान्तिक) उपागम

- आधुनिक भारतीय समाज
- पूर्व बाल्यकालीन शिक्षा-विस्तार क्षेत्र, प्रकृति, प्रस्थिति, समस्याएँ तथा चुनौतियाँ
- बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम, पूर्व-बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम नियोजन, प्रबन्धन
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सौन्दर्यानुभूतिपरक विषयों का विकास
- भाषागत, सामाजिक, नैतिक, तन्त्रिका-पेशीय समन्वय, आत्म-भिव्यक्ति,स्वास्थ्य स्वच्छता सम्बन्धी विधियों का उन्नयन
- निरीक्षण क्रिया-अनुभूति प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित विषयों का विकास

अनुभव जन्य उपागम (प्रायोगिक)

चित्रांकन एवं पेण्टिंग, संगीत, सर्जनात्मक क्रियाकलाप, कहानी कथन, नृत्य-नाटक खेल-शारीरिक क्रियाकलाप, भ्रमण, ब्लॉक तैयार करने से सम्बन्धित खेल, विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए क्रियाकलाप आदि को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया।

संव्यवहारक उपागम (व्यावहारिक)

शिक्षणाभ्यास, स्थापनात्मक कार्य और इण्टर्नशिप एवं प्रायोगिक अनुभव में निरीक्षण, बाल-क्रिया कार्यक्रम नियोजन एवं उन्हें प्रस्तुत करने के कार्यक्रमों को रखा गया।

www.studyofeducation.com

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य आकलन, सत्र या टर्म प्रपत्र, संगोष्ठी, आलोचना समूह आदि में सहभागिता आदि को सैद्धान्तिक पक्षीय मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट किया गया, जोकि मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या वस्तुनिष्ठ प्रकार के सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही व्यवहृत किए जा सकते हैं।

प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर

इस स्तर को परिषद् के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8) को सम्मिलित करते हुए संरचित किया गया और इन दोनों ही स्तरों के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि को प्रारम्भिक स्तर के लिए उपयोगी माना गया। 14-15 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को इस स्तर में रखा गया।

कक्षा एक से पाँच तक के प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य, निम्न ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं

- प्राथमिक स्तरोपयोगी मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भावी अध्यापक/अध्यापिकाओं के मध्य अवबोध का विकास करना।
- उनमें बच्चों के लिए अधिगम अनुभव को संगठित करने हेतु उपयुक्त संसाधनों से उन्हें परिचित कराना।
- बच्चों में जिज्ञासा, कल्पना तथा सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए उन्हें उपयुक्त एवं आवश्यक कौशलों की सम्प्राप्ति सक्षम बनाना।
- सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं के विश्लेषण तथा अवबोध हेतु उनमें क्षमता को विकसित करना।
- भावी अध्यापक/अध्यापिकाओं में सम्प्रेषण कौशल का विकास करना।
- सर्वशिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार समुदाय के साथ पारस्परिक सहयोगात्मक सम्पर्क स्थापन करने में उन्हें कुशल बनाना।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम में निम्नलिरिक्त पक्षो को सम्मिलित किया

www.studyofeducation.com

सायोगात्मक (सैद्धान्तिक) उपागम

- भारतीय विकासशील (उभरता) समाज
- भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रस्थिति मनोविज्ञान समस्याएँ एवं चुनौतियाँ
- बच्चों (6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए शिक्षण और अधिगम का मनोविज्ञान
- आकलन, मूल्यांकन और सुधारात्मक शिक्षण
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा
- विद्यालय-प्रबन्धन
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा
- मार्गदर्शन और परामर्श
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए विषयगत क्षेत्र
- क्रियात्मक अनुसन्धान।

प्रायोगिक उपागम

प्रायोगिक पाठ्यक्रम में, कार्य शिक्षा, विद्यालयीय शिक्षा जिसमें इण्टर्नशिप भी शामिल हो, विद्यालय-समुदाय अन्तःक्रिया, क्रियात्मक शोध अध्ययन (नियोजन और क्रियान्वयन), सम्बन्धित शैक्षिक क्रियाओं के संगठन से सम्बन्धित कार्यों को शामिल किया गया है।

मूल्यांकन

निर्माणात्मक या फार्मेटिव मूल्यांकन का उपयोग इस स्तर की अध्यापक शिक्षा अपरिहार्यता से अभिप्रेरणा की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना सम्भव हो सकता है। बाह्य मूल्यांकन को संशोधनात्मक, अनुकूलात्मक (मॉडरेटिंग) और सन्तुलनात्मक कारक के रूप में व्यवहृत करने की आवश्यकता है।

सैद्धान्तिक भाग हेतु मूल्यांकनावसर पर दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उद्देश्याधारित प्रश्न, मौखिक परीक्षा, विचार-समूह में सहभागिता आदि का उपयोग करना उचित है। निरन्तर और व्यापक मूल्यांकन जिसमें अंकों के स्थान पर बिन्दुक्रम या ग्रेड प्रदान किया जाए, अधिक उपयोगी हो सकता है।

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर कार्यक्रम

माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के निमित्त बी. एड. की उपाधि दी जाती है, चाहे वह प्रारम्भिक वर्ग के लिए हो या सामान्य माध्यमिक वर्ग हेतु या विशिष्ट शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा माध्यम से ही क्यों न प्रदान किया जाता हो। इस स्तर पर कक्षा 9 और 10 के अध्यापक शामिल हैं।

www.studyofeducation.com

सहयोगात्मक (सैद्धान्तिक) उपागम

- उभरता भारतीय समाज
- अध्ययन-अध्यापन का मनोविज्ञान
- भारत में माध्यमिक शिक्षा-प्रस्थिति, समस्याएँ और चुनौतियाँ
- मार्गदर्शन तथा परामर्श
- आकलन, मूल्यांकन तथा सुधारात्मक विकास
- तुलनात्मक शिक्षा
- विद्यालय प्रबन्धन
- क्रियात्मक अनुसन्धान

प्रायोगिक पाठ्यक्रम में, इण्टर्नशिप और विद्यालय दाय आधारित कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्य, सृजनशीलता, और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, कार्य-अनुभव, प्रायोगिक कार्य, शारीरिक शिक्षा-खेलकूद और अन्य विद्यालय-क्रियाएँ, सौन्दर्यानुभूति विकास कार्यक्रम और क्रियाकलाप, क्रियात्मक शोध शामिल है समुदाय और संस्थान के मध्य अंतर क्रिया समुदाय सहयोग द्वारा वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी विद्यालय खेलकूद राष्ट्रीय उत्सव अनुपालन आदि को महत्व दिया गया है|

चयनात्मक पाठ्यक्रम में पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पर्यावरण शिक्षा सनी की शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जनसंख्या शिक्षा शिक्षा

इतिहास और समस्याएं शामिल है इन पाठ्यक्रम में 2 विद्यालय इन विषयों का शिक्षण शास्त्र विश्लेषण विद्यालय शिक्षण अभ्यास प्रतिमान पाठों का निरीक्षण आदि शामिल है मूल्यांकन के लिए अधिगम प्रतिफल के निरंतर को जरुरी कहा गया है चाहे वह सिद्धांत से संबंधित हो या प्रायोगिक कार्य से

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य

- भावी अध्यापक/अध्यापिकाओं में माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और दर्शन को समझने की क्षमता का विकास करना।
- छात्र-मनोविज्ञान अवबोध का उनमें विकास करना।
- समाजीकरण प्रक्रिया-अवबोध विकसित करना।
- इस स्तर के लिए उपयुक्त शिक्षणशास्त्रीय (पैडागॉजी) क्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, उसका प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन से सम्बन्धित दक्षताओं की सम्प्राप्ति हेतु उन्हें तैयार करना।
- माध्यमिक स्तरीय विद्यालयीय विषयों के शिक्षणशास्त्रीय विश्लेषण (पैडागॉजिकल एनालिसिस) के लिए उन्हें सक्षम बनाना।
- मार्गदर्शन और परामर्श देने के कौशल को उनमें विकसित करना।
- ज्ञान की पुनर्संरचना हेतु छात्रों के मध्य सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में उन्हें सक्षम बनाना।

उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों में शारीरिक-मानसिक परिपक्वता की वृद्धि होती है। उनमें तर्क-वितर्क, लक्ष्य निर्धारण, आत्म-चेतना, अमूर्त-चिन्तन और पहचान, साथी-चेतना, नैतिक विचार, परम्परागत एवं रुढ़िवादी विचारों के प्रति चुनौतीपूर्ण व्यवहार, आत्म-प्रदर्शन आदि में विशेष रुपान्तरण होता है। अतः इस स्तर के लिए शैक्षिंक और व्यावसायिक दो प्रकार के पाठ्यक्रम की उपयोगिता को व्यावहारिक माना गया

1. शैक्षिक प्रवाह
2. व्यावसायिक प्रवाह

शैक्षिक प्रवाह

शैक्षिक प्रवाह में पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं

- उभरता भारतीय समाज
- उच्च माध्यमिक शिक्षा-प्रस्थिति, समस्याएँ और चुनौतियाँ

www.studyofeducation.com

- अध्ययन-अध्यापन मनोविज्ञान पाठ्यक्रम
- व्यावहारिक कार्य तथा मूल्यांकन
- अनुसन्धान विधि
- 10 + 2 स्तर पर किसी एक विषय की अध्यापन विधि।

प्रायोगिक पाठ्यक्रम में, इण्टर्नशिप तथा विद्यालय अनुभव, विधि तथा विषय वस्तुगत योजना कार्य, क्षेत्र सम्बन्धित सत्रीय तथा प्रायोगिक कार्य, क्रियात्मक अनुसन्धान, क्षेत्रीय कार्य, छात्र तथा शारीरिक शिक्षा क्रियायोजन, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, विद्यालय-समुदाय सम्बन्ध, विद्यालय विकास योजना, ग्रन्थालय प्रयोगशाला कार्य, अनुदेशात्मक तकनीकी निर्माण आदि शामिल हैं।

चयनात्मक कार्यक्रम मे, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षा इतिहास और समस्याएँ, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक प्रबन्धन, नियोजन और अर्थतन्त्र, शिक्षा में नवाचार, शारीरिक शिक्षा, संगणक शिक्षा शामिल है। इन कार्यक्रमों में से किसी भी एक का चयन करना अपेक्षित है।

शिक्षण अभ्यास पाठ्यकम मे 10+2 स्तर पर किसी भी विषय का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण शामिल है। मूल्यांकन क्षेत्र मे बहुविध उपागम को उपयुक्त कहा गया। बहुविष उपागम में वार्षिक, आन्तरिक और बाह्य तीनों ही रूप में निरन्तरता के साथ अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण आदि के उपयोग की व्यवस्था को आवश्यक माना गया। निबन्धात्मक प्रश्नों को सीमित मात्रा में प्रयोग करने को कहा गया। प्रायोगिक कार्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सत्रीय कार्य, परीक्षण निर्माण, विविध क्रियाकलाप प्रतिवेदन आदि का मूल्यांकन आन्तरिक ढंग से किया जाना चाहिए तथा निरन्तर प्रतिपुष्टि की व्यवस्था उस पर होनी चाहिए।

www.studyofeducation.com

शैक्षिक प्रवाह के उद्देश्य

- भावी अध्यापक/ अध्यापिकाओं में शैक्षिक प्रवाह की प्रकृति, उद्देश्य, दर्शन आदि के प्रति अवबोध विकसित करना।
- पाठ्यक्रम निर्माण,प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन हेतु आवश्यक दक्षता और कौशल विकास हेतु प्रयत्न करना।
- कठिन और जटिल विचारों का सम्प्रेषण करना।
- छात्रों को उच्च स्तरीय और स्व-अध्ययन करने एवं ग्रन्थालय प्रयोगशाला तथा कौशलों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना।
- छात्रों को अमूर्त, रचनात्मक तथा आलोचनात्मक चिन्तन के लिए सक्षम बनाना।
- ज्ञान-पुनर्संरचना एवं अनुभव-निर्माण के लिए उन्हें सक्षम बनाना।
- उन्हें विभिन्न प्रकार के परीक्षण निर्माण तथा उनके परीक्षण के लिए योग्य बनाना।
- उनमें शैक्षिक रुचि और मूल्यों को विकसित करना आदि प्रमुख उद्देश्य हैं।

व्यावसायिक प्रवाह

व्यावसायिक विषयों के शिक्षण हेतु इस स्तर पर अध्यापक/अध्यापिकाओं को तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रवाह को संस्तुत किया गया।

शैक्षिक प्रवाह पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं

- उभरता भारतीय समाज
- व्यावसायिक समस्या और चुनौतियाँ
- अध्ययन-अध्यापन मनोविज्ञान तथा व्यावसायिक दक्षता का विकास,
- एण्टरप्रेनरशिप या संस्थानिक आयोजन, संगठनात्मक व्यवहार
- प्रबन्धन, प्रोजेक्ट निर्माण, बाजारीकरण और विज्ञापन, संगणक शिक्षा।

प्रायोगिक पाठ्यक्रम में, एप्रेण्टिसशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्यशाला अभ्यास आदि का संगठन, व्यावसायिक प्रोजेक्ट, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित प्रोजेक्ट निर्माण और अनुप्रयोग, विज्ञापन करना, बाजारीकरण करना, प्रारम्भिक अर्थतन्त्रात्मक प्रबन्ध करना, संगणक कार्योपयोग करना आदि शामिल हैं।

शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, किसी व्यापार या व्यवसाय के बारे में सैद्धान्तिक जानकारी प्रदान करना, किसी व्यापार या व्यवसाय में कौशल एवं क्षमता आदि का विकास करना, शिक्षण-कार्यशाला अभ्यास आदि आते हैं। पाठ्यक्रम प्रस्तुतीकरण के लिए वास्तविक कार्यशाला गत अभ्यास को व्यावसायिक प्रवाह में अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कार्य स्थिति में शिक्षण अभ्यास, प्रदर्शन, प्रयोगशाला कार्यशाला प्रविधि व्यवसायिक प्रोजेक्ट निर्माण और अनुप्रयोग आदि के माध्यम से प्रस्तुतीकरण को आवश्यक पाया गया। मूल्यांकन के अन्तर्गत, सैद्धान्तिक पक्ष का मूल्यांकन तो शैक्षिक समान किया जा सकता है, लेकिन प्रायोगिक कार्य और शिक्षण अभ्यासक मूल्यांका अवश्य ही निष्पादन केन्द्रित हो, यह आवश्यक है। व्यवसाय पारकों के लिए यह प्रवाह सुनिश्चित है।

व्यवसाय प्रवाह के उद्देश्य

- व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं दर्शन भारतीय सन्दर्भ में उसकी सार्थकता को भावी अध्यापक/अध्यापिकाओं के मध्य स्पष्ट करना |
- आवश्यक ज्ञान प्रदान करने आवश्यक कौशल दक्षता विकसित करने के लिए अध्यापक/अध्यापिका में योग्यता का
- विकास करना।
- अध्यापक/अध्यापिका में सफल होने हेतु आवश्यक और मूल्यों विकास करना।
- अध्यापक/अध्यापिका में स्वरोजगार प्राप्त करने की शक्ति का विकास करना
- छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास करने की क्षमता का उन्नयन करना

www.studyoeducation.com

सेवारत प्रशिक्षण (आन दी जॉब ट्रेनिंग) और प्रशिक्षण कार्यक्रम (अपरेंटिस प्रोग्राम) को संगठित एवं व्यवस्थित करने की कुशलता का विकास उनमें करना आदि |

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत् अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण या पुनश्चर्या कार्यक्रमों को संचालित एवं व्यवस्थित करते हुए उनकी कार्य-क्षमता और कुशलता में वृद्धि हेतु प्रयत्न किया जा सकता है। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को भी शिक्षा के समान एक जीवन व्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया। अत: सेवाकालीन अध्यापक शिक्ष को भी अपरिहार्य एवं सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अविच्छेद्य अंग के रुप में देखा जाने लगा। अध्यापकों का उद्यमगत विकास सेवापूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रारम्भ होता है और उसका निरन्तर नवीनीकरण सेवाकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। साथ ही कौशलगत दक्षताओं में उन्नयन भी हो पाता है।

सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के उद्देश्य

सेवारत् अध्यापक शिक्षा का नियोजन निःसन्देह एक अर्थ पूर्ण सतत् विकास की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अध्यापक के व्यवहारों में वांछित दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं

- शिक्षा की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए नए-नए उद्दीपनों को प्रदान करना।
- अध्यापकों को अपनी समस्याओं के प्रति जानकारी प्रदान करना तथा उनको हल करने के लिए उनके ज्ञान एवं बोध का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना।
- प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों के उपयोग में सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा में हो रही नए शिक्षण प्रविधियों आविष्कारों से सेवारत् अध्यापक को अवगत कराना।
- अध्यापक के मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना
- सेवारत अध्यापकों का मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मूलभूत नियम

यह आवश्यक है कि सेवारत् अध्यापक-शिक्षा के प्रत्यय के उन नियमों को समझा जाए, जो इस कार्यक्रम के नियोजन में सहायता प्रदान करते हैं तथा उन नियमों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं को समझा जाए, जिस पर इसकी सफलता आधारित होती है।

कुछ नियमों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है

www.studyofeducation.com

- सेवारत् अध्यापक-शिक्षा एवं पूर्व सेवारत् अध्यापक शिक्षा में अन्तर पाया जाता है।
- सेवारत् अध्यापक शिक्षा एक प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा है। इस प्रकार प्रौढ़ अधिगम के नियम, अभिप्रेरणा, जोकि उनके व्यवहारों को परिवर्तित करते हैं, उन नियमों, सिद्धान्तों का प्रयोग सेवारत् अध्यापकों के सफल व्यावसायिक जीवन के लिए किया जाता है।
- विशिष्ट उद्देश्यों का उपयोग सेवारत् अध्यापक शिक्षा के लिए निर्देशन के रूप में किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शैक्षिक सामग्री मूल्यांकन प्रविधियों आदि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में . सहायक होते हैं।
- सेवारत् अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम शिक्षा जगत् को तभी अत्याधुनिक बना सकता है, जब यह स्वयं गतिशील रहे।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता

- अध्यापकों के व्यावसायिक जीवन में प्रशिक्षण की व्यवस्था का नियोजन योजनाबद्ध एवं क्रमिक रूप से किया जाता है।
- शैक्षिक विस्तार के द्वारा अध्यापकों की गुणवत्ता में विकास करना।
- अध्यापकों को सेवापूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा दी गई शिक्षा उनके व्यावसायिक जीवन में उचित एवं पर्याप्त ढंग से प्रयोग नहीं हो पाती है।
- मानवीय व्यवहारों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिसमें नित्य नए-नए परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा निरन्तर उन परिवर्तनों से भली-भाँति परिचित होती रहे।

- इन नए आविष्कारों एवं सुधारों का शैक्षिक परिवेश में उपयोग आवश्यक है। परिवर्तन के फलस्वरुप शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, अनुदेशन सामग्रियों के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को आवश्यक रुप से अत्याधुनिक एवं गतिशील बनाया जा सकता है। शिक्षा के विस्तार द्वारा सेवारत् अध्यापकों एवं अन्य को उनके अपेक्षित व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है।
- शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए, अन्य विषय क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से सेवारत् अध्यापक के गुणों में विकास एवं परिवर्तन करना चाहिए। इसके लिए अध्यापकों के कौशल, प्रवणता, अभिरुचियों में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के निम्न वर्गों में बाँटकर देखा जा सकता है

दीर्घकालीन कार्यक्रम

नियमित या अनियमित किसी भी रुप में एक या अधिक वर्षीय शैक्षिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। भाषा, परामर्श, मार्गदर्शन, वित्तीय प्रबन्धन, मानवाधिकार आदि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के विषय हो सकते हैं।

अल्पकालीन कार्यक्रम

www.studyofeducation.com

इसके अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन, दिशा-निर्देशन तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि आते हैं, जिनमें कम अवधि में उन्नत स्तरीय जानकारी प्रदान करना सम्भव हो सकता है।

स्तरित प्रतिमान/कैस्केड मॉडल

इसमें द्वि या त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से अधिक संख्या में अध्यापकों को शिक्षित-प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रथम स्तर में जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें प्रमुख संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। आगे चलकर संसाधन व्यक्तियों को द्वितीय स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं। पुनः इन संसाधन व्यक्तियों के द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास किया जाता है।

इस त्रिस्तरीय प्रणाली में यद्यपि कम समय तथा अधिक संख्या में अध्यापकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर पाना सम्भव हो पाता है, लेकिन एक से अन्य स्तरों तक ज्ञान तथा सूचनाओं के चलन काल में उसकी गुणवत्ता स्तर में कमी आने का भय अवश्य बना रहता है।

अध्ययन-वृत्त

अध्ययन समूह या वृत्त के माध्यम से सभा विचार-विमर्श, समस्या मूल्यांकन तथा समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन, सेवाकालीन क्रियाकलापों से सम्बन्धित पाठ्य-सामग्री का निर्माण, अध्ययन सामग्री निर्माण आदि सम्पन्न किए जा सकते हैं।

व्यूह-रचनाएँ

अध्यापक शिक्षा के सेवाकालीन कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार की व्यूह-रचनाओं को स्थान दिया जा सकता है। व्यूह-रचना का चयन कार्योद्देश्य (Theme), कार्यक्रमावधि, प्रतिभागीगणों की पृष्ठभूमि, संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धि के साथ ही अवलम्ब सामग्री तथा प्रशिक्षण तकनीकी उपलब्धि आदि को ध्यान रखते हुए किया जाता है।

व्याख्यान सह-आलोचना, योजना कार्य, ग्रन्थालयीय कार्य, सामूहिक अन्तःक्रिया तथा क्षेत्रीय यात्रा आदि व्यूह-रचनाएँ प्रयुक्त की जा सकती हैं।

ऑन-साइट या स्वस्थान कार्यक्रम

प्रायः प्रशिक्षण के लिए जिला, राज्य या राष्ट्र स्तरीय संस्थानों में अध्यापकों को जाना होता है जिसे ऑफ साइट या दूर-स्थान उपागम कहा जाता है। इसमें उन्हें अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अवकाश, यात्रा-व्यय कक्षा-व्यवधान, पाठ्यक्रम समापन में कठिनाई आदि प्रमुख हैं। इस हेतु ऑन-साइट या स्वस्थान उपागम को आवश्यक माना गया जिसमें विद्यालय में ही, जहाँ अध्यापकगण कार्यरत् होते हैं, विशेष सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन करने की व्यवस्था की जाती है।

www.studyofeducation.com

लक्ष्य समूह विस्तार कार्यक्रम

प्राय: सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन अध्यापकों के लिए किया जाता है, लेकिन इस लक्ष्य समूह के विस्तारण उपागम में प्रधानाध्यापक, प्रधान-शिक्षक, निरीक्षण कर्मचारी आदि के साथ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रीय अध्यापक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों के कार्यकर्ताओं तथा शारीरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा आदि से सम्बन्धित कर्मचारी तथा अध्यापकों के लिए भी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अध्यापक-शिक्षकों के लिए भी प्रत्येक स्तर (पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक) पर सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना जरुरी है, जहाँ उपयोगी अवलम्ब जानी चाहिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना आवश्यक है, जहाँ उपयोगी अवलम्ब सामग्री तथा शोध अध्ययन सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

निरीक्षक, प्रशासक, अध्यापक आदि के अतिरिक्त जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच आदि, जो प्राथमिक स्तरीय शिक्षा से जुड़े होते हैं, के प्रशिक्षण हेतु भी प्रबन्ध का होना जरुरी है। ग्रन्थालयी हॉस्टल या छात्रावास अधीक्षक के लिए उद्यमगत दक्षता वृद्धि हेतु भी सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

www.studyofeducation.com

विस्तार सेवा विभाग तथा सतत् शिक्षा केन्द्र

वर्ष 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने सेवारत अध्यापकों के लिए सुनियोजित और सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया और इस हेतु विस्तार सेवा केन्द्रों को स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया। इन केन्द्रों को देश के चयनित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1964 में शिक्षा आयोग ने ग्रीष्मकालीन संस्था और 4-5 वर्षों में एक बार सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम को ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके पश्चात् देश में 104 शिक्षा महाविद्यालयों में सम्पूर्ण विस्तार सेवा विभागों या केन्द्रों की स्थापना की गई। वर्ष 1959 में परिषद् का कार्य शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा ग्रहण किया गया। अत: एक नवीन विभाग माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय की स्थापना हुई तथा विस्तार सेवा कार्यक्रम का संचालन सुचारु रुप से करना सम्भव हो सके। इस निदेशालय के सन्दर्भ में ही सितम्बर, 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की स्थापना की गई। वर्ष 1962 में 15 नए विस्तार विभागों को स्थापित किया गया। लघु इकाई को विस्तार इकाई कहा गया और बड़े केन्द्रों को विस्तार सेवा विभाग।

विस्तार सेवा विभाग का उद्देश्य

पुनः दिशा-निर्देशन करना, शैक्षिक गतिशीलता और कार्यक्रम प्रतिभागिता को बढ़ाना पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सहभागिता जिससे; जैसे-संगोष्ठी, सम्मेलन, नवीन विषय-वस्तु तथा शिक्षण विधि एवं तकनीकों के साथ निरन्तर परिचय प्राप्त हो सके, अवकाश काल का सदुपयोग करते हुए नवीन ज्ञान और अद्यतन शैक्षिक अनुभवों से परिचित होना, शैक्षिक एवं उद्यमगत योग्यताओं में वृद्धि करना, निष्पादनगत कुशलताओं में वृद्धि करना आदि प्रमुख उद्देश्य थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों ने परस्पर मिलकर अध्यापक, विशेषत: विज्ञान अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थायोजन किया, जिसकी अवधि छः सप्ताह तक की होती थी। सतत शिक्षा केन्द्र इसके विपरीत दीर्घकालीन पाठ्यक्रम संचालित करने का केन्द्र होता है। मूलतः शिक्षा को निरन्तर चालित किए जाने के लिए ही सतत् शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

विशिष्ट अध्यापकीय तैयारी

विशिष्ट अध्यापक वर्ग के अन्तर्गत प्रायः कला, हस्तकला, भौतिक तथा गृह विज्ञान शिक्षण और व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षण अध्यापकीय तैयारी को सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र वर्ग के लिए भी अध्यापकीय तैयारी तथा शारीरिक शिक्षा हेतु अध्यापकीय तैयारी को भी विशेष वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

तकनीकी और व्यावसायिक अध्यापकीय तैयारी

उच्च माध्यमिक स्तर पर इस विशिष्टीकृत क्षेत्र में अध्यापकीय तैयारी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की ओर से रोजगार परक, उपयोगी, व्यावहारिक, नियन्त्रणाधीन, उच्च आर्थिक मूल्य युक्त, सेवायोजन, सत्तानुकूल तथा मध्यस्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। व्यावसायिक विषय के सन्दर्भ में दक्ष अध्यापक के लिए प्रबन्ध ज्ञान, एण्टरप्रेन्योरशिप के साथ ही संगठनात्मक व्यवहारगत जानकारी का होना कौशल मूलक,आवश्यक माना गया है। तकनीक के अन्तर्गत प्रदर्शन, एप्रेण्टिसशिप, प्रयोगशाला एवं कार्यशाला प्रविधि, योजना निर्माण आदि को अधिक उपयोगी और व्यावहारिक माना गया।

www.studyeducation.com

सेवाकालीन शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ

वर्तमान में सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में अत्यधिक दोष हैं। यह सफलतापूर्वक नियोजन नहीं कर पा रहा है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा की निम्न प्रकार की समस्याएं हैं

- उद्दीपकों की कमी होना
- प्रेरणा की कमी होना
- इच्छाशक्ति की कमी होना
- अनुपयुक्त पाठ्यक्रम
- वित्तीय कठिनाई होना होना
- अनुवर्ती कार्यक्रमों की कमी होना
- अनुपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना
- अपर्याप्त पाठ्यक्रम
- अपर्याप्त सुविधा या समस्या के स्रोत का अभाव होना

- अध्यापकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण होना
- प्रशासकीय समस्याएँ होना
- संस्थागत समस्याएँ होना
- उद्देश्यों के विशिष्टीकरण की कमी
- सेवारत् अध्यापक शिक्षा एवं संस्था के सम्बन्धों में आवश्यक कमी होना।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव

www.studyofeducation.com

सेवारत् शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण के लिए दीर्घ अवधि की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित संवेदनशील प्रयास इस समस्या को सुलझाने का काम दीर्घकाल में कर सकते हैं

- सतत् अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक स्तर पर की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्था से पूर्व की शिक्षा एवं संघ से पूर्व की शिक्षा लम्बे पैमाने पर नियोजित की जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत नीति का प्रयोग करके प्रत्येक सेवारत् अध्यापकों के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि की जा सकती है। साधनों की अल्पताओं का विशेष ध्यान रखते हुए अध्यापकों के लिए प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि निरन्तर तीन माह के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष बाद होना चाहिए।
- एन. सी. ई. आर. टी. ने प्रत्येक राज्य को कुछ वैज्ञानिक सुझाव दिए, जिसके द्वारा सतत् शिक्षा के लिए तीन श्रेणियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम श्रेणी में अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी में माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा तृतीय एवं अन्तिम श्रेणी में प्राध्यापकों के शिक्षा की व्यवस्था कुछ विशेष विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए।
- विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरुप भिन्न होना चाहिए। सतत् शिक्षा का कार्यक्रम इस सबके लिए परिवर्तित होना चाहिए। सतत् शिक्षा का नियोजन एक व्यापक रुप में होना चाहिए, जिसका आधार विद्यालय की आवश्यकता, अध्यापकों की आवश्यकता, निकटतम भविष्य में सम्भावित विकास होना चाहिए।
- सतत् शिक्षा में गहराई से चिन्तन करने एवं विचारों को व्यावहारिक करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- पूर्व सेवारत् अध्यापक एवं सेवारत् अध्यापक के मध्य एक सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए।

- प्रसार सेवा का विस्तार किया जाए और अधिकतम अध्यापकों को सम्मिलित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार के नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा विद्यालयों में प्रसार-सेवा विभाग खोले जाएँ।
- प्रसार सेवा विभाग, राज्य संस्थान, राज्य स्तर के विभाग आदि विभिन्न शिक्षा एजेन्सियों का आपस में सहयोग आवश्यक है।

दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

दूरस्थ शिक्षा एक वैकल्पिक शिक्षा पद्धति है, जिसका उपयोग अधिगमकर्ता में, वृद्धि करने में, ज्ञान के क्षेत्र में, विस्फोट करने में, औपचारिक शिक्षा क्षेत्र की सीमितता, शिक्षाकांक्षा में वृद्धि करने में असाक्षरता की कमी लाने में और सर्वशिक्षा अभियान को सफलता सुनिश्चित करने में किया जाता है।

औपचारिक माध्यम की सीमित क्षमता के कारण प्राय:अनेक छात्रों को शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाना पड़ता है, जो छात्र प्रवेश परीक्षा आदि में उत्तीर्ण स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें भी औपचारिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जबकि शिक्षा प्राप्ति हेतु महत्त्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। बहुमाध्यम या मल्टीपल मीडिया (जैसे-स्वाध्याय सामग्री, श्रव्य-दृश्य उपकरण, अल्पावधि वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम आदि) का उपयोग करते हुए इस पद्धति में दूर स्थान में रहकर भी अधिगमकर्ता अधिगम करने में सक्षम हो पाते हैं। इसे प्रभावी बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के द्वारा जिन तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक माना गया,

- अधिगम सामग्री और दत्त कार्य आदि को उच्च स्तरीय बनाना और प्रेषित करना।
- व्यवस्थित ढंग से वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम को संगठित और संचालित करना।
- आकाशवाणी, दूरदर्शन और संगणकीय कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना।
- शिक्षण सहायक सामग्री, तकनीकी उपकरण, दूर सम्मेलन या टेली कॉन्फ्रेन्सिंग आदि का समुचित प्रयोग करना।
- शैक्षिक परामर्श की व्यवस्था करना तथा प्रादेशिक केन्द्र, अध्ययन केन्द्र आदि में संसाधन व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रबन्ध करना आदि।

दूरस्थ माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अध्यापक शिक्षकों में उपरोक्त योग्यता, क्षमता तथा कुशलताओं का होना आवश्यक है, जिससे वे दूरस्थ छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं के साथ न्याय कर सकें। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के द्वारा विगत वर्षों में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम सामग्री तथा सम्प्रेषण व्यूह-रचनाओं का निर्माण किया गया है। सैद्धान्तिक पक्ष के लिए विशेष व्यवधान नहीं है, लेकिन व्यावहारिक विद्यालयीय अनुभव से सम्बन्धित पक्ष के लिए सम्पर्क कार्यक्रम तथा शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था औपचारिक व्यवस्था के अनुरुप ही किया जाना आवश्यक माना गया है।

www.studyofeducation.com

अध्यापक शिक्षा हेतु दूरवर्ती शिक्षा

वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा हेतु दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है, परन्तु इसे अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तक की विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएँ भी मान्यता नहीं देती हैं। दूरवर्ती शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण हेतु प्रणाली के रुप में प्रभावी हो सकती है, यदि सेवा अध्यापकों को दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण अवसर दिया जाता है। इसके द्वारा उनके व्यावसायिक कार्यों में कौशल का विकास होता है और अपने उत्तरदायित्वों एवं भूमिकाओं की जानकारी होती है।

एक गम्भीर प्रश्न यह उठाया जाता है कि क्या दूरवर्ती शिक्षा का कैरियर अभी तक उभरकर आया है? तब उत्तर दिया जाता है कि नहीं। दूरवर्ती शिक्षा शिक्षाविदों और गैर-शिक्षकों को आकर्षित भले ही कर ले, किन्तु उन्हें दीर्घकाल तक रोक पाना सफल नहीं हो पा रहा है। दूरवर्ती शिक्षा अनुभवों में सफलता से वे मौलिक व्यवसाय को, जहाँ से वे आए थे, वापस लौट सकते हैं। ऐसी सम्भावनाएँ शिक्षा, प्रसारण, शैक्षिक दूरदर्शन, प्रकाशन, मुद्रण, शैक्षिक संचार इत्यादि के क्षेत्रों में खुली हुई हैं। यद्यपि वैकल्पिक प्रणाली के रूप में लागू की गई दूरवर्ती शिक्षा पद्धतियाँ स्थायी रुप से स्थित हुई हैं। निश्चित ही सम्बन्धित शैक्षिक और गैर-शैक्षिक जनसमूह अपने मूल व्यावसायिक व दूरवर्ती शिक्षा पद्धतियों द्वारा प्रस्तुत रुचियों के मध्य के जिस संक्रमण काल में आसन्न है, वह अभी की जारी है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दूरवर्ती शिक्षा कैरियर के रुप में विकसित हो रही है।

दूरस्थ अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

दूरस्थ अध्यापक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण अनेक प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है; जैसे-दूरस्थ शिक्षाविदों को दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी प्रकृति के बारे में समझने में सक्षम बनाना, उनमें स्वाध्याय और स्व-अनुदेशनात्मक सामग्रियों की निर्माण तकनीक को विकसित करना, स्वगतिपूर्वक अधिगम के लिए सुविधा प्रदान करना, स्व-मूल्यांकन या आकलन की प्रवृत्ति को विकसित करना, वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रमों को आयोजित एवं संचालित करने में दक्षता का विकास करना, अधिगम संस्थानों की पहचान और उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, औपचारिक प्रणाली के साथ स्वस्थ सम्बन्ध का निर्माण करते हुए दूरस्थ प्रणाली को राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास के लिए एक प्रभावकारी माध्यम का रुप प्रदान करने की क्षमता का विकास करना,विविध अन्तक्रियात्मक तकनीकी प्रबन्ध को प्रयुक्त करना और उन्हें दत्त कार्य आदि को निर्दिष्ट करने, प्रयुक्त करने एवं उनका मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाना आदि।

दूरवर्ती अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रक्रिया

दूरवर्ती अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्य के क्रिया-कलापों का सम्बन्ध है। मुख्य रुप से दो प्रकार के लोग कार्यक्रम में संलग्न हैं प्रथम, वे लोग जो प्रशिक्षित किए जाने हैं; दूसरे, वे लोग जो प्रशिक्षण देंगे। दूरवर्ती अध्यापकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है

- व्यावसायिक प्रशिक्षार्थी

www.studyofeducation.com

- गैर-व्यावसायिक प्रशिक्षार्थी
- दूरव अध्यापक योग्यता हेतु प्रशिक्षण
- स्रोत कर्मचारी वर्ग का विकास

व्यावसायिक प्रशिक्षार्थी

व्यावसायिकों में कर्मचारी वर्ग की कतिपय स्पष्टतः श्रेणियों की पहचान कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक श्रेणी को अपनी व कार्य आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं

- इस प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत् नियोजक व प्रशासक हैं।
- सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम-नियोजक, पाठ्यक्रम विकास करने वाले, पाठ्यक्रम लेखक, सम्पादक, समालोचक, पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता, शिक्षक सलाहकार, मूल्यांकनकर्ता रेखांकन कलाकार सम्मिलित किए जाते हैं।
- श्रव्य सामग्री निर्माता, आलेखक, मूल्यांकनकर्ता विशेष प्रभावोत्पादक कर्मचारी शामिल हैं।
- दृश्य-निर्माता, आलेखक, नियोजक विशेष प्रभावोत्पादक कर्मचारी मूल्यांकनकर्ता होते हैं।
- शैक्षिक तकनीकीविद् भिन्न प्रकार के तकनीकी कर्मचारी का समन्वय करने वाले विशेषज्ञ होते हैं।

दूरस्थ अध्यापक शिक्षा के उपयोग

सर्व-शिक्षा अभियान और सबके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कारण आज कहीं अधिक प्रशिक्षित और दक्ष अध्यापकों की आवश्यकता है, जिसे दूरस्थ अध्यापक शिक्षा द्वारा पूर्ण किया जा सकता है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की देख-रेख में यदि मान्यता और स्वीकृति के आधार पर दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान कार्य करते हैं, तो अवश्य ही स्तर नियन्त्रण कठिन नहीं रहेगा।
दूरस्थ शिक्षा में अधिगम सामग्री आदि से स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जबकि प्रणाली उपागम के प्रयोग से गुणवत्ता नियन्त्रण करना सरल होगा।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के अधीन कार्यरत पाँच प्रादेशिक अध्यापक शिक्षा संस्थान के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सेवाकालीन कार्यक्रमों के साथ ही सेवापूर्व कार्यक्रमों के लिए भी समान रुप से उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

दूरवर्ती शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं

कार्यक्रम के क्षेत्र का मापन करना

www.studyofeducation.com

प्रथमतः प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को उस कार्यक्रम क्षेत्र का परिमाप तथा मापनकर लेना चाहिए, जिसके लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को उस मापक व क्षेत्र से पर्याप्त एवं उचित रुप से समानता होनी चाहिए। एकमात्र लक्ष्य विशेषता वाली दूरवर्ती शिक्षा परियोजना हेतु उसमें जुड़े कर्मचारी वर्ग को अपने कार्यों को सन्तोषजनक रुप से सम्पादन हेतु कार्यक्रम बनाने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्याप्त हो सकता है।

व्यक्ति और संस्था दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति

भाग लेने वाले व्यक्ति तथा संस्था दोनों की आवश्यकताओं का पोषण होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सदैव ही संस्था के लिए दूरवर्ती शिक्षा पद्धति को पुष्ट बनाने अथवा इस पद्धति में परिवर्तित तथा सुधार लाने के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। पुष्टिकरण तथा परिवर्तन के निर्माणकर्ता वह व्यक्ति ही होते हैं, जो प्रशिक्षण के लिए आगे आते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यक्तियों की भी सन्तुष्टि होनी चाहिए। कुल मिलाकर संस्था तथा देश की आवश्यकताएँ ही लक्ष्य की पूर्ति कर सकती हैं।

कार्यक्रम के लघु तथा दीर्घकालीन लाभ

दूसरा विचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लघु एवं दीर्घकालीन लाभों का है। सम्भव है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्तर एवं क्षेत्र उस पर सीमित उद्देश्य एवं क्रियाएँ थोप दें, तथापि सावधानी यह लेनी चाहिए कि सीमित क्षेत्र का कार्यक्रम जितना वह दे पाता है, उसके परे भी आगे कार्य करने के लिए उचित उत्प्रेरणा प्रदान करें। इसके विपरीत विस्तृत क्षेत्र के कार्यक्रम को तात्कालिक आवश्यकता एवं उपयोगिताओं पर बल देना चाहिए।

स्वीकार्य तथा वांछनीय व्यवहार के आदर्श को प्रस्तुत करना

प्रभावी कार्यक्षेत्र को समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण को दूरवर्ती शिक्षकों से अपेक्षित स्वीकार्य तथा व्यवहार शैली के आदर्श प्रस्तुत करने प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार को बदलना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति उन विशेषताओं को जिसके विषय में पढ़ाया जाता है। व्यवहार करके ही की जा सकती है-यह अपने संघटकों के क्रमबद्ध, सुनियोजित, कुशल रुप से प्रबन्धित होना चाहिए तथा प्रशिक्षार्थियों के लिए जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षक को प्रशंसात्मक व्यवहार करना चाहिए।

भूतकालिक क्रियाओं/घटनाओं को भविष्य से जोड़ना

प्रशिक्षण को जीवन में एक बार का प्रकरण नहीं होना चाहिए, इसकी इससे पूर्व प्रशिक्षण अवसरों से श्रृंखला जोड़नी चाहिए तथा अन्य प्रशिक्षण अवसरों से सम्भावना को बनाने के लिए, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे मूल्यांकन उपकरण होने चाहिए। इस तरह के दर्शन का अन्तिम परिणाम यह होता है कि इसके प्रतिफल संचयी होते हैं।

www.studyofeducation.com

ओरिएण्टेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यक्रमों को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में एकेडमिक स्टॉफ कॉलेजों का गठन किया है। ये एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज नव-नियुक्त प्राध्यापकों के लिए विशेष अभिकल्पना उन्मुख कार्यक्रम तथा सेवारत् शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

उन्मुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम का उद्देश्य प्राध्यापकों में सामाजिक, बौद्धिक तथा नैतिक वातावरण के माध्यम से स्व-निर्भरता के गुण पैदा करने के साथ-साथ स्व-क्षमता तथा आत्म-विश्वास के गुण पैदा करना है। उन्मुखीकरण कार्यक्रम शिक्षकों को भारतीय समाज की समस्याएँ तथा इनके निदान में शिक्षा की भूमिका तथा उच्च शिक्षा के परीक्षाओं को एक संकल्पना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे देश में उच्च शिक्षा तथा शोध पर आधारित विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं के अनुरोध पर विशेष रिफ्रेशर पाठ्यक्रम (वर्ष 2009-10) के संचालन हेतु विशेषज्ञ समिति की अनुसंशाओं के आलोक में पाँच विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को यूजीसी रिफ्रेशर पाठ्यक्रम केन्द्र के रुप में चिह्नित किया है। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम सेवारत् शिक्षकों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे अपने सहकर्मियों के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करें तथा एक-दूसरे से सीखें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त यह एक ऐसा मंच होगा, जिसके माध्यम से विषय की नवीनताओं तथा तकनीकी अनुकूलताओं को विस्तार दिया जा सकेगा।

www.studyofeducation.com

आयोग इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों की संस्थाओं को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे सम्बन्धित व्यक्तियों, सहभागियों, पुस्तकों/सामग्रियों अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त स्टॉफ इत्यादि का खर्च कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुरुप वहन किया जा सके।

सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन संव्यवहारपरक उपागम

सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा का ज्ञान शिक्षकों में व्यावसायिक ज्ञान, अबोध, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों तथा मूल्यों को आवृत्त करने के साथ-साथ अध्यापक को कार्याभिमुखी बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित होता है। इसका विकास अध्यापकों में कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों के मूल्यों से की जाती है। अतः सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों के संगठन संव्यवहारपरक उपागम में प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभव जन्य अधिगम का उल्लेख इस प्रकार हैं
अध्यापक शिक्षा : पाठ्यचर्या तथा कार्यक्रम

प्रतिपादक

प्रतिपादक उपागम में निम्न तथ्यों को समावेशित किया जाना महत्त्वपूर्ण होता है प्रतिपादक उपागम अध्यापक के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण की मौलिक अवधारणाओं को समावेशित करता है।

- बाल विकास के सैद्धान्तिक अधिगम तथा सिद्धान्तों के समस्त आधुनिक तथा सम्पूर्ण स्वरुप का निर्धारण करना।
- बच्चों के भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सौन्दर्य बोध ज्ञानों का समावेश करना।
- शिक्षक पाठ्यक्रमों के अनुकूल शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कौशल का अधिगम।
- शिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्धारण सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रुप से पोषण करने वाली होना।
- बाल मनोविज्ञान, बच्चों की सृजनात्मकता, विद्यालय तथा घर के मध्य मधुर सम्बन्ध विकसित करने की दक्षता का निर्धारण आदि।

सहयोगात्मक

सहयोगात्मक उपागम में निम्न बिन्दुओं को देखा जा सकता है

- आधुनिक भारतीय समाज, संस्कृतियों को बनाए रखने में सहयोगात्मक (Collaboration) उपागम का निर्धारण करना।
- बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन, प्रबन्धन में अध्यापक के सहयोगात्मक प्रभाव।
- बच्चों के विकास की समझ, अनुभवों का शिक्षण में उदाहरण के माध्यम से प्रकट करने की दक्षता का विकास करना।
- शिक्षण में भाषा ज्ञान आत्म अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य स्वच्छता सम्बन्धी विधियों का उन्नयन करना तथा सहयोगात्मक पहलुओं को समावेशित करना।
- बच्चों की समझ विकसित करने वाली नवीन प्रवृत्तियों का विकास करना, निरीक्षण क्रिया तथा अनुभूति प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों अध्यापन प्रभावी बनाने का प्रयास करना।

अनुभव अन्य अधिगम

अनुभव अन्य अधिगम में निम्न तथ्यों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है

- अध्यापक शिक्षा में व्यवहारपरक कार्यों, उदाहरणों आदि से समझाने को बढ़ावा देना।
- चित्रांकन, पेण्टिग, संगीत, सृजनात्मक क्रियाकलाप कथा-कहानी, भ्रमण जैसी गतिविधियों से अधिगम को बढ़ावा देना।
- शिक्षण अभ्यास, इण्टर्नशिप एवं प्रायोगिक निरीक्षण, बाल केन्द्रित प्रदर्शनी तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

www.studiestoday.com

- वैयक्तिक सामाजिक विकास, शिष्टाचार, समाज की बदलती प्रवृत्तियों को अधिगम में अनुभव के रूप में प्रदर्शित कर उसे प्रभावी बनाना।
- शिक्षण में सुनने व बोलने का अवसर देना, घरेलू भाषा में सुधार करना तथा मातृभाषा की ओर उन्मुख करना और सरलता से प्रकट करने का विकास करना।

सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का उद्देश्य

सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों के संगठन संव्यवहारपरक उपागम के प्रमुख उद्देश्य हैं, जो निम्नलिखित हैं

- भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय मूल्यों व लक्ष्यों का स्पष्टीकरण है, उसे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विकसित करना।
- भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिए समझ बनाना।
- सामाजिक मूल्यों, अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध तथा मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भावी अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को अनुभूतिप्रवण बनाना।
- प्रभावी अध्यापक और अध्यापकीय कार्यों को करने के लिए दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षण उद्यमी के रुप में कुशल अध्यापकों का विकास करना।
- प्रभावकारी अध्यापक बनने के लिए आवश्यक दक्षता तथा कौशल आदि को विकसित करना।
- भावी अध्यापक में प्रबन्धनात्मक तथा संगठनात्मक कौशलों का विकास करना।

www.studyofeducation.com

अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण

अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगों-अध्यापक, छात्र एवं पाठ्यवस्तु में अध्यापक का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयोग्य छात्रगण भी वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते। अच्छी-से-अच्छी पाठ्यवस्तु भी योग्य

अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। अध्यापकगण शिक्षा प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करते हैं। अच्छे अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार परिवर्तन में सहायता प्रदान करते हैं। अध्यापक शिक्षा प्रणाली का केन्द्र होता है तथा समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चारों ओर विचरण करती है।

अध्यापक शिक्षा का तात्पर्य उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है, जो किसी व्यक्ति को अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने में समर्थ बनाते हैं। प्रारम्भ में अध्यापक शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण से जोड़कर देखा जाता था, परन्तु अब अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित दृष्टिकोण में व्यापकता आ गई है तथा अध्यापकों की तैयारी को एक व्यापक अर्थ में स्वीकार करके इसे अध्यापक शिक्षा का नाम दे दिया गया।

अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

अध्यापकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा शिक्षा प्रक्रिया एवं सामाजिक व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उसकी भूमिका का ध्यान रखते हुए अध्यापक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं

- राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना।
- शिक्षा की दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना।
- अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान कराना।
- विषय-वस्तु को ज्ञान प्रदान कराना।
- शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान कराना।
- शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रोत्साहित कराना।
- शैक्षिक माप एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का ज्ञान कराना।
- छात्र निर्देशन एवं परामर्श की क्षमता विकसित कराना।
- पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन की योग्यता विकसित करना।

अध्यापक शिक्षा के सन्दर्भ में पाश्चात्य विद्वान ने भी व्यापक अध्ययन किया है। उन्होंने भी अध्यापन कार्य में अध्यापक की भूमिका को स्वीकार किया है। शुल्मैन, डेंग एवं ल्यूक तथा हैबरमैन ने अध्यापक शिक्षा पर विशेष अध्ययन किया तथा शिक्षा संचालन में अध्यापक की भूमिका को स्वीकार किया। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शुल्मैन की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

अध्यापक शिक्षा के प्रति शुल्मैन के दृष्टिकोण

www.studyofeducation.com

एल.एस. शुल्मैन एक अमेरिकी शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक एवं सुधारक थे। उनका जन्म वर्ष 1930 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। उनका मुख्य कार्य शिक्षण एवं अध्यापक शिक्षा पर ही केन्द्रित था। शुल्मैन का मुख्य कार्य शिक्षा विज्ञान के विषय-वस्तु के ज्ञान पर आधारित था। इसमें अध्यापक को उनके ज्ञान पर विशेष रुप से बल दिया गया। अध्यापक अध्ययन एवं अध्यापन के आकलन करने में शुल्मैन की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही।

वर्ष 1986 में शुल्मैन ने इस बात पर विशेष रुप से बल दिया कि अध्यापक का विषय सम्बन्धित ज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र का ज्ञान दोनों परस्पर विशिष्ट होते हैं। शुल्मैन का मानना था कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम मुख्यत: दो ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने शिक्षाशास्त्र विषय-वस्तु ज्ञान से लोगों को ज्ञात कराया जिसमें विषय-वस्तु ज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र सम्बन्धित ज्ञान सम्मिलित थे।

अध्यापक शिक्षा के प्रारम्भिक अध्ययन में शुल्मैन ने पाठ्यक्रम ज्ञान एवं शैक्षणिक ज्ञान के सन्दर्भ में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। शुल्मैन का मानना है कि प्राकृतिक रुप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, एक अध्यापक के लिए शिक्षा सम्बन्धित विषय-वस्तु ज्ञान विस्तृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभता है। शुल्मैन के अनुसार एक अध्यापक के ज्ञान का मुख्य आधार उसके पास ज्ञान का संग्रह, शैक्षणिक अनुभव एवं पेशेवर अनुभव का होना है। पेशेवर अध्यापन हेतु प्रासंगिक दृष्टिकोण से पेशेवर के सन्दर्भ में सम्बन्धित अध्यापक शिक्षा भी ज्ञान का मुख्य आधार होता है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम भी अध्यापक के ज्ञान का मुख्य आधार होते हैं। अध्यापन कार्य में अध्यापक की भूमिका एक सहायक के रुप में होती है।

शुल्मैन के अनुसार, अध्यापक छात्रगणों की समस्याओं का निदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता बच्चों में अधिगम की क्षमता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। विद्यार्थी अध्यापक की गतिविधियों से प्रभावित होता है इससे विद्यार्थियों में चिन्तन का विकास होता है।

www.studyofeducation.com

वर्ष 1987 में शुल्मैन ने अध्यापकों के अधिकृत विभिन्न प्रकार के ज्ञान को बताया जो उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, इनमें शामिल हैं

- विषय-वस्तु से सम्बन्धित ज्ञान
- सामान्य शिक्षाशास्त्र ज्ञान
- अधिगम एवं अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान सम्बन्धित ज्ञान
- शिक्षाशास्त्र विषय-वस्तु ज्ञान
- शैक्षणिक सन्दर्भ में ज्ञान
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक सिद्धान्त, उद्देश्य एवं लक्ष्य सम्बन्धित ज्ञान
- पाठ्यक्रम ज्ञान
- विवेक का संग्रहण

ज्ञान के सन्दर्भ में शुल्मैन का मानना है कि आँकड़े एवं सूचनाएँ ज्ञान को अधिक समृद्ध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष विषय से सम्बन्धित विषय-वस्तु की जानकारी भी ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है।

विषय की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समझ शिक्षा या अनुभव के द्वारा प्राप्त कुशलता एवं तथ्यों तथा सूचनाओं के माध्यम से एकत्रित जानकारी भी ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जागरुकता या पारिवारिक यश द्वारा प्राप्त तथ्य एवं परिस्थितियों का अनुभव भी ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार हो सकता है।

शुल्मैन के अनुसार ज्ञान का आधार

शुल्मैन के अनुसार, ज्ञान का मुख्य आधार एक ऐसी तकनीक है जो जटिल संगठित एवं असंगठित सूचनाओं को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रयोग की जाती है। सामान्य रुप में ज्ञान के प्रमुख आधार संकेन्द्रित सूचनाओं की भाँति सार्वजनिक पुस्तकालय एवं विशेष विषय के बारे में सम्बन्धित सूचनाएँ डाटाबेस में विद्यमान रहते हैं। ज्ञान के आधार ज्ञान के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अत: यह संग्रहण ही ज्ञान के आधार को अधिक दृढ़ एवं समग्र बनाता है। ज्ञान के वितरण एवं प्रबन्धन में ज्ञान के आधार का उपयोग डाटाबेस के रुप में किया जाता है। ज्ञान के संगठित रुप (कम्प्यूटर प्रणाली में या किसी अन्य संगठित रुप में) में नियम, डाटा, उद्देश्य, आवश्यकताएँ एवं विशिष्टिकृत विद्यमान रहते हैं।

अध्यापक की भूमिका

अध्यापन कार्य में एक अध्यापक की भूमिका रचनात्मक एवं सहयोगात्मक होती है। वह विद्यार्थियों को विशेष ज्ञान से अवगत कराता है। अध्यापक इस तथ्य का पता लगाता है कि विद्यार्थी क्या जानता है साथ ही उसकी पृष्ठभूमि एवं विचारों को भी अवलोकित करता है। अध्यापक उसी के अनुसार विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अध्यापक अधिगमकर्ता को कमजोरी एवं मजबूती की परख करता है।

शुल्मैन के अनुसार, अध्यापक को कमजोर छात्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो छात्र अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें विशेष अवसर प्रदान करना चाहिए। साथ ही ऐसे छात्रों को नियमित रुप से प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक को पाठ्यक्रम के स्रोत एवं विषय-वस्तु के सम्बन्ध में समग्र ज्ञान होना चाहिए। अध्यापकों को तकनीकी ज्ञान से भी अवगत होना चाहिए, ताकि छात्र तकनीक के माध्यम से सूचनाओं को आसानी से प्राप्त कर सके, अनुसन्धान एवं शोध सम्बन्धित कार्य कर सके। समस्याओं के सम्बन्ध में भी ये आधुनिक साधन प्रमुख भूमिका निभाते थे।

अध्यापक शैक्षणिक अधिगमकर्ता एवं विषय-वस्तु ज्ञान का संस्थापक होता है। अध्यापक अपने ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र विकास करता है। शुल्मैन के अनुसार, शिक्षक को ज्ञान से सम्बन्धित सातों गुणों में निपुण होना चाहिए। साथ ही उसे विषय-वस्तु एवं विषय संरचना की भलीभाँति जानकारी होनी चाहिए।

www.studyofeducation.com

शुल्मैन के अनुसार, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है

- साक्षरता प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को नियमित सहायता पहुँचाना।
- समझ को अधिक विस्तृत करना।
- सक्षम विद्यार्थियों को विशेष अनुभव प्राप्त करने में सहायता करना।
- सामाजिकता के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराना।
- अनुसन्धान एवं खोज के प्रति विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना एवं प्रोत्साहित करना।

डेंग एवं ल्यूक के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा के अध्ययन में डेंग एवं ल्यूक ने भी अपना अनुभव विस्तृत किया है। डेंग ने अध्यापक शिक्षा के अध्ययन के अन्तर्गत माना कि अध्यापक "पाठ्यक्रम विषय-वस्तु का ज्ञान" के बिना वह कुशल शिक्षक की भूमिका नहीं निभा सकता है। उन्होंने अध्यापक शिक्षक को पाठ्यक्रम विषय-वस्तु की समझ के सुधार का केन्द्रबिन्दु माना है। डेंग का मानना था कि अध्यापकों में गुणवत्ता तभी आ सकती है, जब अध्यापक को पाठ्यक्रम की पूरी समझ हो। जबकि शुल्मैन ने शैक्षणिक विषय-वस्तु के ज्ञान को अध्यापक के अध्ययन या अध्यापन के लिए आवश्यक बताया था।

डेंग के विचार की रुपरेखा

डेंग के विचार की रुपरेखा शुल्मैन की संकल्पनाओं से प्रभावित है। डेंग और ल्यूक का मानना है कि स्कूली शिक्षा निश्चित रूप से शैक्षणिक उपक्रम के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। साथ ही शैक्षणिक कल्पनाओं के द्वारा निर्मित शैक्षणिक उपक्रम शैक्षणिक अन्त की ओर अग्रसर होते हैं। इससे द्वन्द्व व मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डेंग पाठ्यक्रम के अध्ययन को प्रासंगिक मानते हैं।

www.studyofeducation.com

उनका मानना है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से अध्यापक की क्रियाशीलता बढ़ती है। उसके बातचीत करने, वाद-विवाद (परिचर्या) करने की क्षमता बढ़ती है। पाठ्यक्रम पढ़ने से अध्यापकों की समझ एवं ज्ञान में वृद्धि होती है।

डेंग का मानना है कि अध्यापकों को सशक्त बनाने में देश की सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विशेष भूमिका रहती है। इनके अनुसार एक अध्यापक को केवल विषय सम्बन्धित ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए अध्यापक को निजी एवं सार्वजनिक रुप से बुद्धिजीवी होना चाहिए जो स्वंय को अधिक स्वीकार्यता, बुद्धिजीविता का परिचय दे सके। उनमें अन्तर्भानुशासन के साथ ही विषय का ज्ञाता अर्थात् विद्वान् हो। सामाजिक मण्डल में शिक्षक की भूमिका रचनात्मक होती है। वह सामाजिक रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं को स्वीकार करता है।

डेंग का पाठ्यक्रम

डेंग ने पाठ्यक्रम में सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपरेखा को समाहित किया, साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक विषयों के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम की क्षमता को नया रुप दिया। डेंग के अनुसार, कक्षा कक्ष में शिक्षक पाठ्यक्रम में रेखांकित तथ्यों को तभी बता सकता है, जब वह पाठ्यक्रम का अध्ययन किए होता है। यदि अध्यापक ऐसा नहीं करता है, तो वह विद्यार्थियों को समझाने में सफल नहीं हो पाता है।

पाठ्यक्रम में निहित निश्चित शैक्षणिक व्यवहारों की इस प्रकार से फ्रेमिंग की जाती है जैसा कि अध्यापक स्कूली विषयों को कथित रुप से तैयार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं चीनी शिक्षा के क्षेत्र में डेंग का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

पाठ्यक्रम विषय-वस्तु या विषय क्षेत्र, पाठ्यक्रम सिद्धान्त डेंग का विशेष कार्य क्षेत्र माना जाता है। डेंग एवं ल्यूक ने विषयों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को आवश्यक बताया, साथ ही अपने सिद्धान्त में बताया कि अध्यापक में पाठ्यक्रम को समझने एवं जानने की क्षमता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अध्ययन के बिना अध्यापक विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता है।

डेंग एवं ल्यूक विद्यालयी पाठ्यक्रम को बहुआयामी स्वरुप प्रदान करने के पक्षधर थे। एक दृढ़ एवं मजबूत पाठ्यक्रम ही अध्यापक एवं विद्यार्थी को आपस में जोड़े रखता है। पाठ्यक्रम विषय-वस्तु केवल कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाने वाला पाठ या अध्याय नहीं होता है, बल्कि यह अनुदेशात्मक उद्देश्यों को पूर्ण करने वाला प्रमुख माध्यम भी होता है।

हैबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा

हैबरमैन द्वितीय पीढ़ी के आलोचक सिद्धान्तकार थे। इनका जन्म वर्ष 1929 में हुआ था। हैबरमैन 'फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रीसर्च' के संस्थापक सदस्य थे। हैबरमैन के मुख्य सिद्धान्त सामान्यतः पारस्परिक संचार एवं सार्वजनिक मण्डल पर आधारित हैं। हैबरमैन को विश्व के श्रेष्ठ चिन्तकों में शामिल किया जाता है। हैबरमैन की रचनाएँ काण्ट द्वारा प्रभावित बताई जाती हैं। हैबरमैन के अनुसार, "ज्ञानोदय एक अपूर्ण परियोजना" है। उनका तर्क है कि इस अपूर्णता को दूर किया जाना चाहिए और इसका पूरक होना चाहिए। इसका परित्याग करना सर्वथा उचित नहीं है।

उन्होंने समाजशास्त्र के अन्दर सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण का एक व्यापक सिद्धान्त प्रस्तुत किया। जिसमें एक ओर संचार तर्कसंगतता और तर्कसंगतता के बीच अन्तर और दूसरी ओर रणनीतिक अर्थात् बाह्य तर्कसंगतता और युक्तिकरण था।

हैबरमैन का शिक्षक और शिक्षा का दृष्टिकोण

हैबरमैन शिक्षक और शिक्षा को अलग-अलग दृष्टिकोण से परखने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षकों के पास एक पाठ्यक्रम होता है। जिसका वह व्यापक अध्ययन करता है। शिक्षण कार्य को सम्पन्न करने हेतु पाठ्यक्रम का अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है। मान्यताएँ, रुचियाँ ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षक शिक्षा में सुधार को बढ़ावा दे सकती है।

www.studyofeducation.com

एक परम्परावादी वैचारिक अनुभववादी और पाठ्यक्रम के पुनर्रचनावादी दृष्टिकोण अध्यापकों की इच्छा सिद्धान्त की अवधारणाओं और शिक्षण के मॉडल की जाँच करने हेतु एक रुपरेखा प्रदान करता है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। हैबरमैन का मानना है कि सेवा पूर्व एवं सेवारत् कार्यक्रमों में अध्यापक निर्णय लेने की भूमिका पर पुनर्विचार के बारे में अधिक-से-अधिक संवाद को प्रासंगिक मानता है। हैबरमैन का मानना था कि ज्ञान केवल कार्य उन्मुख होता है। ज्ञान मानवीय इच्छा से पूरी तरह स्वतन्त्रता है। यह सिर्फ सुझावों पर आधारित होता है।

हैबरमैन के अनुसार, ज्ञान सैद्धान्तिक प्रभावों से लिया जाता है। सैद्धान्तिक प्रभाव केवल संकल्पित तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। गलत सोच की धारणा के विरुद्ध उन्होंने सावधान किया कि सिद्धान्त मानव अधिकार से स्वतन्त्र भी हो सकता है। ज्ञान सांविधिक और तर्क-वितर्क के बीच विशिष्ट सम्बन्धों की जाँच करने हेतु हैबरमैन ने तीन प्रक्रियाओं को बताया है।

ज्ञान सांविधिक इच्छा के माध्यम से कोई भी कर्ता वैश्विक दृष्टिकोण को आसानी से समझ जाता है। हैबरमैन ने ज्ञान सांविधिक इच्छा की कोर संकल्पना प्रस्तुत की है जो दार्शनिक तर्क का समर्थन करता है।

उन्होंने दार्शनिक मॉडल का विकास किया जिसमें बहुलतावादी मॉडल भी एक है जो मानव कर्ता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। हैबरमैन ने यथार्थवाद का पक्ष लेते हुए इसका बचाव किया। ज्ञान एवं मानव इच्छा तथा संचारीय कर्ता के मध्य सम्बन्धों को दर्शाते हुए हैबरमैन ने इसे दार्शनिकता से जोड़कर देखा। दार्शनिक एवं सामाजिक विज्ञान का संयुक्त विश्लेषण करते हुए हैबरमैन ने तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ये लक्ष्य हैं-निरुपण, निर्देशात्मक एवं व्यावहारिक। सैद्धान्तिक सामाजिक विज्ञान एवं आधुनिक समाज के मध्य आपसी सम्बन्धों को दर्शाने के उद्देश्य से हैबरमैन ने संचारीय कार्य के सिद्धान्त एवं ज्ञान व मानव इच्छा के विचारों को विकसित किया है।

www.studyeducation.com

मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय (Meaning of Reflective Teaching)

मननात्मक अध्यापन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अध्यापन के दौरान अध्यापन कौशल पर गहन विचार-विमर्श करता है तथा विश्लेषण करता है कि किसी चीज को कैसे पढ़ाया जाए, अध्यापन कौशल में और कैसे सुधार किए जाएँ तथा अध्यापन में गुणात्मक सुधार हेतु कौन-कौन से उपाय सम्भव हो सकते हैं। मननात्मक अध्यापन एक प्रकार से व्यक्तिगत उपचारात्मक साधन है। अध्यापक इसका प्रयोग विद्यालय की कक्षा में अपने व्यवहार के निरीक्षण एवं मूल्यांकन में करता है। व्यक्तिगत अधिगम, अनुभव को विकसित करके, चिन्तन हेतु संरचना का निर्माण करके, वरिष्ठ का अनुभव प्राप्त करके एवं चिन्तन हेतु अच्छी आदतों को विकसित करके मननात्मक अध्यापन को प्रगतिशील बनाया जा सकता है।

एक अध्यापक के लिए मननात्मक अध्यापन अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार के अध्यापन से न सिर्फ अध्यापक के अध्यापन में कुशलता का भाव उत्पन्न होता है, बल्कि इससे अधिगमकर्ता की क्षमता में भी व्यापक सुधार होता है। कक्षा का वातावरण शिक्षा प्राप्त के लिए अनुकूल हो जाता है। मननात्मक अध्यापन से अध्यापन के साथ-साथ अनुभव एवं प्रस्थितियों में भी व्यापक सुधार होता है। इससे अधिगम में गहनता आती है। साथ ही अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट पहचान मिलती है। व्यक्तिगत एवं पेशेवर शक्तियों एवं क्षेत्र में व्यापक सुधार होता है।

प्रभावी मननात्मक अध्यापन के माध्यम से अध्यापक अपने ज्ञान एवं कुशलता दोनों में व्यापक एवं प्रभावी सुधार ला सकते हैं।

मननात्मक प्रक्रिया

मननात्मक प्रक्रिया सामान्य अनुभव, निरीक्षण, चिन्तन एवं नियोजन से अनुबद्ध मानी जाती है। इस प्रक्रिया को निम्न ग्राफ के द्वारा समझा जा सकता है

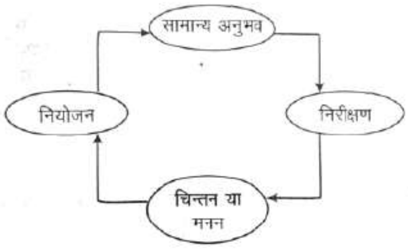

www.studyofeducation.com

एक अध्यापक को मननात्मक अध्यापन के लिए विशेष प्रकार की रणनीति तैयार करनी पड़ती है। इसके लिए अध्यापक को सर्वप्रथम स्वयं विश्लेषण करना चाहिए, जर्नल निबन्ध इत्यादि का लेखन करना चाहिए, पोर्टफोलियो रखना चाहिए। विद्यार्थियों के उत्तर का निरीक्षण चाहिए करना चाहिए एवं प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर प्रश्न करना चाहिए।

मननात्मक अध्यापन की रणनीति को निम्न आरेखों द्वारा समझा जा सकता है

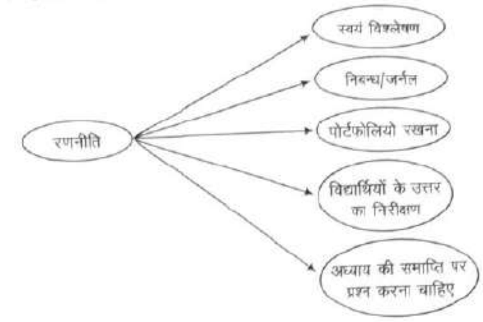

मननात्मक अध्यापन में रणनीति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वयं विश्लेषण मननात्मक अध्यापन की प्रमुख रणनीति मानी जाती है। इसके माध्यम से अध्यापक आत्ममन्थन करता है, वहीं इसके माध्यम से अपनी अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों की पहचान करता है। स्वयं विश्लेषण के द्वारा वह अपनी कमियों को दूर करता है। इससे अध्यापक के अध्यापन में गुणात्मक सुधार होता है। निबन्ध या जर्नल लिखना भी मननात्मक अध्यापन की प्रमुख रणनीति माना जाता है। जर्नल लेखन एक रचनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। इससे न सिर्फ लेखन शैली विकसित होती है, बल्कि अध्यापन दृष्टिकोण में भी गुणात्मक सुधार होता है।

नियमित जर्नल लेखन अधिगम प्रक्रिया का विशिष्ट हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों की किसी भी जटिल समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। पोर्टफोलियो या विभाग रखना अध्यापक की विशिष्टता को दर्शाता है। पोर्टफोलियो का निर्वहन करने से अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। वह अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्वक करता है। वह इस कार्य के प्रति गौरवान्वित अनुभव करता है।

विद्यार्थियों के उत्तर का निरीक्षण

विद्यार्थियों के उत्तर का निरीक्षण भी मननात्मक अध्यापन की विशेष रणनीति माना जाता है। उत्तर कर निरीक्षण करना अध्यापक की कुशलता का परिचायक माना जाता है। वह अंकों को निर्धारण उत्तर निरीक्षण के बाद ही करता है। अंकों का निर्धारण अध्यापक के मननात्मक अध्यापन का परिचायक माना जाता है। अंक सफलता एवं असफलता का मापदण्ड हो सकता है, परन्तु इसका निर्धारक मुख्य रुप से अध्यापक ही होता है। अध्याय की समाप्ति पर प्रश्न करना मननात्मक अध्यापन की विशेष रणनीति माना जाता है। इससे आत्मबोध का ज्ञान समृद्ध होता है। अध्याय की समाप्ति के बाद प्रश्न करना पूरे अध्याय का सार माना जाता है। इसमें अध्यापक यह ज्ञात करता है कि वह विद्यार्थियों को समझाने में कितना सफल हो पाया है।

www.studyofeducation.com

मैकी के अनुसार, कक्षा अनुभव, सामान्य ज्ञान एवं व्यक्तिगत मूल्य मननात्मक अध्यापन के मजबूत स्तम्भ माने जाते हैं। मननात्मक या चिन्तनशील अध्यापक पाठ्यक्रम को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करना एक रचनात्मक क्रिया मानी जाती है। एक चिन्तनशील अध्यापक कक्षा कक्ष में उत्पन्न समस्याओं के समाधान में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा में कुशल वातावरण के निर्माण में अध्यापक सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। मननात्मक अध्यापक को अपने मूल्य का एहसास होता है कि उन्हें शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अतः वह अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करे।

ऐसे अध्यापक अपने पेशेवर क्रियाकलापों को विकसित करते हैं साथ ही अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करते हैं। चिन्तनशील या मननात्मक अध्यापक विद्यालय में परिवर्तन करने की कोशिश में नियमित रुप से मंलग्न रहते है। वे विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के पक्षधर होते है, जोकि विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करे।

स्वय मननात्मक या चिन्तन के लिए अध्यापक के दस प्रश्न निम्नलिखित है

- मैं अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर क्या जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ? मुख्य केन्द्र क्या है?
- विद्यार्थी अधिगम कैसे करते हैं? इस बारे में मेरा क्या विश्वास है? अधिगम के लिए मैं कैसे सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता हूँ? मेरे अध्यापन के बारे में क्या विशिष्ट एवं असामान्य है।
- मैं अपना अध्यापन किस प्रकार करूँ कि उसमें कुछ और सुधार हो।
- मैं अपने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रुप से अधिगम में किस प्रकार से सहयोग करूँ?
- निर्देशात्मक प्रकार की प्राथमिक रणनीतियाँ क्या हैं? जिनका मैं नियमित रुप से प्रयोग करता हूँ।
- अनिवार्य प्रश्न क्या है जिससे कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- मैं अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार से प्रतिपुष्टि करूँ कि वे लोग अच्छे से अधिगम कर रहे हैं?
- विद्यार्थियों में अधिगम के सुधार हेतु मैं प्रतिपुष्टि का प्रयोग किस प्रकार करूँ?

मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स

मॉडल्स मानव निर्मित विधि है, जो अपूर्ण ज्ञान पर आधरित होती है। मॉडल्स सामान्यतः उद्देश्यों, परिघटना, प्रणाली, प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। विज्ञान के अध्ययन में इस विधि का विशेष रुप से प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में मॉडल्स का प्रयोग मुख्यतः जटिल विषयों को आसानी से समझने के उद्देश्यों से किया जाता है। अध्यापन क्रिया में विविध प्रकार की प्रविधियों के उपयोग के कारण मॉडल्स का उपभोग प्रारम्भ हुआ।

www.studyateducation.com

वर्तमान में जटिलता के कारण इनकी प्रासंगिकता बढ़ी है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सफल बनाने की कोशिश में इस प्रकार के मॉडल्स का उपयोग करते हैं। अध्यापन मॉडल्स शैक्षणिक क्रियाकलापों एवं वातावरण की गाइड लाइंस क्रियान्वित करता है। यह मुख्य रुप से विशिष्टिकृत अध्यापन एवं अधिगम के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में सहायता प्रदान करता है।

एक अध्यापक के संक्षिप्त विवरण का लिखित दस्तावेज उसका 'लेखन प्लान' होता है, जो उसे अध्यापन प्रक्रिया में व्यापक सहयोग प्रदान करता है। एक शिक्षक प्रतिदिन अपना लेखन प्लान क्रियान्वित करता है। संक्षिप्त विवरण मुख्यत: अध्यापक के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अनुसन्धान एवं शोध से यह ज्ञात होता है कि शिक्षाशास्त्र में मॉडल्स का प्रयोग करने से छात्र कम गलतियाँ करते हैं। एक प्रभावी मॉडल्स के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के साथ अपना अनुभव एवं विचार शेयर करे। सामान्य रुप से मननात्मक अध्यापक मॉडल एक चक्र की

भाँति प्रगतिशील होता है। अत: यहाँ मननात्मक शिक्षा मॉडल को एक चित्र के माध्यम से समझाया जिसमें अध्ययन रणनीति तथा जान के विभित्र आयाम शामिल हैं। इससे अध्यापक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावी होती है। इस मॉडल चक्र को निम्न रेखाचित्रों द्वारा समझा जा सकता है

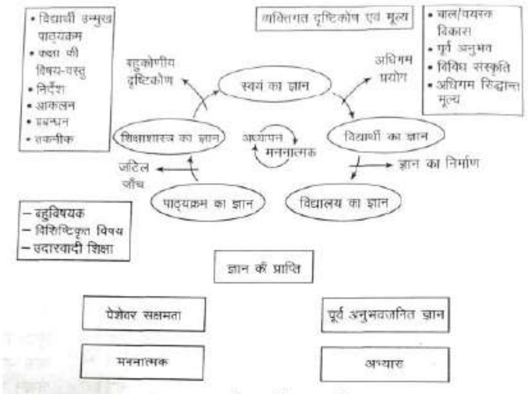

मननात्मक शिक्षा मॉडल का चित्र

मननात्मक मॉडल पूर्व निर्धारित अनुमान पर आधारित होता है। जिससे अध्यापक पेशेवर सक्षमता के द्वारा अपने अभ्यास से मनन या चिन्तन करते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापन का अनुभव पुन:अर्जित है एवं मूल्यांकन पर विचार करने के उद्देश्य से भविष्य में योजना एवं कार्य उपलब्ध करवाने में सक्षम होते हैं।

व्यवहारवादी मॉडल्स

मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स में व्यवहारवादी मॉडल्स (Behaviouristic Models) अधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावी माना जाता है। व्यवहारवादी प्रक्रिया अधिगम का एक उपयुक्त माध्यम है। यह उपागम मुख्य रुप से अधिगमकर्ता के तर्क एवं सोच पर आधारित होती है, जो उन्हें अपने वातावरण में अपने भावों को प्रकट करने हेतु उद्दीपन करते हैं। व्यवहार मुख्यत: बाह्य क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है।

www.studyforeducation.com

व्यवहारवादी अधिगम उपागम मुख्य रुप इस बात पर केन्द्रित होता है कि व्यवहारों को किस प्रकार से अधिप्राप्त किया जाए। व्यवहारवादी उपागम इस बात पर विशेष बल देता है कि उद्दीपन एवं व्यवहारों को आपस में जोड़कर अधिगम को विकसित किया जा सकता है। किसी भी व्यवहार को बल के आधार पर भी परिवर्तित किया जा सकता है। व्यवहारवादी मॉडल कुछ विशेष तकनीकी प्रक्रिया उपलब्ध करवाते हैं एवं महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों से निहित होते हैं, जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभाते हैं।

इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या खराब नहीं होता है। अनुभव एवं वातावरण मानवीय व्यक्तित्व को निखारता एवं बनाता है। इनके अनुसार मानव के मस्तिष्क की तुलना ब्लैक बॉक्स से की जा सकती है। जिसे न ही जाना जा सकता है कि अन्दर क्या चल रहा है और न ही हमें इसकी जानने की आवश्यकता होती है। ब्लैक बॉक्स में क्या प्रासंगिक है या क्या प्रासंगिक हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो महत्त्वपूर्ण तथ्य होते हैं वे ब्लैक बॉक्स में आगत (Input) या समाहित हो जाते हैं और जो महत्त्वपूर्ण तथ्य बाहर आते हैं उन्हें निर्गत (Output) कहा जाता है।

निर्गत तथ्यों का मापन

व्यवहारवादी मॉडल्स से मननात्मक अध्यापन के निर्गत तथ्य या जान को भी आसानी से मापा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। आगत और निर्गत दोनों को व्यवस्थित, नियन्त्रित एवं जमेण्ट किया जा सकता है। आई. पाल्वो, जे. बी. वॉटसन, ई. एल. थॉर्नडाइक, ई. आर. गुथ्रेई एवं बी. एफ. स्किनर को व्यवहारवादी उपागम का प्रणेता माना जाता है। व्यवहारवादी उपागम को वर्ष 1930 में वाटसन के एक आर्टिकल द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद विशेष बल मिला। व्यवहारवाद

को एक नए सिरे से वर्ष 1960 के दशक में स्वीकार किया गया। दूसरे चरण में एडवर्ड टॉलमैन, ई. गुथ्रेई, सी. हल एवं बी. एफ. स्कीनर जैसे-विद्वानों ने नवीन व्यवहारवाद विचारधारा को स्वीकार किया।

इस दौरान व्यवहारवादियों ने दावा किया कि अधिगम सम्बन्धित अध्ययन की संरचना मनोविज्ञान पर आधारित है। व्यवहार को परिस्थितियों के सिद्धान्त द्वारा वर्णित किया जा सकता है। मनोविज्ञान को प्रकार्यवादी सिद्धान्तों के साथ सम्बद्ध किया गया। 1960 के दशक के अन्तिम वर्षों में व्यवहारवाद का पुनः निर्माण हुआ। व्यवहारवाद विकास के तीसरे चरण में सामाजिक व्यवहारवाद का प्रादुर्भाव हुआ।

इस चरण के प्रमुख प्रणेता ई. बंदुरा एवं जूलियन रॉटर थे। रॉटर ने अपने सिद्धान्त को सामाजिक क्रियाकलाप से जोड़कर देखा। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक संगठन सिद्धान्त दिया जिसे रॉटर का सामाजिक अधिगम सिद्धान्त कहा जाता है। वाटसन द्वारा स्थापित व्यवहारवादी दृष्टिकोण भविष्य में विस्तृत होकर बहु-उपयोगी एवं बहु-आयामी होने लगा। व्यवहारवाद के तीन चरणों में अलग-अलग सिद्धान्त एवं विचार अपनाए गए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की मौलिक विशेषताएँ प्रतिदिन की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती हैं।

प्रारम्भ में व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक उपागम के माध्यम से इसके सिद्धान्तों का अध्ययन किया। एक व्यक्ति का अधिगम दूसरे व्यक्ति के अधिगम से समान होता है। व्यक्ति के अधिगम से सम्बन्धित जो सिद्धान्त अलग-अलग व्यक्तियों पर समान रुप से लागू होता है, कुत्ते भी समान रुप से अधिगम करते हैं। अत: व्यवहारवाद सिद्धान्त से ज्ञात होता है कि जानवार एवं लोग अधिगम के दौरान अपने शरीर के अंगों का एक समान प्रयोग करते हैं।

व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम परिस्थितियों के अनुसार होता है। व्यवहारवादियों ने शारीरिक अंगों के उपभोग पर विशेष बल दिया है। उद्दीपन भी बाह्य एवं आन्तरिक परिवर्तन को प्रेरित है। शारीरिक बल, दण्ड पुरस्कार के द्वारा भी व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है।

www.studyofeducation.com

विभिन्न विद्वानों के विचार

रुस के मनोवैज्ञानिक ए. पाल्वो के अनुसार, व्यावहारिकता व्यवहार को नया रुप प्रदान करता है। उनका मानना था कि कुत्ते के व्यवहार को बलपूर्वक उद्दीपन किया जा सकता है, परन्तु व्यक्ति के साथ हमेशा ऐसा करना सम्भव नहीं है। **पाल्वो** के अनुसार, मानव और जानवर दोनों मशीन के समान हैं। ये एक जटिल मशीन है, लेकिन अन्तत: वे सिर्फ एक मशीन हैं।

बी. एफ. स्कीनर स्कीनर ने एक अधिगम मशीन यन्त्र का निर्माण किया जिसे स्कीनर मशीन भी कहा जाता है। स्कीनर का विचार अन्य व्यवहारवादियों से अलग माना जाता है। स्कीनर ने प्रासंगिक प्रयोगशाला डाटा का प्रयोग किया। स्कीनर ने मानसिक परिघटना को मानने से मना नहीं किया, लेकिन साथ ही यह भी दावा किया कि मानव व्यवहार का वर्णन समय मानसिक परिघटना या स्थिति

अधिक लाभदायक नहीं है। इस प्रकार मानसिक स्थिति वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उपयुक्त नहीं है। स्किना की व्यवहारवादी संकल्पना व्यवहार परिवर्तन है। यह मानवीय व्यवहार के परिवर्तन को दर्शाता है।

जॉन. बी. वॉटसन का मानना था कि मानव एवं जानवरों का व्यवहार एक समान नहीं होता है। उनका मानना था कि मनोवैज्ञानिक कारणों से व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। वॉटसन के अनुसार, मनोविज्ञान की जाँच करनी चाहिए कि निश्चित व्यवहार क्यों प्रकट होते हैं और इस व्यवहार को समझने एवं नियन्त्रित करने हेतु कौन-कौन से उपाय प्रभावी हैं। वॉटसन के अनुसार, व्यवहार सामान्य भी हो सकते हैं और जटिल भी। जटिल व्यवहार ही क्रियाकलाप कहलाता है।

ई. एल. थॉर्नडाइक के अनुसार, अध्ययन केवल अधिगम से सम्बन्धित नहीं होते हैं, बल्कि यह शिक्षा का क्षेत्र भी है। उनका मानना था कि उद्दीपन एवं प्रतिवाद अधिगम में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार, अधिगम परीक्षण एवं गलतियों का आधार है। थॉर्नडाइक के अनुसार मानव सहित सभी जीव-जन्तु समान रुप से अधिगम के सिद्धान्त के अन्तर्गत आते हैं।

www.studyofeducation.com

सक्षमता आधारित मॉडल्स

सक्षमता आधारित शिक्षा मॉडल्स (Competency Based Models) शिक्षण एवं प्रशिक्षण का विशिष्ट मॉडल माना जाता है। अधिगम को उत्कृष्ट बनाने एवं सक्षमता आधारित नए रुप में ढालने में इस मॉडल का मुख्य रुप से प्रयोग किया जाता है। यह अन्य दूसरे गैर-सम्बन्धित उपागमों से अलग माना जाता है।

सक्षमता आधारित मॉडल पेशेवर शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर आधारित माना जाता है। इस मॉडल में आकलन साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है तथा सक्षमता की उपलब्धि के निर्णय की जाँच की जाती है। इस मॉडल के अनुसार सभी विद्यार्थियों को अपनी सक्षमता के अनुसार वातावरण के सन्दर्भ में कुशलता विकसित करनी होती है। यह विधि विद्यार्थियों में पृथक् अधिगम क्षमता को विकसित कर उनकी सोच को विस्तृत करती है, जो अधिगमकर्ता सक्षमता के साथ कार्य करता है। वह अधिगम के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। विद्यार्थी केवल व्यक्तिगत सक्षमता का मूल्यांकन करता है एवं अन्य दूसरी सक्षमताओं के पश्चात् वे पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। तत्पश्चात् उच्च एवं अधिक जटिल सक्षमताओं द्वारा अधिगमकर्ता पूरी तरह से कुशल हो जाते हैं।

अध्यापन शिक्षा में सक्षमता आधारित मॉडल्स का महत्त्व

अध्यापन के प्रदर्शन को बेहतर करने और प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाए। इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों का मानना है कि मात्र पर्याप्त शिक्षक ही शिक्षा का उचित समाधान नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है शिक्षक शिक्षण कला में निपुण, कार्यकुशल, बेहतर ज्ञान एवं नवीन दृष्टिकोण हो। शिक्षक को कार्यकुशल बनाने के लिए एवं प्रभावित करने हेतु व्यवस्थित रुप से दक्षता आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का प्रावधान किया गया है। दक्षता का अभिप्राय व्यावसायिक योग्यता, जिसमें अर्जित ज्ञान एवं उच्च स्तर की अवधारणा प्रस्तुत करने की योग्यता शामिल है।

दक्षता का अर्थ छात्रों को कार्यकुशलता और संरक्षण का सम्यक् ज्ञान देना है। दक्षता का प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षक क्रियाशील योग्यताओं और गुणों के द्वारा विकास कर सके। अध्यापक शिक्षा सामान्यतः एक व्यावसायिक कार्यक्रम प्रणाली है जो प्रमाणीकरण की ओर ले जाता है और इसमें शिक्षा, मनोविज्ञान दर्शन एवं कक्षा प्रबन्ध तथा इसके कार्यकलाप, शिक्षण विधि, अध्यापन अभ्यास आदि शिक्षण दक्षता में शामिल हैं।

शिक्षा से वर्तमान परिवर्तन समाज के अन्दर उप संस्कृति की जागृति उनकी समस्याएँ और शिक्षा के अवसर के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा छात्र अध्यापकों में व्यवहार कार्यकुशलता, शिक्षण व्यवहार, ज्ञान पदार्पण आदि का विकास करके परिवर्तन लाया जा सकता है। पेशेवर सक्षमता में परिवर्तन की आवश्यकता है,

इसे अनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है

- अध्यापक शिक्षा सूची में परिवर्तन और शिक्षकों की कार्यकशुलता को विकसित करके सुधारा जा सकता है।
- वर्तमान नित्यिक शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम में गुणात्मक एवं प्रयोगात्मक अनुभव का ज्ञान देकर सुधारा जा सकता है।
- सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा में सुधार सभी छात्राध्यापकों को जो उच्चा शिक्षा स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निम्न सक्षमताओं का प्रशिक्षण देकर सुधार किया जा सकता है।
- व्यवहार के सम्बन्ध में व्यापक संवाद करके।
- अकादमिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। छात्रों के क्रियाकलापों का व्यापक निरीक्षण कर उसमें सुधार लाया जा सकता है।
- सीखने के परिणाम के बारे में संवाद करके व्यापक सुधार लाया जा सकता है।
- विशेष आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करके सुधार किया जा सकता है। अनुकूल वातावरण तैयार करके सुधार किया जा सकता है।
- शिक्षक का ज्ञान प्राथमिक स्रोत न होकर सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत समस्या के समाधानपूर्ण होनी चाहिए।
- अध्यापक मनोवैज्ञानिक उन्मुख और पेशेवर दृष्टिकोण युक्त होना चाहिए।
- अध्यापन कार्य करने वाले को और अधिक अधिकार देने चाहिए एवं अन्य जिम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए।
- शैक्षणिक कार्यकलापों में समुदाय का और अधिक सहयोग लेना चाहिए। सूचनाओं का वितरण, संग्रहण एक विस्तृत उद्यम के रुप में होना चाहिए।
- अध्यापक शिक्षा में व्यक्तिगत और आत्मगत निर्देशन होना अनिवार्य है।

इस सम्बन्ध में वर्ष 1990 में गठित राममूर्ति आयोग ने सुझाव भी दिया था कि आज की परिस्थितियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम को दक्षता आधारित बनाया जाना चाहिए। इससे शिक्षकों में सृजनात्मक कार्य, नवाचार, शिक्षकों में संज्ञानात्मक तथा मनःचालित पक्षों में शिक्षा देने की क्षमता में वृद्धि होती है।

www.studyofeducation.com

पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल

पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल (Inquiry Oriented Teacher Education Models) स्वयं के पेशेवर अभ्यास का व्यवस्थित वांछित अध्ययन है। यह शिक्षण सीखने की प्रवृत्ति एवं उपाय है। इस मॉडल का उपयोग वास्तविक जाँच को शिक्षक विकास छात्र सीखने और स्कूल परिवर्तन के लिए परिवर्तनकारी शक्ति के रुप में आवरणबद्ध किया जाता है। पूछताछ उन्मुख अध्यापक पर वैचारिक प्रभाव व्यापक है एवं पिछले 25 वर्षों से वैश्विक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या खुद को जाँच उन्मुख बता रही है।

इसे एक निष्क्रिय सीख माना जाता है। जो सवालों, समस्याओं या परिदृश्यों प्रस्तुत करने से प्रारम्भ होती है। इस प्रक्रिया को अकसर एक सूत्रधार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पूछताछ उन्मुख शिक्षा के अन्तर्गत पूछताछकर्ता अपने ज्ञान या समाधान को विकसित करता है तथा विभिन्न विषयों एवं प्रश्नों की पहचान करता है।

इसके अतिरिक्त पूछताछकर्ता शोध कार्य को भी क्रियान्वित करते हैं। पूछताछ उन्मुख आधारित शिक्षा में शामिल शिक्षण और सामान्य रुप से छोटे पैमाने पर जाँच और परियोजनाओं के साथ ही साथ अनुसन्धान में भी उपयोग किया जाता है। जाँच आधारित निर्देश मुख्य रुप से सोच के विचार और अभ्यास से बहुत निकट से सम्बन्धित है।

पूछताछ आधारित शिक्षा मुख्य रूप से एपेडेगॉजिकल पद्धति पर आधारित मॉडल है, जिसे वर्ष 1960 में थिस्सकोवरी लर्निंग मूवमेण्ट के दौरान विकसित किया गया था। इस शिक्षा का दर्शन रचनावादी अधिगम है, जो अपने अन्तर्विरोधों को खोजता है। जैसे कि पियाजे, डेवी व्यागोत्स्की और फ्रायर काम एक-दूसरे के बीच एक रचनावादी दर्शन माना जा सकता है।

व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुभव के आधार पर जानकारी उत्पन्न करना और इसका अर्थ बनाना पूछताछ आधारित शिक्षा का विशेष गुण माना जाता है। पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल के अन्तर्गत व्यागोत्स्की ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि रचनावाद अनुभव के आधार में सीखते हुए प्रक्रिया है। अनुभव से निर्मित अर्थ का एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

जोसेफ श्राव का पूंछताछ स्तर

वर्ष 1960 में जोसेफ श्राव ने पूछताछ को तीन अलग-अलग स्तरों में विभाजित किया। तत्पश्चात् वर्ष 1971 में मार्शल हैरॉल ने इसे एक औपचारिक रुप प्रदान किया, जिसने एक विशेष प्रयोगशाला अभ्यास के अन्दर जाँच की मात्रा का मूल्यांकन किया। इसके लिए हैरॉल ने एक मानक स्केल भी विकसित किया। इसके बाद से इसमें अनेक संशोधन भी किए गए। पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा को एक विशिष्ट शिक्षण प्रक्रिया माना जाता है।

विशिष्ट शिक्षण प्रक्रियाओं में जो लोग पूछताछ शिक्षण के दौरान संलग्न हैं, उनमें शामिल हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने स्वयं के सहायक साक्ष्य के प्रश्न बनाना, एकत्रित किए गए साक्ष्य की व्याख्या करना, अन्वेषणात्मक प्रक्रिया से प्राप्त ज्ञान के स्पष्टीकरण को दूर करना, साथ ही तर्क और स्पष्टीकरण के लिए औचित्य सिद्ध करना। पूछताछ उन्मुख शिक्षण में विकासशील प्रश्नों को शामिल किया जाता है।

जिसके अन्तर्गत अवलोकन करना, यह जानने के लिए शोध करना कि क्या जानकारी पहले दर्ज है, प्रयोगों के लिए तरीके विकसित करना, डाटा संग्रह हेतु विशिष्ट उपकरण विकसित करना, साथ ही डाटा एकत्रित करना, डाटा की व्याख्या करना, सम्भावित स्पष्टीकरण को रेखांकित करना और भविष्य के अध्ययन हेतु भविष्यवाणियाँ इत्यादि शामिल हैं।

जाँच शिक्षण और सीखने तथा पूछताछ के विभिन्न स्तरों के लिए अनेक अलग-अलग स्पष्टीकरण हैं, जो उन सन्दर्भों में उपलब्ध हो सकते हैं। हीथर बोची और रैण्डी बेल द्वारा 'द लेवल ऑफ़ इन्क्वायरी' शीर्षक वाला लेख स्पष्ट रुप से पूछताछ उन्मुख शिक्षण को चार भागों में विभाजित किया है

- **स्पष्टीकरण स्तर I** (पुष्टीकरण पूछताछ) पूछताछ जाँच उन्मुख शिक्षण में अध्यापक एक विषय पढ़ाता है, तो शिक्षक प्रश्न और एक प्रक्रिया विकसित करता है जो छात्रों को एक गतिविधि के माध्यम से निर्देशित करता है, जहाँ परिणाम पहले से ही ज्ञात है, यह पद्धति सिखाई गई अवधारणाओं को सुदृढ़ करने और प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु अधिगम के लिए छात्रों को प्रस्तुत करने, डाटा को सही ढंग से एकत्रित करने और रिकॉर्ड करने, समझ की पुष्टि करने और सघन करने हेतु उत्कृष्ट माना जाता है।

- **स्पष्टीकरण स्तर II** (संरचित पूछताछ) इसके अन्तर्गत अध्यापक प्रारम्भिक प्रश्न और प्रक्रिया की रुपरेखा प्रदान करता है। छात्र अपने द्वारा एकत्रित किए गए डाटा का मूल्यांकन और विश्लेषण करके अपने निष्कर्षों की व्याख्या तैयार करते हैं।

- **स्पष्टीकरण स्तर III** (निर्देशित पूछताछ) इसके अन्तर्गत अध्यापक छात्रों को केवल शोध प्रश्न प्रदान करता है। छात्र उस प्रश्न का परीक्षण करने और फिर अपने परिणामों और निष्कर्षों को सम्प्रेषित करने हेतु स्वयं की प्रक्रियाओं को डिजाइन करने और उनका पालन करने हेतु उत्तरदायी है। .

- **खुला /यथार्थ पूछताछ** इसमें छात्र अपने स्वयं के अनुसन्धान प्रश्नों को सृजित करते हैं। इसमें छात्र एक विकसित प्रक्रिया के साथ डिजाइन का अनुसरण करते हैं और अपने निष्कर्षों एवं परिणामों को सम्प्रेषित करते हैं। इस प्रकार की जाँच अकसर विज्ञान निष्पक्ष सन्दों में देखी जाती है। जहाँ छात्र अपने स्वयं के खोजे प्रश्नों को चलाते हैं।

www.studyoreducation.com

बहुउपयोगी मॉडल के बावजूद कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। किर्चनर, स्वेलर और क्लार्क जैसे विद्वानों ने साहित्य की समीक्षा में पाया कि यद्यपि रचनाकार एक-दूसरे के कार्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अनुभवजन्य साक्ष्य का अकसर उल्लेख नहीं किया जाता है। इसके बावजूद वर्ष 1990 में रचनावादी आन्दोलन को व्यापक गति मिली, क्योंकि अनेक शिक्षकों ने शिक्षा के इस दर्शन पर लिखना प्रारम्भ कर दिया।

हेमालोसिल्वर डंकन और **चित्र** ने अनेक अध्ययनों का उदाहरण देते हुए बताया कि जो निर्माणवादी समस्या आधारित और पूछताछ सीखने के तरीकों की सफलता का समर्थन करते हैं। वे **जेनस्कोप (Genscope)** नामक एक परियोजना का वर्णन करते हैं जो एक जाँच आधारित है। विज्ञान सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। इस परियोजना का उपयोग छात्रों ने किया जिसमें मूलभूतों पाठ्यक्रमों के छात्रों में सबसे बड़ा लाभ दिखाई दिया।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना (Concept of In-service Teacher Education)

www.studyofeducation.com

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, अध्यापकों के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित सतर्क ध्यानस्थ, आवश्यकतापरक और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सेवाकालीन अध्यापकों को प्रदान की जाती है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से अध्यापकों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। यह प्रक्रिया अध्यापकों में व्यावहारिक परिवर्तन उत्पन्न करती है और अध्यापकों को विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करती है, जिससे उन्हें शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है और परिणामस्वरुप शिक्षकों में शिक्षण कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से करने की योग्यता का विकास होता है। अतः सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, अध्यापकों की शिक्षण योग्यता के सतत विकास का साधन है।

डॉ. अल्तेकर के अनुसार, “कोई भी कॉलेज या कोर्स एक डॉक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। उसके अभ्यास से उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। जो बात एक डॉक्टर के लिए सत्य है, वह एक अध्यापक के लिए भी सत्य है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय और प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका का संकेत सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन (1904) की शिक्षा नीति में मिलता है। इसके बाद सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के इतिहास का उल्लेख भारत सरकार के फरवरी, 1913 की शिक्षा नीति के प्रस्ताव में किया गया था। वर्ष 1929 में हटोंग समिति ने अपने प्रस्ताव में स्पष्ट रुप से सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। हटोंग समिति के प्रस्तावके स्वीकृत होने पर संघीय शासन की राज्य सरकारों ने अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आरम्भ किया था। अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की होती है

1. सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा (In-service Teacher Education)
2. सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा (Pre-service Teacher Education) सेवाकालीन

वर्ष 1937 के बाद से भारत में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का विकास आरम्भ हुआ। वर्ष 1944 में युद्धोपरान्त शिक्षा के विकास के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास की बात कही गई। वर्ष 1950 में प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों की संगोष्ठी बड़ौदा में आयोजित की गई। इसमें पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम तथा उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया गया।

वर्ष 1955 में भारतीय माध्यमिक परिषद् ने सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा के लिए एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित योजना के शुभारम्भ के लिए दृढ़ संकल्प किया। जिसके अन्तर्गत देश की चुनी गई प्रशिक्षण संस्थाओं में विस्तार सेवा के माध्यम से सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का आरम्भ किया जाना था। परिषद् ने विस्तार सेवा केन्द्र के माध्यम से 24 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सेवाकालीन अध्यापकों में व्यावसायिक गुणों के विकास के लिए एवं संस्थाओं के सुधार के लिए एक कार्यक्रम का आरम्भ किया। वर्ष 1967-1958 के मध्य विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं ने विस्तार सेवा केन्द्र खोले। इस प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 54 तक पहुँच गई।

वर्ष 1959 में इस परिषद् को परामर्श समिति का रुप दे दिया गया और इसकी देख-रेख शिक्षा मन्त्रालय द्वारा की जाने लगी। भारत सरकार ने इसको नए विभाग के अन्तर्गत कार्य करने के लिए रखा। इस विभाग का नाम 'माध्यमिक शिक्षा प्रसार नियोजन निदेशालय' रखा गया। सितम्बर, 1961 में एक नई स्वायत्त संस्था 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान परिषद्' की स्थापना की गई। वर्ष 1964 में शिक्षा आयोग ने चार-पाँच वर्ष मे एक बार सभी सेवाकालीन अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

इस प्रकार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर लगातार बल दिया जाता रहा है। देश के विभिन्न भागों में सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार के केन्द्रों, पत्राचार संस्था, अवकाशकालीन संस्था की स्थापना की गई है। समय-समय पर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों, वाद-विवाद और सिम्पोजियमों का आयोजन किया जाता रहा है, परन्तु देश में सेवाकालीन अध्यापकों

www.studyofeducation.com

के पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता आज भी बनी हुई है, जिससे कि इसकी कमियों को दूर किया जा सके तथा शिक्षकों के व्यावसायिक गुणों में विकास हो सके।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएँ

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों को उनके व्यवसायों से सम्बन्धित निरन्तर जानकारी प्रदान करना एवं व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों का सुधार एवं विकास करना सम्मिलित है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापक को शिक्षण-व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात् उनके लगातार विकास के लिए उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। 'सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अन्दर व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है।

केन के अनुसार, "वे समस्त क्रियाएँ एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवाकालीन अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उनमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है।"

एम.बी.बुच के अनुसार, "सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरन्तर विकास है।"

www.studyofeducation.com

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की मूलभूत मान्यताएँ

अध्यापक शिक्षा की मूलभूत मान्यताएँ निम्नलिखित है

- सेवाकालीन अध्यापकों की शिक्षा उनके पूरे व्यावसायिक जीवन में एक नियोजित ढंग से होनी चाहिए।
- सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में गुणात्मक विकास किया जा सकता है।
- सेवाकालीन अध्यापक को दिया गया पूर्व प्रशिक्षण उनके व्यावसायिक जीवन में प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को संचालित करने के लिए पर्याप्त होगा।
- जीवन के अनेक मानवीय क्षेत्रों में नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि शिक्षा भी प्रभावित होती है। अतएव, यह आवश्यक है कि शिक्षक उन परिवर्तनों से भली-भाँति अवगत होता रहे।
- शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत होता रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों की योग्यता, ज्ञान, कौशल, अभिवृनि आदि में परिवर्तन लाया जाए तथा विकास किया जाए।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता

मानवीय व्यवहारों में ऐसे बहुत से छात्र हैं, जिनमें नित्य नए-नए परिवर्तन हो रहे हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक निरन्तर ठन परिवर्तनों से भली-भाँति परिचित होता रहे। इन परिवर्तनों के फलस्वरुप शिक्षा के उद्देश्यों पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, अनुदेशन सामग्रियों के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को आवश्यक रूप से अत्याधुनिक तथा गतिशील बनाया जा सकता है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विस्तार द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इंग्लैण्ड के विख्यात **स्कूल ग्बी (Rugby) के प्रसिद्ध प्राध्यापक थॉमस ऑरनाल्ड** ने सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के बारे में लिखा है, "मैं इस बात को पसन्द करता हूँ कि मेरे छात्र रुके पानी को पीने के बजाय बहती नदी से पानी पीएँ।"

भारत के प्रसिद्ध विचारक एवं शिक्षाविद् **रवीन्द्रनाथ टैगोर** ने बहुत **"एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता, जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती न रहे। एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता, जब तक वह स्वयं न सीखता रहे।"** सारगर्भित शब्दों में सेवाकालीन शिक्षा का महत्त्व इस प्रकार बताया,

इसी सन्दर्भ में **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** (1948-49) ने कहा, "यह एक अनोखी बात है कि हमारे स्कूल अध्यापक जो कुछ भी सीखते हैं, वह 24 या 25 वर्ष की आयु तक सीखते हैं और इसके पश्चात् भावी शिक्षा को अनुभव पर छोड़ देते हैं, जिसका दूसरा नाम स्थिरता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अनुभव तभी पूर्ण होता है, जब उसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए अध्यापक को सचेत रहने के लिए समय-समय पर सीखने की क्रिया में भाग लेना चाहिए। सीखने और सिखाने की क्रिया से ही अनुभव होता है और पुरानी क्रियाओं का नई क्रियाओं द्वारा परीक्षा करना चाहिए।"

कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार, "शिक्षा के सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रही उन्नति के कारण और अध्यापन के सिद्धान्तों और प्रयोगों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है।"

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1983-85) ने सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, "ज्ञान के विस्फोट हो जाने, संचार के क्षेत्र में क्रान्ति आ जाने, समसामयिक घटनाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पैदा होने, मूल्यों में गिरावट आ जाने के कारण अध्यापको को वर्तमान परिस्थितियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।" वर्तमान में जब पाठ्यक्रम निरन्तर बदल रहे हैं, मूल्यांकन पद्धति, श्रव्य-दृश्य अनुदेशनात्मक सामग्रियों के प्रयोग, संगणक तथा मल्टी मीडिया आदि का उपभोग, दूर-सम्प्रेषण तकनीकों का प्रचलन भी अधिक होता जा रहा है।

अतः अध्यापकों का इन समस्त पद्धति एवं प्रयोजनों से व्यावहारिक परिचय का होना अपरिहार्य बन जाता है। बिना उपयुक्त दिशा-निर्देशन प्राप्त किए वे स्वयं इन समस्त आधुनिक पद्धति और तकनीकी कुशलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवाचारिक

www.studyofeducation.com

अनुप्रयोगों को सफल बनाना अध्यापक का ही दायित्व होता है और बिना उनसे भली-भाँति परिचित हुए उनके लिए इस दायित्व का अनुपालन कर पाना कठिन हो सकता है।

संक्षेप में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है

- ➢ अध्यापकों के व्यावसायिक जीवन में प्रशिक्षण की व्यवस्था का योजनाबद्ध एवं क्रमिक नियोजन।शैक्षिक विस्तार के द्वारा शिक्षकों की गुणवत्ता में विकास।
- ➢ शिक्षकों को सेवापूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा दी गई शिक्षा उनके व्यावसायिक जीवन में उचित एवं पर्याप्त ढंग से प्रायोजित नहीं हो पाती।
- ➢ शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए अन्य विषयों में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार सेवाकालीन अध्यापक के गुणों में विकास एवं परिवर्तन करने हेतु यह शिक्षा महत्त्वपूर्ण है।
- ➢ सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के प्रसार द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे विद्यालय के अध्यापकों को अवगत कराया जाए, जिससे वह नए परिवेश की शैक्षिक समस्याओं को भली प्रकार समझ कर उनका समाधान करें।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

सेवाकालीन अध्यापक कार्यक्रम के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शोध संगठन विभाग में निम्नलिखित लक्ष्यों को स्वीकार किया है

- ➢ शिक्षक की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए-नए उद्दीपनों को प्रदान करना।
- ➢ शिक्षकों को अपनी समस्याओं के प्रति जानकारी प्रदान करना तथा उनको हल करने के लिए उनके ज्ञान एवं बोध का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना।
- ➢ प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों के उपयोग में सहायता प्रदान करना।
- ➢ शिक्षा में हो रही नई शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों से सेवारत् अध्यापक को अवगत कराना।
- ➢ शिक्षक के मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना। सेवाकालीन अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना। सेवाकालीन शिक्षकों को उनके व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना।
- ➢ जो उन्हें अच्छे शिक्षक बनने सेवाकालीन शिक्षकों की कमियों को दूर करना, में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- ➢ नए शिक्षकों को सहायता प्रदान करना जोकि प्रथम बार कक्षागत कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं।
- ➢ सेवाकालीन अध्यापकों में सतत प्रशिक्षण एवं ज्ञान की वृद्धि करना।
- ➢ अध्यापक के सेवापूर्व काल में शिक्षा के कारण उत्पन्न अपूर्णता सम्बन्धी कमियों का उपचार करना।
- ➢ नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वहन हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षाशास्त्र की ज्ञान विधा की उन्नति की ओर अग्रसारित करना।

www.studyofeducation.com

- विषय और विषय-वस्तु ज्ञान को उन्नत बनाना एवं उन्हें पूर्णता प्रदान करना। परिवर्तन के एजेण्ट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना।
- स्वाध्याय और ज्ञानपिपासु छात्र के रुप में अध्यापकों को तैयार करना। जीवनपर्यन्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना।
- शिक्षकों को सम्पूर्ण औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अभिकरणों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। अध्यापकों को नवीन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को समझते हुए समर्थ बनाना।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विषय-क्षेत्र

सेवाकालीन अध्यापकों को बदलते परिवेश के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण-अध्ययन कार्यक्रमों आदि को अपनाना पड़ता है। शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा आवश्यकताओं को समझाकर, उसके अनुरुप शिक्षा योजनाओं की रुपरेखा का निर्माण करना वर्तमान अध्यापन व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होती है

सन्दर्भित दक्षता

यह दक्षता का प्रमुख मापदण्ड है, जिसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि जब तक हम पाठ्य-पुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ नहीं लेते; जैसे-विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही किसी घटना को अच्छा या बुरा ठहराया जा सकता है। अत: सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भाषा सम्बन्धित अध्यापकों को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए, जिस बिन्दु पर किसी तथ्य को स्पष्ट अभिव्यक्त करना हो।

www.studyofeducation.com

किसी काल, पात्र आदि के सन्दर्भ में परिवर्तन होने से तथ्यों में अर्थ और महत्त्व में परिवर्तन दिखना स्वाभाविक है; जैसे-जिस समय किसी देश की जनसंख्या में कमी होती है, उस समय परिवार का आकार बढ़ा होना घातक नहीं होता, लेकिन देश की वर्तमान जनसंख्या और घनत्व को देखते हुए कभी भी बड़े परिवार को मान्यता प्रदान करना उचित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे स्तर पर विविध सामुदायिक संगठन, सामाजिक न्याय तथा समान शैक्षिक अवसर की आवश्यकता आदि के बारे में समझदारी का होना भी सन्दर्भगत दक्षता के अन्तर्गत आता है।

संकल्पनात्मक शिक्षा

एक अध्यापक को शिक्षा अध्ययन की संकल्पनाओं से परिचित होना, एक ओर जहाँ आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर उन पर पड़ने वाले विविध सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव के बारे में जानकारी रखना आवश्यक माना जाता है।

सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता क्या है? और विशिष्टता क्या है? यह जानने के बाद ही प्रभावकारी ढंग से पाठ्यक्रम का प्रस्तुतीकरण करना या प्रायोगिक कार्य को संचालित कर पाना सम्भव हो सकता है।

केवल पाठ्यक्रम संकल्पनाओं के बारे में दक्षता की प्राप्ति कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ ही शिक्षण विधिगत संकल्पनाओं से भी दक्ष अध्यापक को परिचित होना आवश्यक है। संकल्पना ही वह आधार है जिस पर अधिगम को स्थापित तथा विकसित कर पाना सम्भव हो पाता है। जैसे- भूगोल के विद्यार्थी को अक्षांश-देशान्तर भूगति और मौसम परिवर्तन, उच्चावच आदि को ठीक से समझे बिना आगे के जटिल शब्दों को समझाना ठीक नहीं है।

विषय-वस्तु दक्षता

किसी भी अध्यापक के लिए अपने विषय का पूर्ण अधिकार रखना आवश्यक होता है। जैसे-किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण को सभी मन्त्रों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। अध्यापक को शिक्षण से पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना आवश्यक होता है और उनमें पारस्परिक सह-सम्बन्धों को भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है।

सम्प्रेषण सम्बन्धी दक्षता

सम्प्रेषण प्रक्रिया के अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो सकती है, जो शिक्षण को स्मृति स्तर से आगे चिन्तन और व्यावहारिक स्तर तक ले जाने में बाधक सिद्ध होगा। आचार्य राममूर्ति आयोग (1992) के प्रतिवेदन में इस दक्षता के अभाव के कारण शिक्षण अभ्यास पक्ष की निरन्तर उपेक्षा को ही मूलतः उत्तरदायी माना गया है। निरन्तर मूल्यांकन और सुधारात्मक शिक्षण के अभाव में पाठ्यक्रम हस्तान्तरण अध्यापकों को दूर कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

www.studyofeducation.com

प्रबन्धन सम्बन्धी दक्षता

एक अध्यापक/अध्यापिका को कक्षा में अनुशासन और प्रबन्धन की आवश्यकता एक उत्तम एवं प्रभावकारी शिक्षण में आवश्यकता होती है। विभिन्न शैक्षिक और पाठ्य कार्यक्रमों के आयोजन में प्रबन्धन की आवश्यकता होती है। सामूहिक शिक्षण के साथ ही अध्यापक को मार्गदर्शन में सक्षम होना पड़ता है, जो प्रबन्धन से सम्भव है। एक कुशल प्रबन्धन करने वाला अध्यापक किसी स्तर की कक्षा को सामूहिक क्रियाकलाप में संलग्न करते हुए उनमें सामाजिक दायित्वबोध और सेवा भावना का विकास कर सकता है, जबकि इसकी विपरीत परिस्थितियों में अध्यापक का कार्य मात्र कक्षा तक सीमित हो जाता है। आज आधुनिक युग जब अध्यापन के साथ दायित्व और कार्यक्षेत्र सीमा में निरन्तर विकास का सामना करने के लिए एक अध्यापक-अध्यापिका को सदैव तैयार रहने की बात की जाती है तथा उनकी दक्षता और प्रतिबद्धता को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि अध्यापक-अध्यापिका में प्रबन्ध कौशल के बारे में शिक्षण-प्रशिक्षण, शिक्षण कौशल के साथ अवश्य प्रदान कराई जाए।

मूल्यांकन दक्षता

शिक्षण में मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है, अत: मूल्यांकन दक्षता के अभाव में कोई भी अध्यापक-अध्यापिका दक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली प्रतिफल में न्यूनता और मानसिक डर को स्थान देती है, जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य है दक्षता की सीमा को स्पष्ट करना और दक्षता को प्रोत्साहित करना और उत्तीर्णांक (33 या 36% अंक) का कोई औचित्य मूल्यांकन के सन्दर्भ में नहीं रह जाता, जो यह प्रतिशत मात्र ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है।

शिक्षण प्रतिफल का मूल्यांकन मात्र प्रश्न-पत्रों के आधार पर न हो, यह आवश्यक नहीं है। छात्रों की कला का मूल्यांकन के साथ-साथ आवधिक मूल्यांकन तथा समग्र मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता वर्तमान युग में है, लेकिन प्रश्न-पत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दक्ष अध्यापक या अध्यापिका के लिए आधुनिक मापन और मूल्यांकन की विभिन्न पद्धति एवं तकनीकों से विशेष परिचय होना चाहिए।

अभिभावक सहकार्य दक्षता

परिषद् ने इस दक्षता को प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए अधिक उपयोगी पाना है, क्योंकि इस स्तर पर अवरोधन और परित्याग की सम्भावना अधिक होती है। लेकिन अन्य स्तर पर यह दक्षता कुशल अध्यापक-अध्यापिका के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, जोकि उनका सम्बन्ध समुदाय और समाज के साथ स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है।

अभिभावक आज भी इस पद्धति से उतना जागरुक नहीं है, न ही पद्धति में नियमितता, समयबद्धता, आचरण संशोधन के सम्बन्ध में विशेष रुप से सचि लेते हैं। चूँकि छात्र अधिकांश समय घर पर अपने माता-पिता या अभिभावकों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। अत: माता-पिता के सक्रिय सहयोगिता के अभाव में छात्र पर प्रतिफल की सार्थकता कदापि उचित नहीं है।

समाज के प्रति प्रतिबद्धता

अध्यापन में सफलता के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता, जिस समाज में व्यक्ति निवास करता है उसके प्रति अवश्य ही कुछ-न-कुछ दायित्व होता है। अत: किसी सामाजिक वर्ग का छात्र क्यों नहीं आया है, अध्यापक का दायित्व सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान करना होता है। सामाजिक रुप से अच्छे वर्ग के छात्रों को विशेष ध्यान देना उनका कर्त्तव्य नहीं होता है और न ही तिरस्कार करना सराहनीय हो सकता है।

जिस प्रकार छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता से अध्यापक उनसे प्रशंसित हो सकते हैं, वैसे ही समाज के प्रति प्रतिबद्धता से समाज के हर समुदाय के लोग प्रशंसित हो सकते हैं। साक्षरता सहयोग, जागरुकता विकास और प्रोत्साहन, ऐसे अनेक कार्य हैं, जिनके माध्यम से वे समाज सामाजिक प्रतिभागिता शिक्षा के प्रति अग्रसर वर्गों में आग्रह का संचार करना प्रति प्रतिवद्धता को दिखाते हुए आदरणीय बन सकते हैं।

www.studyofeducation.com

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विभिन्न संगठन

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्यों का उपयोग निर्देशन के रूप में किया जाता है। इन सभी उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में निम्नलिखित संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

राजकीय विज्ञान संस्थाएँ

इनकी स्थापना माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिए तथा विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। इनका मुख्य कार्य अध्यापकों के लिए कार्यशालाओं, कार्यगोष्ठियों और अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएँ विज्ञान के पाठ्यक्रम का निरीक्षण करती हैं और पाठ्यपुस्तकों की अध्ययन सामग्री की जाँच करती हैं।

राजकीय अंग्रेजी संस्थाएँ

सेवाकालीन अध्यापकों को प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजी की शिक्षा देने में सहायता करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अध्यापकों को अंग्रेजी शिक्षण की नवीन धारणाओं और प्रवृत्तियों से परिचित कराना तथा उन्हें शिक्षा की नवीनतम विधियों का प्रशिक्षण देना, इस संस्था का प्रमुख कार्य है। यह संस्था विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने की नई विधियों को संचालित करती है।

www.studiestoday education.com

शिक्षा की राज्य संस्थाएँ

इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवाकालीन अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए की गई है। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। इस संस्था के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों; जैसे- पाठ्यक्रम, प्रविधियों आदि पर शोध कार्य का आयोजन किया जाता है। यह संस्था विभिन्न कार्यशालाओं, गोष्ठियों, पाठ्यक्रमों आदि की व्यवस्था भी करती है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न अभिकरण

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न अभिकरण निम्न प्रकार हैं

- **क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर** इस संस्थान की स्थापना भारत के उत्तरी राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली तथा राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।
- **क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान**, **भुवनेश्वर** इस संस्थान की स्थापना भारत के पूर्वी राज्यों-बिहार, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, असम तथा मणिपुर और त्रिपुरा में शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।
- **क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल** इस संस्थान की स्थापना भारत के पश्चिमी राज्यों-महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।
- **क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर** इस संस्थान की स्थापना भारत के दक्षिणी राज्यों-आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।
- **विस्तार सेवा विभाग** सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार देश के 104 महाविद्यालयों में प्रसार-सेवा विभाग खोले गए हैं। इन विभागों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना है। इन विभागों द्वारा गोष्ठियों, वाद-विवादों आदि का आयोजन किया जाता है। इस विभाग द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यों से सम्बन्धित विषयों की शिक्षण-विधियों एवं प्रविधियों में सुधार किया जाता है।

www.studyeducation.com

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की विभिन्न रीतियाँ

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा जगत को तभी अत्याधुनिक बना सकता है, जब यह स्वयं गतिशील रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार सेवाकालीन अध्यापक के गुणों और व्यवहारों में भी परिवर्तन हो। नए परिवेश की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं से अध्यापकों को अवगत कराया जा सके, ताकि वे उन समस्याओं को भली प्रकार से समझकर उनका समाधान कर सकें।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की विभिन्न रीतियाँ निम्न प्रकार है

- **अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम** सर्वप्रथम शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार कार्यक्रमों के आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में भी शुरु किए गए। इनमें नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें बी. एड, एवं एम. एड. स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु किया गया। वर्ष 1972 में विश्वविद्यालय ने एम. एड. पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी तथा बी. एड. के पाठ्यक्रम को यथावत् जारी रखा।
- **एम. एड. का सान्ध्यकालीन पाठ्यक्रम** कुछ स्थानों पर सेवाकालीन अध्यापकों के लाभ के लिए एम. एड, के सान्ध्यकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने एम, एड, का दो वर्षीय पाठ्यक्रम

आरम्भ किया। पंजाब विश्वविद्यालय एवं पंजाबी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की सेवा क्रमशः पटियाला और चण्डीगढ़ में शुरु की, जिसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समय एक वर्ष रखा गया।

- **अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएँ** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से सेवाकालीन अध्यापकों के लिए विशेष रुप से विज्ञान विषय में देश के विभिन्न भागों में गर्मी के अवकाश में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसी संस्थाओं की समय सीमा छः सप्ताह तक होती है। इसमें वे उस कार्यक्रम में अधिक समय लेते हैं, जिससे कि उनको नए विषय का ज्ञान दिया जाए।
- **गोष्ठियाँ** सेवाकालीन गोष्ठियों का कार्यक्रम एक सप्ताह से छः सप्ताह तक होता है। इस प्रकार की गोष्ठियों की सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **रिफ्रेशर पाठ्यक्रम** नए पाठ्यक्रमों की सहायता से अध्यापकों के मध्य नए विचारों का प्रसार किया जाता है। शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक शिक्षक को पाँच वर्ष बाद तीन माह के लिए आवश्यक रुप से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1957 में भारतीय संघ के शिक्षक संगठन ने एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- **व्यावसायिक साहित्य** सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का विकास छोटीछोटी पुस्तिकाओं एवं पत्रिकाओं की सहायता से किया जा रहा है। इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय, राज्य शिक्षा के विभिन्न विभागों एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।
- **अल्पकालीन पाठ्यक्रम** सेवाकालीन अध्यापकों को अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की सहायता से शिक्षा दी जाती है।
- **दूरगामी शिक्षा** दूरगामी शिक्षा की सहायता से भी सेवाकालीन अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है।
- **अन्तराल पाठ्यक्रम** इस प्रसार के पाठ्यक्रम का उपयोग सेवाकालीन अध्यापक की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- **कार्यशालाओं का आयोजन** सेवाकालीन अध्यापकों की शिक्षा का आयोजन विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाता है।

www.studyoeducation.com

जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन शिक्षा एजेन्सियाँ और संस्थान

भारत में विभिन्न एजेन्सियाँ एवं संस्थान हैं जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। ये संस्थाएँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विभिन्न नीतियों, पाठ्यशालाओं आदि के द्वारा सेवाकालीन शिक्षा से सम्बन्धित वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण शिक्षा संस्थाएँ निम्नलिखित हैं

सर्वशिक्षा अभियान

सर्वशिक्षा अभियान (SSA) का कार्यान्वियन वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं के सामाजिक अन्तर को दूर करने के लिए सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, अध्यापकों

का प्रावधान करना, सेवाकालीन अध्यापकों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं ड्रेस की व्यवस्था करना भी इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं।

सर्वशिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके अन्तर्गत स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत राज्यों की भागीदारी से 6-14 आयु वर्ग सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

सर्वशिक्षा अभियान के विभिन्न प्रतिमानक

शिक्षक

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक।
- प्राथमिक विद्यालय में कम-से-कम दो शिक्षक।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक।

स्कूल/वैकल्पिक स्कूली सुविधा

- प्रत्येक निवास स्थान/ घर से एक किलोमीटर के भीतर स्कूल का होना।
- राज्य मानक के अनुसार और नए स्कूल खोलने या उन गाँवों या अधिवास क्षेत्रों में ईजीएस के समान स्कूल की स्थापना का प्रावधान।

उच्च प्राथमिक शिक्षा/क्षेत्र

- आवश्यकता के अनुरुप, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे बच्चों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना।

अध्ययन कक्ष (क्लास रुम)

- प्रत्येक शिक्षा या प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के लिए एक कक्ष, जो भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल में नीचे हो, वहाँ इस प्रावधान के साथ कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदा सहित दो कक्ष के साथ दो शिक्षक का प्रावधान हो।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय या वर्ग में हेड मास्टर के लिए एक अलग कक्ष का प्रावधान।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक

- प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली सभी लड़कियों/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।
- निः शुल्क पाठ्यपुस्तक के लिए राज्यों द्वारा दी जा रही निधि वर्तमान में राज्य योजना के द्वारा प्रदान की जाती है।

www.studyofeducation.com

- यदि कोई राज्य प्रारम्भिक वर्गों में बच्चों को दी जाने वाली पाठ्यपुस्तक के मूल्य पर आंशिक रुप से वित्तीय सहायता दे रही है, तो ऐसी स्थिति में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों द्वारा वहन की जा रही राशि का भाग, राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देय नहीं होगा।

शिक्षण प्रशिक्षण

- प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन का सेवाकाल पाठ्यक्रम का प्रावधान, पहले से ही नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 60 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और नए प्रशिक्षित नियुक्त शिक्षक के लिए 30 दिन का ₹ 70 की दर से अभिसंस्करण (ओरिएण्टेशन) कार्यक्रम। .
- इकाई लागत सूचक है, जो गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम होती है, जबकि आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक होती है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान होने वाली सभी लागते शामिल होती हैं।
- मूल्य निरुपण के दौरान प्रभावी प्रशिक्षण के लिए क्षमता का मूल्यांकन, विस्तार की सीमा का निर्धारण करेगी।
- वर्तमान शिक्षक शिक्षा योजना के अन्तर्गत एस.सी.ई.आर टी/डी. आई. ई. टी के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। यह योजना मार्च, 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बढ़ाने एवं शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरु की गई थी। एम.एस.ए. की तरह आर.एम.एस.ए. भी बहुपक्षीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, सलाहकागं, परामर्शदाताओं तथा विभिन्न अनुसन्धान एजेन्सियों से सहायता प्राप्त करता है। रमया (RMSA) का लक्ष्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलका कराकर पाँच वर्ष में सकल नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75% तक बढ़ाने का है। इसके अतिरिक्त सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरुप बनाते हुए, महिला-पुरुष भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक निःशक्तता बाधाओं को मिटाते हुए वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की व्यापक सुलभता सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत सेवाकालीन शिक्षकों के लिए एक विशेष दक्षता पैकेज तैयार किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न माड्यूलों को स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य सेवाकालीन अध्यापकों की दक्षता में वृद्धि करना है। यह पैकेज शिक्षकों में गुणात्मक सुधार के द्वारा उनके अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करता है।

विद्यालय में क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या पढ़ाया जा रहा है, के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों के लिए बदलते ज्ञान-विज्ञान के अनुरुप स्वयं को परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। इसलिए यह पैकेज सेवाकालीन शिक्षकों की जानकारी को समृद्ध करने के साथ-साथ उनकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करता है।

www.studyofeducation.com

इसके विभिन्न माड्यूल निम्नलिखित हैं

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विश्लेषण
- भाषिक कौशल की प्रधानता
- साहित्यिक पाठ्यक्रमों का अनुश्रवण और प्रशिक्षण
- जन संचार माध्यमों का अनुप्रयोग
- सृजनात्मक क्षमताओं का विकास
- आकलन एवं मूल्यांकन

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण (SCERT) परिषद् के समान राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कार्य किया जाता है। कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education, SIE) के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में वर्ष 1960 के मध्य की गई थी।

विद्यालयी व्यवस्था को अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु गठित राज्य शिक्षा संस्थान की संख्या जब काफी बढ़ी गई, तो वर्ष 1970 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के रूप में स्थापित किया गया।

प्रारम्भ में यह मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा के सार्वजनीकरण से सम्बन्धित थी, फिर भी विद्यालय शिक्षा के अन्य पक्षों की ओर भी इस संस्था द्वारा अपेक्षित ध्यान दिया गया। राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश देती है। इसका मुख्य अधिकारी इसका निदेशक एवं संयुक्त निदेशक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लक्ष्यों एवं अनुसन्धान कार्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निश्चित किया जाता है, उन्हें प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुसार अपनाता है।

परिषद् के कार्य

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- ➢ राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना।
- ➢ प्रत्येक विषय हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

www.studyofeducation.com

- विशिष्ट समूह जैसे जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्र में अलग से इकाइयों को खोलकर उनके विशेषज्ञों की नियुक्त करना एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था करना।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं अन्य केन्द्रीय संगठनों से शैक्षिक सम्बन्ध स्थापित करना।
- विभिन्न नवाचारों, शिक्षण एवं मूल्यांकन की आधुनिक प्रविधियों तथा शिक्षण सहायक सामग्री के विकास का ज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्तियाँ, भत्ते इत्यादि की परियोजनाएँ बनाना। करना।
- सेवारत् विद्यालय निरीक्षकों का उन्मुखीकरण
- विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण मण्डल के कार्यक्रमों की संकल्पना और क्रियान्वयन करना।
- अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
- शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। पाठ्यक्रमों/पाठ्य-पुस्तकों के पुनर्निरीक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव देना।
- प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति अथवा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रकार की चयन परीक्षाओं का आयोजन करना अथवा इस प्रकार की परीक्षाओं हेतु शिक्षा विभाग को सहयोग देना।
- आदर्श विद्यालयों के विकास में सहायता देना।
- विद्यालयी स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों में मागदर्शन एवं पर्यवेक्षण के रूप में सहयोग करना।
- पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन करना।
- इन कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जो कार्य पौंपे जाएँ, उन्हें पूरा करना।

www.studyeducation.com

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ठपलव्य कराने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा 1 सितम्बर, वर्ष 1961 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की स्थापना, नई दिल्ली में की गई थी। यह परिषद् मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। परिषद् का वित्तपोषण पूर्णतया भारत सरकार करती है।

राष्ट्रीय शैक्षिंक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, शिमला, तिरुअनन्तपुरम, इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, शिलांग और श्रीनगर/जम्मू में सत्रह 1 क्षेत्रीय कार्यालय

भी स्थापित किए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय परिषद् को राज्यों में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं तथा राज्यों को परिषद् द्वारा किए गए कार्य का उपयोग करने में सहायता देते हैं।

परिषद् का संगठन

यह एक सलाहकारी निकाय है, जिसका संगठन निम्नलिखित है

- सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के शिक्षामन्त्री।
- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के सचिव।
- विश्वविद्यालयों के चार कुलपति (प्रत्येक क्षेत्र से एक)।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक।
- प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, श्रम मन्त्रालय के निदेशक (प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि।
- परिषद् की कार्यकारणी समिति के सभी सदस्य, जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं।
- छ: ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनमें कम-से-कम चार सदस्य विद्यालय शिक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।

परिषद् की कार्यकारिणी समिति

इस परिषद् के कार्यों को व्यावहारिक रुप देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का प्रावधान किया गया है। यह कार्यकारिणी समिति परिषद् के कार्यों के प्रारुप का निर्धारण करती है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमन्त्री इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं।

कार्यकारिणी समिति के सदस्य

इस समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाता है

- मानव संसाधन विकास मन्त्रालयों के सचिव।
- परिषद् के निदेशक।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष।
- विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले दो शिक्षाविद् एवं दो विद्यालय शिक्षक।
- परिषद् के संयुक्त निदेशक।
- परिषद् के तीन संकाय सदस्य।

www.studyofeducation.com

- ➢ मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि।
- ➢ वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि (वित्त सलाहकार)
- ➢ संयोजक परिषद् का सचिव।

परिषद् के कार्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के शैक्षिक विंग (Academic Wing) के रूप में कार्य करती है। यह मन्त्रालय समाज कल्याण मन्त्रालय को विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों और वृहद् कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वियन में सहायता करता है। साथ ही विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीति-निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में उसको सहायता प्रदान करता है।

विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए यह परिषद् देश में फैले अपने संघटको के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करती है

- ➢ विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य करना, उसमें सहायता पहुँचाना एवं उसे संवर्द्धित और समन्वित करना।
- ➢ शिक्षकों के लिए सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च स्तर पर आयोजित करना।
- ➢ परिष्कृत शैक्षिक तकनीकों, पद्धतियों एवं नूतन प्रक्रियाओं का विकास एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्य करना।
- ➢ विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र की सरकार को और राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तर की संस्थाओं, संगठनों एवं अभिकरणों को कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन में सहायता देना।
- ➢ यूनेस्को (UNESCO), यूनीसेफ (UNICEF), यू.एन.डी.पी. (UNDP) एवं यू.एन.एफ.पी.ए. (UNFPA) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों की राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
- ➢ अन्य देशों के शैक्षिक कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करना।
- ➢ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) तथा एशिया एवं प्रशान्त के शैक्षिक नवाचारों के विकास कार्यक्रम के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय विकास समूह के अकादमिक सचिवालय के रूप में कार्य करना।

परिषद् से संलग्न इकाइयाँ

इस परिषद् में संलग्न इकाइयाँ निम्नलिखित हैं

- राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।
- केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
- पण्डित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल।
- शैक्षिक अनुसन्धान एवं नवाचार समिति, नई दिल्ली।

www.studyofeducation.com

- क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय-अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर एवं शिलांग।

उपरोक्त पाँचों शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना, 1963 में बने **मुदालियर आयोग** की अनुशंसा पर की गई थी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

शिक्षा आयोग (1964-66) के सुझावों के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की स्थापना मई, वर्ष 1973 में की गई। वर्ष 1973 से वर्ष 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए सचिवालय के रुप में कार्य कर रही थी, क्योंकि यह संस्था अवैधानिक थी।

वर्ष 1993 में संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को पूर्ण वैधानिक संस्था के रुप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक-शिक्षा के मानको एवं स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना है। इस परिषद् ने 1 जुलाई, 1995 से विधिवत् अपना कार्य प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यों में सहयोग के लिए चार क्षेत्रीय समितियाँ (प्रत्येक क्षेत्र में एक) भी स्थापित की गईं,

जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं

- उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर-दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और चण्डीगढ़।
- दक्षिण क्षेत्रीय समिति, बंगलौर-आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एवं पॉण्डिचेरी।
- पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल-गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव।

परिषद् के कार्य

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना।
- देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करना।
- अध्यापक शिक्षा के लिए उपयुक्त योजनाएँ तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा करना।

www.studiestoday.com

- विद्यालयो तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश तैयार करना।
- अध्यापक शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना।
- इसमें प्रवेश हेतु पात्रता मानक, उम्मीदवारों की चयन पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम, विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या प्रकार भी सम्मिलित है।
- विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु भौतिक एवं आधार-संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने, संकाय सदस्यों की संख्या तथा उनकी योग्यता आदि का निर्धारण करना।
- मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से सम्बन्धित मार्ग-निर्देश तैयार करना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नव-प्रवर्तन तथा अनुसन्धान को बढ़ावा देना और उसके परिणामों का प्रसार करना।
- परिषद् द्वारा निर्धारित मानको, मार्ग-निर्देशों तथा स्तरों की समय-समय पर जाँच एवं समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सलाह देना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ तैयार करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगाना व अध्यापक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए नई संस्थाएँ स्थापित करना।
- अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करना।
- अन्य वे सभी कार्य करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त हों। अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और संरक्षण करना।
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों में फैकल्टियों की भर्ती करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

www.studyofeducation.com

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिए वर्ष 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति (UGC) का गठन किया था। यह समिति भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयोंबनारस, दिल्ली एवं अलीगढ़ को अनुदान अनुमोदित करने से सम्बन्ध रखती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) गठित करने की अनुशंसा की थी। इसके फलस्वरुप भारत सरकार ने 28 दिसम्बर, 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया, जिसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिए छ: क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, जिनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार से हैं

1. उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद-जम्मू एण्ड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश।

2. केन्द्रीय क्षेत्र, भोपाल-मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान।

3. पश्चिम क्षेत्र, पुणे-महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा।

4. दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद-केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक।

5. पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता-पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा एवं सिक्किम

6. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी-असम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम।

आयोग का संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुल 12 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, चार विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिनिधि तथा शेष चार की नियुक्ति कुलपतियों, शिक्षा व्यवसाय के सदस्यों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति क्रमशः 5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए की जाती है। आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है।

आयोग के कार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक तय करने हेतु किया गया था। यह संस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा को संस्थाओं को जोड़ने की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है

आयोग उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण एवं समन्वय से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य करता है

- विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना।
- विश्वविद्यालय के चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- अनुसन्धान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना।
- परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु सुझाव देना।
- शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम, कानून बनाना तथा उनके
- शिक्षण की शर्तें एवं न्यूनतम योग्यता इत्यादि का निर्धारण करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत् सभी विश्वविद्यालय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, पर्यावरण शिक्षा, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान देता है।

आयोग उच्च शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों के विकास एवं संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कार्य करता है

www.studyofeducation.com

- विशेष सहायता।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए सहायता।
- स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता।

आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके शैक्षिक विकास के लिए संगोष्ठी, परिचर्या, कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिए अपने निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए आयोग अनेक कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों को शोध छात्रवृत्तियाँ एवं फैलोशिप्स प्रदान करता है तथा विकलांग छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है।
आयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न देशों के मध्य परस्पर सहयोग एवं द्विपक्षी विनिमय कार्यक्रमों के लिए संयुक्त संगोष्ठियाँ, यात्राएँ, फैलोशिप्स आदि के लिए अनुदान देकर सहायता करता है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने में विचारणीय प्राथमिक बिन्दु

www.studyofeducation.com

भारत में शिक्षा नीतियों को समय-समय पर बदलती आवश्यकताओं अनुसार निरुपित किया गया है। विभिन्न शिक्षा नीतियों और आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों में चिह्नित अनुशंसा के आधार पर शिक्षा योजनाओं को भी परिवर्तित किया जाता रहा है। कोठारी आयोग (1966), चट्टोपाध्याय समिति (1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, संशोधन 1992), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (2005) एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (1 अप्रैल, 2010 से लागू) इन सभी ने शिक्षा योजनाओं के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

देश की संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यापक शिक्षा पर विस्तृत नीतिगत और विधिक ढाँचा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, फिर भी विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। शिक्षा, भारत में समवर्ती सूची का विषय है, जिससे तात्पर्य यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण कर सकती है।

उद्देश्य एवं समयावधि

देश में उपलब्ध संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा योजनाओं के सन्दर्भ में दोहरी कार्यनीति को अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत सेवापूर्ण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। सेवापूर्ण प्रशिक्षण योजनाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) जोकि केन्द्र सरकार का सांविधिक निकाय है, देश में शिक्षक योजनाओं को व्यावहारिक रुप देने के लिए जिम्मेदार है। सेवाकालीन प्रशिक्षण योजनाओं के लिए देश में 'शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का एक बड़ा नेटवर्क है जोकि स्कूल अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सेवाकालीन शिक्षा योजनाओं को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है

- बदलती आवश्यकताओं के अनुरुप अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- केन्द्रीय और राज्य स्तर की कार्यरत् विभिन्न शिक्षण संस्थानों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू करने के मानदण्ड स्थापित करना।
- अध्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु विधियों का निर्माण करना।
- प्राइमरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा हेतु एक दीर्घकालीन कार्यक्रम का निर्धारण करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं; जैसे–विश्व बैंक यूनेस्को, यू एन डी पी आदि के समन्वय स्थापित करते हुए अध्यापक शिक्षा के विभिन्न मानदण्डों को स्थापित करना।
- सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल अध्यापकों को 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण, अप्रशिक्षित अध्यापकों को 60 दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम व नवनियुक्त प्रशिक्षित अध्यापकों को 30 दिन का अभिमुखन प्रदान किया जाता है। अतः इस प्रशिक्षण अवधि के द्वारा अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण योजनाओं को तैयार और लागू करना।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा, 2005 के मानकों और प्रावधानों को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करना।
- सतत विकास लक्ष्यों, 2030 के दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण योजनाएँ तैयार करना।

www.studyofeducation.com

संसाधन एवं बजट

सेवाकालीन अध्यापक योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मुख्य रुप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। सेवापूर्ण अध्यापक योजना के सम्बन्ध में यह वित्तीय राशि डी आई ई टी, सी टी ई और आई ए सी ए सहित अन्य संस्थाओं को प्रदान की जाती है।

सेवाकालीन अध्यापक योजना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय राशि मुख्य रूप से सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालयों, उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय राशि जारी की जाती है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा योजना के सम्बन्ध में बजटीय राशि का प्रावधान निम्नलिखित संस्थानों द्वारा किया जाता है

- केन्द्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय राशि
- राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय राशि
- गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा देय राशि

- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता और ऋण के रुप में प्रदान की गई राशि।

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के अतिरिक्त, प्रखण्ड और जिला स्तर भी अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन क्रमशः प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (बी आर सी) तथा समूह संसाधन केन्द्रों (सी आर सी) द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त बहुत-सी सिविल सोसायटी, गैर सहायता प्राप्त स्कूल और संस्थान आदि भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन संसाधनों के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

व्यवसाय के रूप में अध्यापन

व्यवसाय एवं व्यवसायीकरण की संकल्पना (Concept of Profession and Professionalism)

www.studyofeducation.com

व्यवसाय सामान्यत: किसी सेवा का व्यापक रुप माना जाता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक कैरियर है, जो समाज का अभिन्न अंग बनना चाहता है, जो प्रशिक्षण के माध्यम से अपने चुने हुए क्षेत्र में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति निरन्तर व्यावसायिक विकास के माध्यम से अपने कौशल को बनाए रखते हैं और लोगों के हितों की रक्षा हेतु नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। 19वीं सदी में व्यवसायों को कानून, धर्म और चिकित्सा के रुप में परिभाषित किया गया था। वर्तमान में व्यवसायों की संख्या व्यापक हो गई है क्योकि व्यवसाय प्रकृति में अधिक विशिष्ट हो जाते हैं एवं प्रारम्भिक और प्रचलित शिक्षा के कुछ मानक आवश्यकता के सन्दर्भ में अधिक पेशेवर हो जाते हैं।

पेशा एक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर आधारित एक व्यवसाय का प्रतिरूप माना जाता है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष और निश्चित क्षति-पूर्ति के लिए अन्य व्यावसायिक लाभ की उम्मीद से अलग पूर्ण उद्देश्य वाली सेवा की आपूर्ति करना है।

सभी व्यवसाय में एक शक्ति विद्यमान होती है, जिसका उपयोग अपने स्वयं के सदस्यों को नियन्त्रित करने हेतु किया जाता है। एक व्यवसाय अपनी विशेषज्ञता और हितों के क्षेत्र पर हावी होने और अपने सदस्यों के आचरण की रक्षा करने तथा अपने व्यापक क्षेत्र पर एक प्रभावी प्रभाव डालने का प्रयास करता है। इसका तात्पर्य है कि एक व्यावसायिक एकाधिकारवादी कार्य कर सकता है।

व्यवसायीकरण शब्द का उपयोग उन कौशलों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों का वर्णन करने हेतु किया जाता है जो हम अपने पेशे के अभ्यास के दौरान व्यक्तियों से उम्मीद करते हैं। इसमें सक्षमता, नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परोपकारिता, दूसरे की सेवा जैसे प्रमुख गुण शामिल होते हैं। व्यवसायीकरण शब्द कार्य की दुनिया में अमूर्त अर्थों को अभिव्यक्त करता है। यह शब्द सामान्य रुप से किसी भी कार्य के उच्च प्रदर्शन वाले कर्मचारियों

से जुड़ा होता है। व्यवसायीकरण के अर्थ को अधिक सटीक रूप से समझने हेतु किसी पेशेवर कार्य की व्यापकता को समझना आवश्यक है। अपने चुने हुए गोत्र में एक पेशेवर होने का तात्पर्य केवल कॉलेज की तिमी प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। व्यवसायीकरण में स्पष्ट उपस्थिति, जिम्मेदारी, जवाबदेही, अनुशासन, आचारनीति आदि को प्रदर्शित किया जाता है।

एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन (Teaching as a Form of Profession)

अध्यापको में अध्यापन विकास वर्तमान युग में एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है। इसे अनेकों प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है। जैसे-अध्यापकों में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और यह विचारधारा हर अध्यापक के स्तर पर लागू हो। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जुड़े सभी शिक्षकों से यह आशा है कि वे अपने कार्य में, व्यवसाय-भाव से जुड़ें और अपने व्यवसाय में दक्षता हासिल करे। अध्यापकों का व्यवसाय विकास का प्रश्न उठते ही, मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि क्या अध्यापन व्यवसाय के रूप में है? सरल शब्दों में, यदि व्यवसाय को परिभाषित किया जाए व्यवसाय जीवन जीने का एक तरीका है। यह अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसमें कल-कारखाने, कृषि करने तथा मछलीपालन इत्यादि वे सभी रोजगार शामिल है, जिसमें मानव प्रजाति अपनी जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सुविधा अर्जित करती है।

www.studyofeducation.com

शब्दकोष के अनुसार, एक वह व्यवसाय है, जिसमें वैज्ञानिकों को शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट व्यवसाय के रूप में डॉक्टर, इंजीनियर को आदर्श माना जाता है। यदि शिक्षण का आकलन व्यवसाय की विशेषताओं के मानक पर किया जाए तो मेडिकल (डॉक्टर) या इंजीनियर या वकील जैसे व्यवसाय को शास्त्रीय श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एक डॉक्टर, वकील अपनी स्वतन्त्रता से अभ्यास कर सकता है।

इसे प्रारम्भ में सम्बन्धित कार्यालय से लाइसेंस लेना पड़ता है और साथ-ही-साथ आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। किसी वकील या डॉक्टर की प्रभावशीलता का आसानी से आकलन किया जा सकता है; जैसे-डॉक्टर ने कितनों को ठीक किया है, बाजार में उनके नाम से मरीजों पर क्या-क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार वकील ने कितने मुकदमों को जीता है, या नहीं, उनकी वाक्-शैली जज के सामने कैसी है, क्या अपनी वाक्-शैली से जज को प्रभावित कर सकता है या नहीं? इसके विपरीत शिक्षण एक विशिष्ट व्यवसाय है, जिसकी अपनी विशेषताएँ हैं। एक व्यवसाय में अध्यापन की अवधारणा का विकास सम्भवतः यू. के. (ब्रिटेन) में हुई थी। के रूप

अध्यापक की भूमिका

अध्यापक-छात्र के बीच सम्बन्ध सदैव रहते है। अध्यापक अपने व्यवसाय में लम्बी अवधि तक अध्ययन/अध्यापन करने की प्रक्रिया से गुजरता है, तब जाकर अध्यापक ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव अर्जित करता है। अध्यापक व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह समाज की नई पीढ़ी को अज्ञान के अन्धकार से बाहर लाकर समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरुप आकृति देता है। अध्यापक केवल ज्ञान को नहीं बाँटता है, बल्कि ज्ञान-विज्ञान तथा कलात्मक विधि का सूत्रपात और विस्तार करता है। यदि आज हम भारतीय परिवेश में देखें तो अध्यापक का एक अतिविकसित संघ है।

आज शिक्षण एक वेतनभोगी व्यवसाय समूह है, जो पहले से निर्धारित पाठ्यक्रमों को कक्षा में पढ़ाता है। अध्यापन और मूल्यांकन सभी के नियम बने बनाए मिलते हैं। अध्यापक सभी छात्रों को एकसाथ पढ़ाते हैं, उसमें कुछ

विद्यार्थी कमजोर होते है, जिन्हें नजरअन्दाज का दिया जाता है। इसी प्रकार अध्यापक के शिक्षण की गणवना का प्रश्न है तो वो भी मानक से एका हाता है, क्योंकि विद्यार्थियों की सफलता मे किम अध्यापक का कितना योगदान है और स्कूल के बाहर के अन्य घटक जैसे विद्यार्थियों के माता पिता, बड़े भाई-बहन का कितना योगदान है, निश्चित तौर पर यह कह पाना कठिन होता है, कि किसका कितना प्रतिशत योगदान है। उसी प्रकार यह भी तय नही किया जा सकता है कि किसी अध्यापक का अपने विद्यार्थी के समग्र विकास में कितना और कितनी दूर तक प्रभाव पड़ता है?

www.studyofeducation.com

अध्यापकों की व्यावसायिक आचार-नीति

व्यावसायिक आचार-नीति को व्यक्तिगत और कॉरिट नियमो के रुप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी विशेष व्यवसाय के सन्दर्भ में व्यवहार को नियन्त्रित किया जाता है, तब आचार-नीति सामान्य रुप से जनता की सुरक्षा और पेशेवर की प्रतिष्ठा के लिए एक तरीके से अव्यावसायिक आदेश द्वारा स्थापित की जाती है। वास्तव में, जो लोग अपनी आचार-नीति और अनुशासनात्मक कार्यों का उल्लंघन करते है केवल एक सूचना या चेतावनी के कारण उनके पेशेवर आदेश को निष्काषित कर सकते हैं। एक अध्यापक को आचार-नीति का नियमित रुप से पालन करना आवश्यक माना जाता है।

सबसे उपयुक्त स्थिति यह होती है कि शिक्षकों को कक्षा में और माता-पिता एवं सहकर्मियों के साथ अपने आचरण में निष्पक्षता और नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए। अध्यापकों को दृढ़ता, ईमानदारी, सम्मान, कानून, शौर्य, निष्पक्षता, जिम्मेदारी और एकता जैसे मजबूत चरित्र लक्षणों को मॉडल करना चाहिए। अध्यापक छात्रों को शैक्षिक मूल बातें सीखने में निरन्तर सहायता करते हैं। वे एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करके मूल्यवान जीवन की शिक्षा देते हैं। एक रोल मॉडल के रुप में अध्यापक को आचार-नीति के एक पेशेवर कोड (संहिता) का पालन करना चाहिए।

अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को एक निष्पक्ष, ईमानदार और समझौताविहीन शिक्षा मिले। आचार-नीति का पेशेवर कोड अपने छात्रों के लिए अध्यापकों की मुख्य जिम्मेदारियों की रुपरेखा तैयार करता है। साथ ही छात्रों में उनकी जीवन की भूमिका को परिभाषित करता है। एक अध्यापक के रुप में शिक्षकों को अपने प्रत्येक छात्र के साथ निष्पक्षता, दया, समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में अनुशासन सम्बन्धित व्यवहारों को विकसित करने में अध्यापक की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। इसलिए अध्यापक को भी अनुशासित होना चाहिए। छात्रों की गोपनीयता बनाए रखना भी अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। छात्रों से व्यावहारिक सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए। साथ ही अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों से कोई भी अपना निजी कार्य नहीं करवाएँ अन्यथा छात्र-अध्यापक सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो जाती है।

अध्यापकों को अध्यापन के पेशे के प्रति पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध होना चाहिए। अपनी कक्षा में सुरक्षा और स्वीकृति को प्रोत्साहित करना चाहिए। सदैव बदनीयत, दुश्मनी, बेईमानी, उपेक्षा या अपमानजनक आचरण से बचना चाहिए। अपनी योग्यता और साख का सही-सही वर्णन स्कूल बोर्ड या प्रधानाध्यापकों को करना चाहिए। स्कूल द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना अध्यापक की पूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है।

अध्यापन में अधिगम

अध्यापन में अधिगम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। आचरण-नीति की एक पेशेवर संहिता, शिक्षा की आवश्यकताओं और करियर के विकास में नियमित रुप से जारी रखना चाहिए। नई शिक्षण विधियों पर शोध करना चाहिए। अपने प्रमाणपत्रों को बनाए रखने के उद्देश्य से भाग लेना चाहिए।

पेशेवर सलाह के लिए सहयोगियों से नियमित परामर्श करना चाहिए। पाठ्यक्रमों के सुधार में भाग लेना चाहिए और कक्षा के लिए तकनीकी प्रगति पर अद्यतित रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपनी शिक्षण विधियाँ, नवीन, प्रासंगिक और व्यापक बनाए रखे। अध्यापकों को अपनी शिक्षण रणनीतियों में लगातार सुधार करने के लिए शैक्षिक अनुसन्धान में संलग्न होना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के साथ स्वस्थ सम्बन्धों को प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त माता-पिता, स्कूल के कर्मचारियों, समुदाय के सहयोगियों, मार्गदर्शन परामर्शदाताओं और प्रशासकों के साथ मजबूत सम्बन्ध बनाने चाहिए।

अध्यापकों को अपने सहकर्मियों के बारे में निजी जानकारी पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, जब तक कि नियम या वैधानिक नियमों द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता न हो। सहकर्मियों के बारे में गलत या व्यर्थ टिप्पणियों सहित अधिक बातचीत से बचना चाहिए। आचार-नीति के कोड को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अध्यापक को अपने साथी अध्यापकों, अभिभावकों और प्रशासको के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो अधिगम के लिए पूरी तरह अनुकूल हो।

एक अध्यापक को छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि वे अध्यापक के रुप में सेवा करने की तैयारी करते हैं। इसलिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण एवं एक टीम केन्द्रित मानसिकता सभी के अन्दर लाई जाती है।

www.studyofeducation.com

राष्ट्रीय शिक्षा संघ द्वारा विकसित आचार संहिता अध्यापकों को उनकी पेशेवर योग्यता को गलत तरीके से पेश नहीं करने की चेतावनी देती है। आचार-नीति यह निर्धारित करती है कि शिक्षक स्कूल के धन या उपकरण का गलत प्रयोग करते हैं। अध्यापक एक नैतिक रुप से आवश्यक व्यावसायिक विकास पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि यह छात्रों को उनके प्रभार, बेहतर सेवा करने में सहायता कर सकता है।

अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक

अध्यापन को एक जटिल कार्य के रुप में पेश किया जाता है। इस पेशे से जुड़े अध्यापक नियमित रुप से ऐसी समस्याओं का सामना करते रहते हैं। इस पेशे से जुड़ी समस्याओं के प्रतिरुप भले ही अलग होते हैं, परन्तु इससे अध्यापन प्रणाली निश्चित रुप से प्रभावित होती है।

शोधकर्ताओं को संज्ञानात्मक और स्थित दृष्टिकोण संचालित किया गया है कि कैसे व्यक्तिगत गुणों और प्रासंगिक कारक प्राथमिक विशेष शिक्षा अध्यापकों के बहुमुखी व्यावसायिक विकास परियोजना, साक्षरता अधिगम एवं कोहोर्ट में सीखने को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त शब्द अध्ययन और प्रवाह निर्देश पर विशेष ध्यान दिया। कहा जाता है कि शिक्षण के बिना स्वयं विकास सम्भव नहीं है। एक अध्यापक को नियमित अध्ययन करना एवं साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न रहना अधिक आवश्यक माना जाता है। इससे उसकी शिक्षण गुणवत्ता बनी रहती है।

व्यतैयक्तिक कारक

अध्यापन एक ऐसा कार्य क्षेत्र है, जिसमें व्यावसायिक विकास अनिवार्य है। रोडीग्यूज मैक का मानना है कि अप्रशिक्षित अध्यापक के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए अध्यापक को किसी मानक संस्थान से व्यावसायिक विकास गतिविधियों को पूरी तरह से सीखना चाहिए। अनुभवी अध्यापक ही शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकता है। किसी भी शैक्षिक

संस्थान के लिए बेहतरीन शिक्षण अनिवार्य होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक की समझ विकसित हो, वह पूरी तरह प्रशिक्षित हो, उसे विषय के सन्दर्भ में समग्र ज्ञान हो। भाषा पर कमजोर पकड़, तनाव, ज्ञान का अपाय ऐसे वैयक्तिक (Personal) कारक हैं, जो अध्यापक के विकास को प्रभावित करते हैं।

पाचेयर और फिल्ड के अनुसार, एक अध्यापक की अपनी भाषा पर पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। भाषायी ज्ञान के अभाव में अध्यापक शिक्षण कार्य में निपुण नहीं हो सकता। व्यावसायिक शिक्षण के विकास के लिए भाषा सम्बन्धित ज्ञान होना आवश्यक है। क्याकमैन ने व्यावसायिक विकास का अध्ययन करते हुए दो प्रकार की समस्याओं को बताया-पहला व्यक्तिगत सम्बन्धित समस्या एवं दूसरा प्रसंगाश्रित सम्बन्धित समस्याएँ।

www.studyofeducation.com

व्यक्तिगत समस्याओं में तनाव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका मानना है कि तनाव और शिक्षण दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। कारासेक और थ्यूरैल के अनुसार, तनाव व्यावसायिक शिक्षण विकास को प्रभावित करता है। शिक्षण के दौरान जटिल तनाव सृजित होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। संवेदनशील, थकान एवं व्यक्तित्व व्यवहार पर प्रतिकूल असर तनाव के मुख्य कारण हो सकते हैं। शिक्षण के दौरान तनाव से अध्यापक की कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अकुशल समय और कार्य प्रवन्धन के सम्भावित परिणाम, प्रासंगिक घटनाओं पर स्वयं को अद्यतित रखने हेतु अपनी स्वयं की व्यावसायिक आवश्यकताओं पर ध्यान न रखना, नौकरी से सन्तुष्टि का लोप होना, सम्भावित तनाव, सम्बन्धित स्वास्थ्य ज्ञान आदि सभी ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं, जो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रासंगिक कारक

व्यक्तिगत छात्रों को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक (Contextual) कारकों में आयु, लिंग सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत हित शामिल हैं। शिक्षको को इन विशेषताओं के आधार पर छात्र की जरुरतों का अनुमान लगाना चाहिए। उदाहरणस्वरुप, नए छात्र गतिविधियों पर ध्यान देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जबकि पुराने छात्र ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। प्रासंगिक कारक शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना एक बुलबुले में नहीं होता है। यह प्रक्रिया कक्षा से परे दुनिया से प्रभावित होती है। प्रासंगिक कारक इन बाहरी प्रभावों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है।

समुदाय, छात्रों और स्वयं स्कूल की प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी कक्षाओं में सफल होने के लिए शिक्षकों को अपनी प्रासंगिक जानकारी के आधार पर अपने छात्रों की जरुरतों का अनुमान लगाकर योजना में संलग्न होना चाहिए।

शिक्षा के लिए सामुदायिक साझेदारी का होना आवश्यक है। भौगोलिक स्थिति, शिक्षा के लिए सामुदायिक समर्थन, सामुदायिक स्थिरता, प्रजाति एवं आचार-नीति कक्षा का प्रासंगिक कारक जिसमें भौतिक विशेषताएँ, तकनीक, माता-पिता की भागीदारी एवं कक्षा की व्यवस्था, ऐसे प्रमुख कारक हैं जो शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

चार प्रासंगिक कारक लिंग, आयु, संस्कृति और स्वयं हित जो निर्देशात्मक डिजाइन और मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में अधिगम की क्षमता निम्न होती है। ऐसे में अध्यापकों के समक्ष यह चुनौती होती है कि वह कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण करे कि सभी को समान रुप से शिक्षित किया जा सके। संस्कृतियों का मिश्रण जो कई तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद विविधता पाई जाती है। कई बच्चों को काफी कम आयु में स्वतन्त्र होने के लिए प्रेरित किया जाता है। लक्ष्यों को सीखना, मूल्यांकन एवं आवश्यक निर्देश छात्र कौशल एवं पूर्व सीखने के लक्षण को दर्शाता है।

www.studyofeducation.com

आईसीटी एकीकरण (ICT Integration)

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमे सूचना के संचार हेतु प्रत्येक प्रकार की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वो प्रौद्योगिकी है जो सूचना के संचालन अर्थात् रचना भण्डारण और उपयोग की योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न माध्यमों (रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन, कम्प्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। कृषि, स्वास्थ्य शासन, प्रबन्ध, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आईसीटी के विकास का प्रभाव है। उच्च शिक्षा में आईसीटी का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी प्रभावशाली साधन है। आईसीटी के शिक्षा में अभिग्रहण के प्रमुख कारक है-किसी भी प्रणाली का लक्ष्य, कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके, अधिगम सामग्री और संसाधन, संवाद, समर्थन और वितरण प्रणाली, छात्र अध्यापक, स्टाफ और अन्य विशेषज्ञ, प्रबन्ध और मूल्यांकन आईसीटी शिक्षण व्यवस्था से उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। आईसीटी एक प्लम्बिंग प्रणाली की भाँति है जहाँ सूचना (संगृहीत जल), सूचना प्रौद्योगिकी (भण्डारण टंकी) में संचयित होती है तथा संचार प्रौद्योगिकी (पाइप) के माध्यम से संचार (बहता जल) प्राप्तक के पास पहुँचता है।

उपयोगी डेटा और सूचना के सृजन संचरण, भण्डारण, पुनः प्राप्ति और डिजिटल रूपों में संचालन जैसी आईसीटी की डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना के पूरे चक्र में प्रयोग में लाई जाती है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक है

- **कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी** इसके अन्तर्गत माइक्रो कम्प्यूटर, सर्वर, बड़े मेनफ्रेम, कम्प्यूटर के साथ-साथ इनपुट, आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियाँ आती हैं। .
- **कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी** इसके अन्तर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डेटाबेस प्रबन्धन प्रणाली, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। .
- **दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी** इसके अन्तर्गत दूरसंचार के माध्यम प्रोसेसर तथा इण्टरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा सूचना का कूटन (क्रिप्टोग्राफी) आते हैं।
- **मानव संसाधन** तन्त्र प्रशासन व नेटवर्क प्रशासन।

उच्च शिक्षा में आई.सी.टी. की भूमिका/महत्त्व

उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आई, सी. टी. की महत्त्वता निम्नलिखित है

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतन्त्र का आधार मानी जाती है।

www.studyofeducation.com

- पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं उपयुक्त साधन मानी जाती है।
- सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण होता है।
- सूचना सम्पन्नता से सशक्तीकण को व्यापक बल मिलता है।
- नवीन रोजगारों के सृजन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रासंगिक भूमिका निभाती है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी के अभिप्रहण से निम्नलिखित सुविधाएं मिलती है

- इससे दूरवर्ती स्थानो में पढ़ाई की गुणवत्ता समृद्ध की जा सकती है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने में उनकी प्रक्रियाओ और अनुपालन मापदण्डो को मजबूती प्राप्त होती है।
- यह छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेवसाइट, विश्लेषण और ग्राण्ड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया, मेट्रिक्स का विश्लेषण करने हेतु प्रयोग किया जाता है।
- इण्टरनेट (वर्चुअल क्लास रुम) उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा सुविधायुक्त बना दी गई है।

शिक्षण प्रणाली में कम्प्यूटर प्रणाली, शिक्षा तकनीकों का उपयोग भारत की प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली और संस्थानों द्वारा अपनाया गया है। शब्दों और प्रतीकों की विविधता कम्प्यूटर की महान शक्ति है जो शैक्षणिक प्रयास का केन्द्र माना जाता है। ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक होते है। इण्टरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकते है। विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ा सकते है। इण्टरनेट मानव ज्ञान का एक उच्चतम संग्रह है।

आईसीटी डिजिटल पुस्तकालय जैसे डिजिटल संसाधनो के सृजन की अनुमति देता है। जहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और व्यवसायी शोध सामग्री और पाठ्यक्रम तक पाच सकते है। आईसीटी शैक्षणिक संस्था के दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों को आसान एवं पारदर्शी तरीके से नियन्त्रित करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है।

पंजीकरण, नामांकन, पाठ्यक्रम, आवण्टन उपस्थिति की निगरानी, समय सारिणी, वर्ग, अनुसूची, प्रदेश के लिए आवेदन, छात्रों के प्रवेश में जाँच इस प्रकार की जानकारियाँ ई-मीडिया द्वारा पाई जाती है। आई. सी. टी. शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उदाहरणस्वरुप छात्र प्रबन्धन, स्टाफ प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन तथा डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से शिक्षण सामग्रियों विशेषकर पुस्तकों का प्रबन्धन आदि।

आईसीटी के सन्दर्भ में एक खोजपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। प्रेरणाशक्ति को प्रोत्साहित करने का यह उपयुक्त समय माना जाता है। अध्यापक आईसीटी का उपयोग कैसे करते हैं, यह उनकी सामान्य शिक्षण शैली पर निर्भर करता है। इससे अध्यापकों का

www.studyforeducation.com

आत्मविश्वास बढ़ता है तथा प्रेरणा मिलती है। अध्यापक का प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सफल प्रयोग हेतु मुख्य चालक के रूप में देखा जाता है।

अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रबन्धन

किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता, बहुत बड़ी सीमा तक अध्यापकों के व्यावसायिक विकास पर निर्भर करती है जो अभिप्रेत सुधार को क्रियान्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए व्यावसायिक विकास के प्रयासों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विषयवस्तु के ज्ञान, शैक्षणिक निपुणता और शैक्षिक सुधार की जानकारी में व्यापक वृद्धि की जाए और यह समझाया जाए कि सीखने वाले के लिए इसका अर्थ क्या होता है, क्योकि ये स्कूलों में पढ़ाने और सीखने में सुधार करने के लिए आवश्यक घटक हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करने और उन्हे अभिपुष्ट करने का कार्य करती है।

अध्यापक और स्कूली शिक्षा में नवाचारों और विभाग के कार्य

अध्यापक शिक्षा और स्कूली शिक्षा में नवाचारो और विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है

- अध्यापक शिक्षा में नीति विश्लेषण और योजना निर्माण हेतु डेटा आधार और अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने हेतु अध्यापक शिक्षा के विभिन्न मुद्दों और समस्याओ के बारे में विस्तृत अनुसन्धान करना।
- अध्यापक शिक्षा को अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से सेवापूर्व अध्यापकों की शिक्षा की पाठ्यचर्या, सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में और शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान तथा कौशल अभ्यासार्थ अध्यापक और उनका पर्यवेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं पर नीतिगत अनुसन्धान मूल्यांकनकारी अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन संयुक्त रूप से संचालितकरना।
- व्यवसायीकरण हेतु गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा में सलाहकारी भूमिका निभाना और अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तैयार करना, उन्हें क्रियान्वित करना, साथ ही व्यापक मूल्यांकन के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए भिन्न-भिन्न स्तरों पर सेवापूर्व-सेवाकालीन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना, साथ ही उन्हें मान्य बनाना तथा स्कूली शिक्षा और अध्यापन शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और प्रयोगों को बढ़ावा देना।
- NCERT सहित अन्य विकसित शिक्षण सम्बन्धित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न अवधि के सेवाकालीन और सतत शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

www.studyateducation.com

अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की प्रौद्योगिकियों और प्रशिक्षण के नए परिप्रेक्ष्यों के आधार पर जैसा कि उन्हें एनसीएफ 2005 में प्रकट किया है, उसी के अनुरुप शिक्षण सामग्रियाँ तैयार करना।

एनसीईआरटी एवं एसआईई को अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनाना एवं सहायता प्रदान करना।

अध्यापक शिक्षा को व्यावसायिक स्तर पर सुधारने हेतु अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया गया है। शिक्षा नीतियों को लागू किया गया है, ताकि शिक्षा के व्यावसायिक महत्त्व में बढ़ोतरी हो।

प्रो. आर एच दवे समिति के प्रतिवेदन जो प्राथमिक स्तर पर बल देने के लिए प्रसिद्ध रहे, इसे स्वीकृति देते हुए परिषद् ने गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण माना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रम विस्तार के फलस्वरुप विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे आगे यह क्षेत्र क्रमशः विस्तृत होता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरुप अध्यापन कार्य में जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं।

प्राथमिक स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान की योजनाएं लागू हो जाने से स्कूलों में उपस्थिति का विस्तार हो रहा है और यह उपस्थिति शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित भी कर सकती है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि एक उत्तम अध्यापक वह व्यक्ति हो सकता है, जो अपनी विषय-वस्तु का ज्ञाता हो साथ-ही-साथ विचार को ग्रहण करे, सामाजिक, दक्ष, व्यवहार-कुशल और आत्मविश्वासी के साथ-साथ आत्मनिर्भर हो।

अध्यापन शिश्रा कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे योग्य अध्यापकों की तैयारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उभरती हुई शैक्षिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हुए परिषद ने अपने दस्तावेज में कहा है कि प्रायः गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है, क्योकि दायित्व के साथ-साथ कार्य-सीमा, कार्यभार के अनुपात में सुविधा, संसाधन एवं नियोजन में उन्नति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण की बात कही गई है, जिससे समान शैक्षिक अवसर और न्याय प्रदान करते हुए ही शैक्षिंक क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना सम्भव हो सकता है।

अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन (Innovation in Teacher Education)

आज की तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में सीखने और शिक्षा को एक समग्र अनुभव बनाना महत्त्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन की शुरुआत हो गई है। अध्यापक शिक्षा में सफल नवप्रवर्तन चार परस्पर सम्बन्धित विषयों के मुद्दों को हल करने पर निर्भर करता है। ये चार विषय हैं—पहचान, गैर-निष्क्रियता, निमन्त्रण एवं पाठ्यक्रम।

www.studyofeducation.com

एक अध्यापक और छात्रों के बीच की गतिशीलता कक्षा के सार को परिभाषित करती है। एक उत्कृष्ट अध्यापक ईंट और मोर्टार के माध्यम से भवन का निर्माण कर सकता है और छात्रों को शुद्ध अधिगम के लिए यात्रा पर ले जा सकता है। शिक्षा प्रणाली किसी भी स्थिति में अध्यापक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती है। अध्यापक एवं अध्यापन सम्बन्धित कैरियर को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं।

शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाकर इसे अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके लिए विशेष पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भारतीय स्वतन्त्रता के बाद से ही शिक्षा प्रणाली में समग्र सुधार हेतु अनेक प्रासंगिक कोशिशें की गईं। विशेषतः अध्यापक शिक्षा में इसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया। अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1949 में एक मजबूत शुरुआत की गई।

नवप्रवर्तन की दिशा में किए गए प्रयास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन नवप्रवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। वर्ष 1978 एवं 1988 में एनसीईआरटी ने अनुशंसा दी कि पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कोर्स में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। नवाचार या नवप्रवर्तन का अर्थ किसी उत्पाद प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत परिवर्तन लाने से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत कुछ नया तरीका अपनाया जाता है। शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः नहीं होता है वरन् इन्हे खोजना पड़ता है। अध्यापक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर रोजगारोन्मुख बनाना नवाचार कहलाता है।

नवाचार अध्यापक शिक्षा में बालक को सीखने और सिखाने एवं समझाने की विधि पूरी तरह से आधुनिक तकनीक पर आधारित होती है। शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग 2005 और 2010 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और वर्ष 2014 की गाइडलाइन्स में अध्यापक शिक्षा में नवाचार या नवप्रवर्तन हेतु अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। समकक्ष प्रशिक्षण, ऑडियो विज़ुअल को क्रियान्वित कर आधुनिक तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन का मुख्य आधार माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने में इन नवप्रवर्तनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

नवप्रवर्तन प्रशिक्षण, सहयोगात्मक अधिगम, मननात्मक अधिगम एवं संरचनात्मक अध्यापक शिक्षा नवप्रवर्तन के प्रतिरूप माने जाते हैं। इनके माध्यम से अध्यापक शिक्षा में व्यापक सुधार किया जाता है। मननात्मक शिक्षण के अन्तर्गत अध्यापक कक्षा में निष्पक्ष एवं विश्वासपूर्वक शिक्षण करता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन एवं परिचर्चा की जाती है।

संरचनात्मक एवं अध्यापक शिक्षा संकल्पना के अन्तर्गत यह माना जाता है कि लोग अपने गतिमान्य संरचनात्मक क्रिया द्वारा स्वयं अधिगमन करते हैं। नया या नवीन ज्ञान उनके पूर्ववर्ती ज्ञान की समझ होती है।

www.studyofeducation.com

इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस स्थिति में अध्यापक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक स्वयं भी अधिगम करता है। अध्यापक इस अधिगम प्रणाली में छात्रों को जटिल परिस्थितियों में सहायता करता है। सहयोगात्मक या टीम के रुप में शिक्षण प्रक्रिया भी नवप्रवर्तन शिक्षा के रूप में है। इसके अन्तर्गत एक सीमा के

अन्दर छात्र एवं अध्यापक संयुक्त रुप से एक-दूसरे को सहयोग देकर अधिगम करते हैं। इस पद्धति में सभी परस्पर एक-दूसरे को सहयोग कर अधिगम करते हैं। विद्यार्थी प्रदत्त कार्य उस समय तक करते हैं, जब तक कि उनके लक्ष्य पूरे न हो जाएँ।

शिक्षकों की तैयारी का निर्धारण शिक्षण के कार्यों की प्रकृति से किया जाता है. जो उन्हें कक्षा में करने पड़ते हैं। शिक्षण के प्रत्यय का विकास अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान पर आधारित है। वर्ष 1960 लगभग इस क्षेत्र में विभिन्न कार्य हुए, अनेक अध्यापक शिक्षा के प्रतिमानों का विकास हुआ। यह सभी प्रतिमान प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर आधारित है।

शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम

व्यापार, शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम भी नवप्रवर्तन का ही भाग माना जाता है, जो शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। विभिन्न विद्यालय की पाठ्य-वस्तु का वास्तविक अनुभव, ज्ञान प्रदान करने के लिए अधिक उपयोगी है। स्थानीय निरीक्षण द्वारा उद्योग, भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक स्थल, बैंक, कचहरी, राजकीय इमारतों का वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इन सभी कार्यों के संचालन के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्त किया जाता है, जो मार्गदर्शक का कार्य करता है तथा विद्यार्थियों को उचित ज्ञान प्रदान करता है। इस जानकारी को केवल पाठ्य-पुस्तक से नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसमें अध्यापक का योगदान सराहनीय होता है।

www.studyoneducation.com